खण्ड-286, अंक-10
सोमवार, 30 अग्रहायण, शक संवत् 1892
(21 दिसम्बर, 1970 ई0)

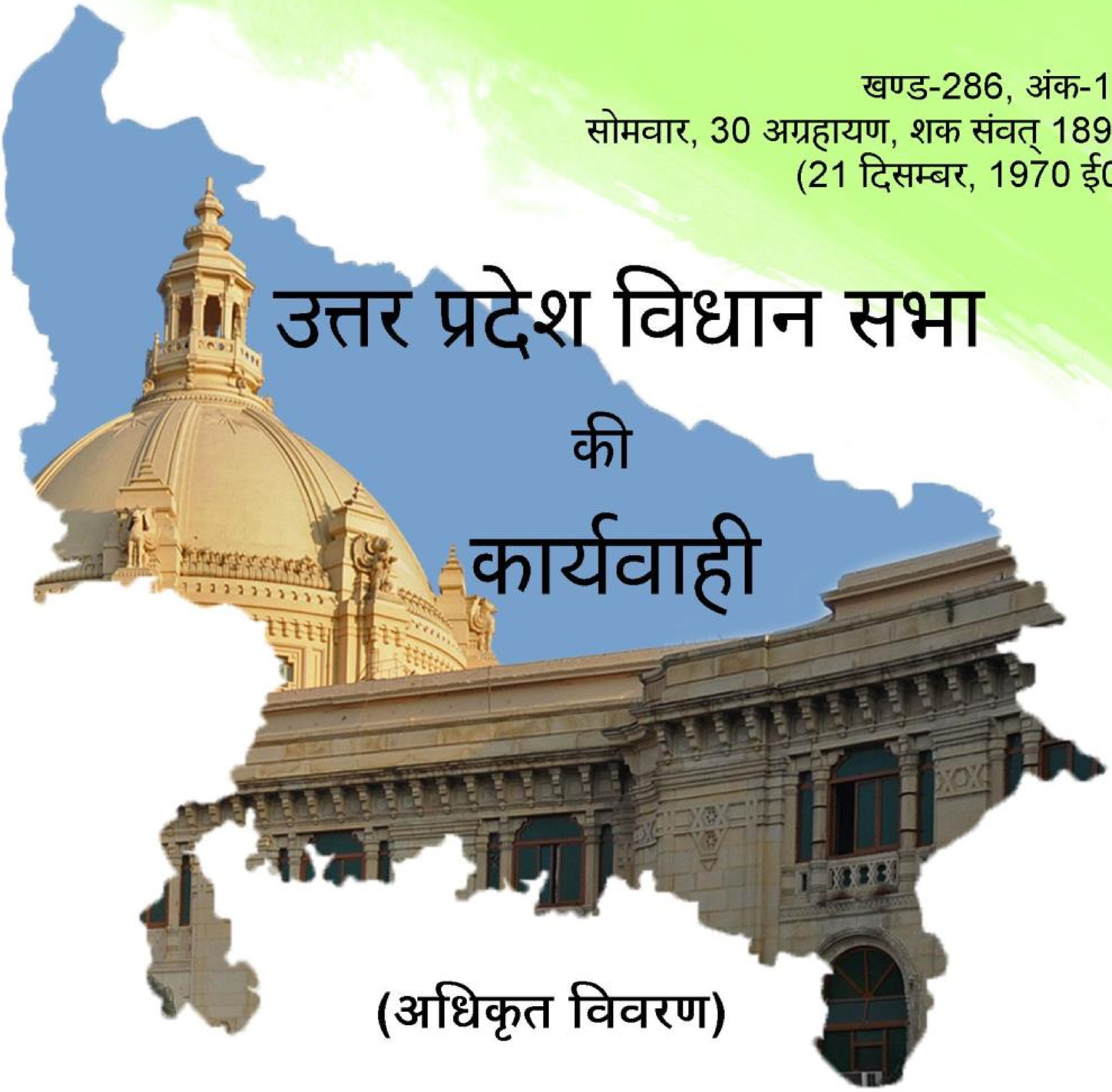

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 286 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३८५

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्र नाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल डाक्टर, (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डुंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री

काश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसा राम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजवज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शी लाल चमार, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोती लाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजित राम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री

रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
राम बचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भुनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री

शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिबंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश तथा शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २१ दिसम्बर, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल तथा उनकी मांगें

**१—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या राज्य सरकार लखनऊ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा गत दिनों से चल रही हड़ताल को समाप्त करने के लिये कोई पग उठा रही है? यदि हां, तो क्या? कर्मचारियों की मांगें क्या हैं तथा उन्हें पूरी करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

शिक्षा राज्य मंत्री (राजा विजयकुमार त्रिपाठी)—

लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय हड़ताल नहीं चल रही है, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई-भत्ता, नगर भत्ता तथा अन्य भत्ते जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलते हैं, उनको दिये जाने की मांग की थी। इन मांगों पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री सदन को बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कोई हड़ताल की थी और वह कितने दिनों चली थी और उन कर्मचारियों की क्या मांगें थीं ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

जी हां, कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। १८-११-७० से हड़ताल प्रारम्भ हुई थी जो ३-१२-७० को समाप्त हो गई। उनकी मुख्य मांग राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई-भत्ता पाने की थी। इस के अलावा और भी कई मांगें थीं।

श्री रामगोपाल संड—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों का कोई शिष्ट मंडल उनसे मिला था और उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को क्या आश्वासन दिया था ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि इन मांगों पर कब तक विचार होगा ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

शीघ्र ही विचार करके इस पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह शिष्ट मंडल शिक्षा मंत्री जी से मिला था और उन्होंने कोई आश्वासन भी दिया था ? वह आश्वासन क्या था ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

यह तो मैंने पहले ही कहा है कि इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है कि कोई आश्वासन दिया गया या नहीं दिया गया।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि शिक्षा मंत्री से वहां का डेपुटेशन मिला। क्या आश्वसन दिया इसकी सूचना नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि डेपुटेशन शिक्षा मंत्री से मिला है। आप राज्य शिक्षा मंत्री हैं। जो उत्तर आ रहा है वह किस के माध्यम से आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

पहले प्रश्न में यह नहीं था। यह तो ठीक है कि पूरक प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसकी सूचना नहीं होती। वे तैयार होकर आते हैं।

श्री रामगोपाल संड—

इस बात को देखते हुये कि पिछले तीन वर्षों से इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारी जुलाई या दिसम्बर के महीनों में हड़ताल करते रहे हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री ने बराबर इस सदन को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें जल्द पूरी की जायेंगी। यह जल्दी १५ दिन या एक महीना कितनी रहेगी ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

निश्चित रूप से कोई दिन नहीं बतलाया जा सकता है लेकिन फिर भी प्रयास यह किया जायेगा कि अधिक से अधिक जितनी जल्दी हो सके, इसका निर्णय ले लिया जाय।

हड़ताली विद्युत कर्मचारियों पर चल रहे मुकदमों की वापसी

**२—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में २५ अगस्त, १९७० को विद्युत् कर्मचारियों के हड़ताल के बाद कर्मचारियों पर जो मुकदमे चलाये जा रहे थे उन्हें वापस लेने का आश्वासन तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा २० अक्तूबर, ७० को दिये जाने के बाद भी अभी तक किन-किन स्थानों पर मुकदमे नहीं उठे हैं और क्यों ?

विद्युत् उप मन्त्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

अगस्त, १९७० की अवैधानिक हड़ताल में भाग लेने वाले राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गये सभी मुकदमे वापस लिये जाने हेतु समस्त जिलाधीशों को ११ दिसम्बर, १९७० को आदेश दे दिये गये हैं किन्तु उक्त हड़ताल से संबंधित इस प्रकार के मुकदमे वापस नहीं लिये जायेंगे जिनमें जन सेवक पर आक्रमण हुआ हो और अन्य हिंसात्मक और लूट-खसोट की घटनायें घटित हुई हों।

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

इसमें कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर तोड़फोड़ के मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

ऐसे कितने आदमी हैं जिन्हें नौकरी में वापस नहीं लिया गया है और जिनके खिलाफ तोड़फोड़ के मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है, उसकी जांच चल रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सरकार कृपया यह बता दे कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अभी तक काम पर वापस नहीं लिया गया ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है, उसकी जांच चल रही है, जब वह रिपोर्ट आ जायेगी तो बता दिया जायेगा।

श्री रामगोपाल संड—

तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने जब यह आश्वासन दिया था कि सभी हड़ताली कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया जायेगा, तो फिर उनके ऊपर मुकदमे क्यों चलाये जा रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

यह आश्वासन जो उस समय बोर्ड बैठा था, उसने दिया था, उसने उनकी मांगों पर विचार भी किया, कुछ मांगें कन्ट्रोवर्शियल थीं, अब वही बोर्ड विचार कर रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कौन से केसेज तोड़फोड़ के हैं और कौन से नहीं हैं, यह निर्णय सरकार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर लेगी या स्वयं भी कोई जांच करेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

वह तो मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं कोर्ट उनको देखेगी, तोड़-फोड़ को छोड़कर जितने भी केसेज थे, उनके बारे में सरकार ने यह आदेश दे दिये हैं कि सभी को काम पर वापस ले लिया जाय । तोड़-फोड़ वाले कितने केसेज हैं उनके बारे में हमने जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी है, वह अभी तक हमारे पास नहीं आयी है । जब उसकी जानकारी आ जायेगी, वह दे दी जायेगी । अब कोर्ट से सजा हो गयी, तब तो दूसरी बात है, और कोर्ट से छूट गये तब उसको देखेंगे ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

कितने मुकदमे वापस ले लिये हैं इसकी सूचना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी विस्तृत सूचना नहीं है । इस वक्त तक कितने मुकदमे चल रहे हैं और कितने वापस ले लिये गये, यह सूचना अभी नहीं है । किन्तु मेरी यह सूचना है कि तोड़फोड़ के अलावा जितने केसेज हैं सभी को काम पर वापस ले लिया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह बता दीजिये कि तोड़-फोड़ का निर्णय आप केवल पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर लेंगे या स्वयं भी जांच करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

उसको तो कोर्ट डिसाइड करेगी । कोर्ट के फैसले के अनुसार उसको देखा जायेगा ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन जिलों में तोड़-फोड़ की कार्यवाही हुई है और कितने कर्मचारियों ने वह कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने कह दिया कि उसकी सूचना उन्हें नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)—

तोड़-फोड़ का आधार क्या होगा ? क्या जुडिशियल जजमेंट होगा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, यह स्वयं मंत्री रह चुके हैं, सब जानते हैं । मुकदमे जो कोर्ट में चले हैं, उसके ऊपर तो जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा । तोड़-फोड़ के मुकदमे आप भी नहीं

चाहेंगे कि वापस हों और जिन्होंने डिपार्टमेंट का नुकसान किया है, उनको छोड़ दिया जाय। कोर्ट के निर्णय के बाद में सोचा जायेगा कि उसके बारे में क्या हो।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तोड़-फोड़ के अन्तर्गत कौन से अपराध आते हैं? कोई लिस्ट है जिससे यह अन्तर किया जाता हो कि ये तो तोड़-फोड़ के अन्तर्गत आते हैं और ये बिना तोड़-फोड़ के?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

इसके लिये तो कानून बना है, उसमें स्पष्ट है। किसी का नुकसान करना, किसी पर आक्रमण करना, तार आदि काट देना, ये सब तोड़-फोड़ के अन्तर्गत आते हैं।

श्री रामगोपाल संड—

क्या विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सदन के दोनों पक्षों की भावना को देखते हुए वह क्षमा करो और भूल जाओ की नीति अपना कर, सदन की भावना का आदर करते हु भविष्य में सभी मुकदमों को वापस लेने के आदेश देंगे?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह तो आप भी पसन्द नहीं करेंगे कि जिनके कारण बोर्ड को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, उन हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिये जायं। ऐसे क्रिमिनल आदमियों को यदि बिना सजा छूट जाने दिया गया तो भविष्य में भी इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

ये जो तथाकथित तोड़-फोड़ के मुकदमे अदालत में हैं, क्या उनकी भी आप एक बार जांच करा लेने की कृपा करेंगे? क्योंकि पुलिस द्वारा तो यों ही केस बना लिए जाते हैं, इसलिए उनकी छानबीन करके आप निर्णय लें तो अच्छा हो।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह तो मुश्किल कार्य होगा यदि इसको हम देखने लगें।

नगरपालिकाओं को शासन के कब्जे में लेना

**३—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं का प्रशासन सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रूपनाथ सिंह यादव)—

फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। प्रश्न नहीं उठता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

परिवहन विभाग द्वारा गाड़ियों तथा पुर्जों का क्रय

*१—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, १९६९ से फरवरी, १९७० तक सरकार के यातायात (रोडवेज) विभाग ने कुल कितनी रकम के पुर्जे तथा कितनी रकम की गाड़ियां (मोटरें) खरीदीं और किन-किन फर्म से खरीदीं ?

न्याय उप मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

कथित अवधि में विभाग द्वारा कुल रु० १,६४,१९,८९५.११ पैसे के ३९३ फर्मों से पुर्जे तथा रु० ३,८०,८८,१२५.४४ पैसे की ९२६ गाड़ियां तीन फर्मों (१) सर्वश्री टाटा लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, (२) सर्वश्री अशोक लेलैन्ड लिमिटेड, मद्रास, (३) सर्वश्री हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, वेस्ट बंगाल से क्रय की गईं। जिन फर्मों से जो क्रय किये गये उनकी संख्या अधिक होने के कारण उनके नामों की सूची देना व्यावहारिक नहीं है। माननीय सदस्य यदि चाहें तो उसे मेरे कमरे में अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं।

श्री इन्द्रलाल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ये जो ९२६ गाड़ियां मद्रास, वेस्ट बंगाल व बम्बई से मंगाई गईं, इनको प्रदेश में लाने के लिये सरकार को, विभाग को कितना खर्च करना पड़ा ? और ये गाड़ियां किन-किन रोजनों को दी गईं ?

न्याय मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

यह तो ब्योरे का सवाल है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री इन्द्रलाल—

पहले पोर्शन को छोड़कर केवल यही बता दिया जाय कि ९२६ गाड़ियां किन-किन रोजनों को दी गईं ?

श्री सच्चिदानन्द—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो भिन्न-भिन्न जगहों से गाड़ियां आई हैं, उनके भिन्न-भिन्न जगह के रेट क्या थे ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूचना भी उनके पास नहीं है।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो पहले सवालों के जवाब में बताया कि इतनी फर्मों से सामान खरीदा गया उनकी सूची नहीं दी जा सकती, क्या वह इस बात की जानकारी करवायेंगे कि जिन फर्मों से सामान खरीदा उनमें ऐसी भी फर्में शामिल हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उदाहरण के लिये एक तो बनारस में हरनारायन हर प्रसाद के नाम से फर्म बनी थी, उससे खरीदा गया, इस तरह से वह जानकारी करवायेंगे कि जिन फर्मों से सामान खरीदा गया, उनके पास सामान नहीं था, टूटे-फूटे, पुराने पुर्जों को देकर पैसा वसूल किया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, सही बात तो यह है कि यह तो सूचना नहीं है कि किस-किस फर्म से पुर्जे खरीदे गये। यह सूचना मेरे पास है कि मोटरें कहां-कहां से खरीदी गयीं। यदि हमारे मित्र कोई हम को सूचना दें कि अमुक अनरजिस्टर्ड फर्म से खरीदा गया है या अनियमित हुआ तो उसको दिखलाया जा सकता है।

श्री धनुषधारी पांडेय—

हर एक जवाब में मंत्रीगण सूचना, सूचना कह देते हैं। यह परिपाटी सी बनती जा रही है और दूसरी परिपाटी यह हो रही है कि मंत्रीगण कहा करते हैं—मेरे कमरे में। हर प्रश्न का जवाब यहां मिलना चाहिये, कमरे में नहीं मिलना चाहिये। कृपया आदेश करें कि जब प्रश्न किया जाय तो पूरी तैयारी करके आयें।

श्री अध्यक्ष—

पुर्जों के बारे में उन्होंने कहा है कि मेरे कमरे में सूचना देखना चाहें तो तो देख लें। सदन का समय खर्च हो जायेगा। सैकड़ों पुर्जे होते हैं और पांच सौ मोटरें हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने सूची अपने कमरे में देखने के लिये कहा, बाकी के लिये नहीं कहा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिन फर्मों से गाड़ियां आयी हैं, उन फर्मों के अलावा और फर्मों से उन्हीं गाड़ियों के एस्टीमेट्स मंगाये गये हैं या नहीं? और मंगाये गये हैं तो किन-किन फर्मों से?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

ऐसी स्थिति है कि अब तक हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भी और एक प्रकार से सारे देश में टाटा की मर्सिडीज और लेलैंड गाड़ियों का ही प्रयोग रोडवेज में होता रहा है। एक-दो फर्मों की गाड़ियां और हैं, जैसे बेडफोर्ड, उनको व्यावहारिक नहीं पाया गया, मजबूत नहीं पाया गया। यदि और भी कोई गाड़ियां हों, और हमारे स्टैन्डर्ड के अनुसार हों तब खरीदने की चेष्टा करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ९२६ गाड़ियां खरीदी गयीं, तीन फर्मों से खरीदी गयीं, क्या तीनों फर्मों का बराबर-बराबर अनुपात है या किसी फर्म को अधिक कोटा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जिसमें टाटा की चेसिस है, मर्सिडीज बेंज और अशोक लीलैंड, और इनका अनुपात एक नहीं है। लगभग ८०० वह और १०० वह। २६ ऐम्बेस्डेर कार खरीदी गयीं। कारण यह है कि जो टाटा की गाड़ियां हैं इनकी कीमत बमुकाबले लीलैंड के सस्ती है इसलिये विशेष रूप से पसन्द किया गया। दूसरे चलाने में अच्छी साबित हुई।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि एक फार्म से ८०० और दूसरी से १०० गाड़ियां खरीदी गईं, तो क्या कोई एक्सपर्ट की रिपोर्ट है कि ८०० वाले की गाड़ियां बेहतर साबित हुईं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

बिलकुल, एक्सपर्ट की रिपोर्ट है।

विदेशी शराब विक्रेता संघ द्वारा मंगलवार को शराब की दावत

*२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को यह सूचना है कि लखनऊ में दिनांक १७ फरवरी, १९७० को विदेशी शराब के विक्रेता संघ ने निमंत्रण-पत्र वितरित करके मंगलवार होते हुये भी शराब की दावत दी ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्रम उपमंत्री (श्री हबीबुर्रहमान)—

सरकार को इस आशय की कोई सूचना नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि मंगलवार के दिन जो आयोजन किया शराब विक्रेता संघ ने, उसके निमंत्रण-पत्र प्रत्येक एम०एल०ए० को, यहां पिजन होल के द्वारा वितरित किये गये ?

श्रम मंत्री (श्री हिम्मत सिंह)—

इसकी जानकारी की जावेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि मंगलवार होते हुये शराब की दावत दी, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हिम्मत सिंह—

मंगलवार को शराब बेचना निषेध है यह मुझे जानकारी है, बाकी की जांच कराऊंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जैसा कि अभी कहा गया कि पिजन होल के अन्दर सारे एम०एल०एज० के लिये निमंत्रण-पत्र रख दिये गये और वह भी प्रोहीबिटेड डे के दिन शराब पीने के लिये, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह उचित नहीं है, आप श्रीमन्, इस विषय पर गंभीरता से विचार करके फैसला दें ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्नों का समय है। यह बात आप मुझसे बाद में कहें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मंगलवार को शराब बेचना मना है लेकिन पीना मना नहीं है, तो बेचना मना क्यों है ?

श्री हिम्मत सिंह—

मंगलवार के दिन निषेध कर रक्खा है, उस दिन कोई दुकान खुलेगी नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मंगलवार के दिन मद्य-निषेध का दिन है। इस निमंत्रण-पत्र में है कि शराब की पार्टी होगी, तो देशी शराब की दुकानों को आप बन्द कर देते हैं लेकिन पीने पर पाबन्दी नहीं लगाते हैं इसका क्या कारण है ?

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, जो अधिकार हमारा था उसके अनुसार हमने दुकानें बन्द कर दी हैं लेकिन पीने वाले कहां और कैसे पीते हैं यह उनका अधिकार है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि १७ फरवरी, १९७० को सेशन का दिन नहीं था लेकिन पिजन होल में निमंत्रण-पत्र रक्खे गये, उस दिन एक नई सरकार ने शपथ ली थी, तो ऐसा किसी शरारत से तो नहीं किया गया ?

श्री हिम्मत सिंह—

अगर सदस्यगण इसकी जानकारी चाहते हैं तो इन्क्वायरी कर ली जावेगी।

मद्य-निषेध एवं समाजोत्थान विभाग के कर्मचारियों की सेवाशर्तें तथा इनकी पदोन्नति

*३—श्री तेजनरायन (जिला खीरी) (अनुपस्थित), श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी), श्री माखन लाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित) तथा श्री सेवा राम (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि मद्य-निषेध एवं समाज उत्थान विभाग कब से कार्य कर रहा है? क्या उसके अधिकारीगण एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में विभागीय सेवा शर्तें (सर्विस रूल्स) बनी हैं ? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

श्री हबीबुर्रहमान—

मद्य-निषेध एवं समाजोत्थान विभाग वर्ष १९४७-४८ से कार्य कर रहा है। उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में सेवा नियम ड्राफ्ट स्टेज पर है।

*४—श्री तेजनरायन (अनुपस्थित), श्री छेदालाल चौधरी, श्री माखन लाल (अनुपस्थित) तथा श्री सेवाराम (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मद्य-निषेध अधिकारी के स्थान रिक्त हो जाने पर उनके स्थान पर सरकार ने विभागीय मुख्य मद्य-निषेध व्यवस्थापक तथा मद्य-निषेध व्यवस्थापकों में से उनकी कार्यकुशलता को देखते हुये उपरोक्त स्थान पर पदोन्नति की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हबीबुर्रहमान—

जी नहीं। राज्य में मुख्य मद्य-निषेध व्यवस्थापकों की संख्या केवल २ है। उनकी पदोन्नति मद्य-निषेध व्यवस्थापकों से होती है जिन की शैक्षिक योग्यता केवल हाई स्कूल निर्धारित है। मद्य-निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारियों की निर्धारित शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट है। अतः शिक्षा के आधार पर व पात्र का क्षेत्र बहुत सीमित होने के कारण ही मुख्य मद्य-निषेध व्यवस्थापकों की पदोन्नति मद्य-निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के राजपत्रित पद पर किया जाना वांछनीय नहीं समझा गया है।

श्री छेदालाल चौधरी—

इस प्रश्न का उत्तर मुझे अभी-अभी मिला है। इसको कल रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप घर पर नहीं मिले होंगे। यहां भी आप देर से आये इसलिये आपको अब मिला।

श्री छेदालाल चौधरी—

जो उत्तर मिला है वह साफ नहीं है, अपठनीय है।

श्री माता प्रसाद—

एक तरफ तो शराब बिक रही है और दूसरी तरफ मंत्री जी मद्य-निषेध अधिकारी रखे हुये हैं। क्या सरकार इन मद्य-निषेध अधिकारियों को हटाने पर विचार कर रही है ?

श्री हिम्मत सिंह—

सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकी (जिला हरदोई)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में मद्य-निषेध प्रचारक कितने हैं और मद्य-निषेध के सिलसिले में क्या कार्य हो रहा है ?

श्री हबीबुर्रहमान—

मद्य-निषेध उत्थान अधिकारी ६ हैं, मुख्य मद्य-निषेध व्यवस्थापक दो हैं और मद्य-निषेध व्यवस्थापक २३ हैं।

श्री माता प्रसाद—

मद्य-निषेध अधिकारी अथवा विभाग जनता में कौन-कौन से कार्य को करता है ?

श्री हिम्मत सिंह—

जो लोग शराब पीते हैं उनको शराब पीने से रोकता है।

श्री इन्द्रलाल—

यह जो प्रदेश में मद्य-निषेध प्रचारक रखे हैं ये किस आधार पर रखे जाते हैं, साथ ही यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रत्येक जिले में उनकी नियुक्ति की गई है या नहीं ?

श्री हिम्मत सिंह—

प्रत्येक जिले में उनकी नियुक्ति की गई है या नहीं इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

एक तरफ तो सरकार शराब को बेचने का ठेका देती है और दूसरी तरफ शराब पीने को रोकने की व्यवस्था करती है। क्या ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के विरोध में नहीं हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि शराब बेची न जाय? क्या इस प्रकार की वह व्यवस्था करने के लिये तैयार हैं ?

श्री हिम्मत सिंह—

शराब पीना तो सेल्फ इम्पोज चीज है। सरकार शराब पीने का नुक्सान बताती है परन्तु जो लोग पीते हैं वे लोग इल्लीसिट पीते हैं या फिर चोरी-छिपे उसको बनाकर पीते हैं अथवा दवाइयों के नाम पर उसको पीते हैं।

श्री छेदालाल चौधरी—

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जो सेवा नियम के रूल्स हैं वे अभी ड्राफ्ट स्टेज पर हैं। उनको अन्तिम रूप देने में अभी और कितना समय लगेगा ?

श्री हिम्मत सिंह—

इसको अभी कई स्टेजेज पार करना होगा परन्तु हम जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे।

[दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रतापगढ़ में डी० सी० जी० (सिविल) की नियुक्ति

*१—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद प्रतापगढ़ में सन् १९७० से २१ जुलाई, १९७० तक डी० जी० सी० (सिविल) की नियुक्ति के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे और जिनकी नियुक्ति की गई है उनका सिविल केसेज में कितनी अवधि का अनुभव है ? तथा वर्ष १९६८ से नियुक्ति तक कितने मुकदमे उन्होंने किये ?

श्री सच्चिदानन्द—

प्रतापगढ़ में डी० जी० सी० (सिविल) की नियुक्ति के लिये कुल (२१ जुलाई, १९७० तक भी) ५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। उक्त पद पर श्री रमेश बिहारी मिश्र की नियुक्ति, मई, १९७० में की गयी। सरकार को प्राप्त विवरण के अनुसार श्री मिश्र का सिविल केसेज में २० वर्ष का अनुभव है तथा वर्ष १९६८ से नियुक्ति तक उन्होंने ८७ दीवानी के मुकदमे किये।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ५ व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिया था क्या उनमें से एक, श्री रामकिशोर त्रिपाठी, एडवोकेट थे जिनका एक्सपीरियन्स २४ वर्ष का था ? और उनके मुकदमों की संख्या ८७ थी ?

श्री सच्चिदानन्द—

उनके मुकदमों की संख्या ८१ थी, ८७ नहीं थी।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिस व्यक्ति को प्रतापगढ़ जनपद में नियुक्त किया गया है वह जिलाधिकारी की संस्तुति पर किया गया है, और जिला जज ने जिस व्यक्ति की संस्तुति की थी उसको नहीं नियुक्त किया गया, इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मंत्री जी जिला जज की संस्तुति पर नियुक्ति करने की परम्परा को चालू रखेंगे ? क्योंकि जिलाधिकारी राजनैतिक दबाव से कार्य करते हैं ?

श्री सच्चिदानन्द—

ऐसा नहीं है। संस्तुति के कुछ आधार हैं जिन पर जिला जज या जिलाधिकारी को सोचना पड़ता है—जैसे जिस वकील की संस्तुति की जाय उसने कितने मुकदमें सिविल के लिये हैं, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है, वह इनकम टैक्स देता है आदि। इन्हीं सब को देखते हुये जिला जज ने श्री मिश्र की संस्तुति की है।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जज ने वरीयता के क्रम में पहला स्थान राम किशोर एडवोकेट को दिया था ?

श्री सच्चिदानन्द—

जी हां, पहला स्थान उनको दिया था। लेकिन बाद में इसके बारे में कोई नये जज आये हुये थे और उन्होंने मिश्र जी की संस्तुति दी है और जिलाधिकारी ने भी दी है।

श्री रामगोपाल संड—

माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अगर जिलाधिकारी और जिला जज की राय में अन्तर होगा तो किस की राय मानी जायगी ?

श्री सच्चिदानन्द—

ऐसा है कि जो नये जिला जज आये थे उनको पूरी जानकारी नहीं थी। बाद में जिला जज और जिलाधिकारी दोनों ने एक ही व्यक्ति की संस्तुति दी है।

श्री जयराम यादव—

मान्यवर, इस नियुक्ति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी और जिला जज की राय भिन्न है तो ऐसी दशा में एडवोकेट जनरल और लीगल रिमम्बरेन्सर की राय क्यों नहीं ली गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

वैसे तो जैसा अभी बतलाया इसमें राय भिन्न नहीं थी लेकिन अन्त में राय एक हो गयी। यदि ऐसी स्थिति आती भी है तो सरकार आमतौर से अपने विवेक से काम लेती है और ए० जी० अथवा एटार्नी जनरल की राय मानने के लिये बाध्य नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जो नियुक्ति हुई है वह भूतपूर्व वन मंत्री के भाई हैं और दबाव के कारण यह नियुक्ति हुई है। इसीलिये गालिबन वहां के वकीलों ने अक्तूबर में एक ज्ञापन भी दिया था इस नियुक्ति के विरुद्ध ? यदि हां, तो क्या सरकार वकीलों के प्रार्थना-पत्र पर फिर से नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

ज्ञापन तो मेरे पास है नहीं। यदि कोई ऐसी बात होगी तो सरकार का द्वार खुला हुआ है, उस पर विचार करने के लिये।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला जज नया था और उसके बाद दूसरा जज आया और उन्होंने संस्तुति कर दी तो बाद में जो जज आया और उसने संस्तुति की तो बाद वाला कैसे पुराना हो गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

सभी नये थोड़े दिन में पुराने हो जाते हैं।

ट्रकों के मार्ग-कर तथा माल-कर में वृद्धि

*२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि उसने १ जनवरी, सन् १९७० और जुलाई, १९७० में ट्रकों के रोड टैक्स और सामान टैक्स में वृद्धि की है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

१ जनवरी, १९७० से प्राइवेट कैरियर का रोड टैक्स बढ़ कर पब्लिक कैरियर ट्रक के बराबर कर दिया गया, और ४ या उससे अधिक रीजन के लिये वैध दोनों प्रकार की ट्रकों पर ४०० रुपया वार्षिक अतिरिक्त कर लगाया गया।

६ जून, १९७० से ट्रकों की भार क्षमता बढ़ा दी गई जिसके फलस्वरूप वृद्धि के अनुपात में मार्ग-कर एवं माल-कर में बढ़ोत्तरी हुई।

*३—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त वृद्धि का औचित्य क्या है और सरकार को इस वृद्धि के करने से कितनी आमदनी बढ़ेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

औचित्य अतिरिक्त कर वहन करने की अनुमानित क्षमता थी। अनुमानित आय निम्नवत् है:--

(१) १ जनवरी, १९७० से वार्षिक रु० ४५ लाख २० हजार (मार्ग-कर में)।

(२) जुलाई, १९७० से (वार्षिक)

९३ लाख रु० (मार्ग-कर)

७० लाख रु० (माल-कर)

योग .. १,६३ लाख रु०

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि पूरे प्रदेश में इस टैक्स के विरुद्ध ट्रक मालिकों ने हड़ताल की थी ? यदि हां, तो हड़ताल कब से चली और उनकी मांग क्या थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

हड़ताल का ज्ञान तो है नहीं। उसकी कोई सूचना पत्रावली में नहीं है लेकिन शायद उन्होंने की होगी। यदि हड़ताल की भी थी तो जिस दृष्टिकोण से यह वृद्धि की गयी है चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये धन की आवश्यकता थी उसमें अन्तर पड़ता नहीं क्योंकि उसके लिये धन जुटाना था।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

चूंकि वृद्धि लगभग दूनी हो गयी तो क्या फिर से माननीय मंत्री उस पर विचार करेंगे कि दूनी वृद्धि टैक्स में न हो ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

इस समय तो बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ रही है।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)--

जिले में जो लोकल ट्रक्स तथा दूरगामी ट्रक्स चलती हैं उनके रोड टैक्स तथा गुड्स टैक्स में अन्तर होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, बात तो मेरी समझ में नहीं आई किन्तु शायद माननीय सदस्य का यह तात्पर्य है कि लोकल टैक्स में जो वृद्धि की गई है .....

श्री अध्यक्ष--

आप उनसे सवाल फिर से पूछ लें।

श्री उमानाथ सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिलों में जो लोकल ट्रकें चला करती हैं उनको वैसे भी रीजनल परमिट बनाना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे लोकल ट्रकों और दूरगामी ट्रकों के रोड-टैक्स और सामान-टैक्स में अन्तर करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, अभी तो इसकी जरूरत नहीं है और यदि कोई इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र आया तो विचार कर लिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ट्रकों के ऊपर जो लोड होता है उसे भी बढ़ा दिया गया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस लोड को बढ़ाने से पहले क्या सरकार ने उनके मैन्युफैचरर्स से टेक्निकल परामर्श ले लिया था कि अलग-अलग ट्रक्स इतना-इतना भार वहन कर सकेंगे अथवा नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, यह बात सही है कि जो अलग-अलग ट्रकें हैं उनकी जितनी-जितनी लोड वहन करने की कैपेसिटी है उसके अनुसार ही ट्रकों के लोड को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही साथ इस बात पर भी विचार करना पड़ता है कि जिस रोड पर वह ट्रक चल रही है उसकी लोड क्षमता कितनी है और उस पर क्षति कितनी होगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ट्रकों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है तो जो टायर ब्लैक मार्केट से उनको खरीदने पड़ते हैं उनको सरकार एक निश्चित कोटा बना कर कंट्रोल रेट पर दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, यह बात बिल्कुल सही है कि टायरों के सम्बन्ध में बहुत अधिक ब्लैक चल रहा है इसका ज्ञान सरकार को भी है। हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से यह चीज समाप्त की जाय। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता है। सरकार इस सम्बन्ध में खुद चिन्तित है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन् मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि सरकार क्या ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कि इन लोगों को कंट्रोल रेट पर टायर मिल सके ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

श्रीमन्, यह कहना बहुत कठिन है क्योंकि यदि उनको हम कंट्रोल रेट पर टायर देते हैं और जो लोग हैं वे भी कंट्रोल रेट पर ही टायर लेने की मांग करेंगे और सभी को कंट्रोल रेट पर देना सम्भव नहीं है। इसके लिये जो रूल्स बने हुये थे उनकी पुनरावृति क्यों न करें। ऐसा करने के लिये कंट्रोल करने वाली जो व्यवस्था है उसके लिये फिर दुबारा रूल्स बनाने पड़ेंगे।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में कहा कि पब्लिक कैरियर की भार क्षमता बढ़ा दी गई है तो इसमें होता वह है कि जो ट्रक वाले होते हैं वे अपने ट्रक की भार क्षमता २०० और ३०० मन लिखा देते हैं जो कि वास्तविक भार क्षमता उसके ट्रक की नहीं होती। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इसको रोकने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, यह बिलकुल मालूम नहीं है। यदि माननीय सदस्य ऐसी कोई शिकायत बतायें तो उसके ऊपर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि ट्रकों की भार क्षमता को बढ़ा दिया गया है तो इस सम्बन्ध में उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या पहले सड़कों की भार क्षमता कम थी और अब वह अधिक हो गई है या पहले ट्रकों की भार क्षमता कम थी जिसे अब पूरी कर दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

कच्ची सड़क, कंकड़ की सड़क और एस्फाल्ट की सड़क कई प्रकार की सड़कें होती हैं और सभी की क्षमता अलग-अलग होती है। किस रोड पर क्षति के कितने चान्सेज हैं, इसका अन्दाजा लगाया जाता है।

श्री गोविन्द सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की भी जरूरत समझते हैं कि इसका किसी विशेष गाड़ी के ऐंजिन और टायरों से भी संबंध है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी विभिन्न मेकों के ऐंजिनों और टायरों की क्षमता का भी विचार इस संबंध में करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

माननीय मित्र को कुछ भ्रम हो गया है। गाड़ी का क्या मेक है और उसकी भार वहन करने की क्या क्षमता है, इसका तो ध्यान रखा ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी मेक की क्षमता २०० टन है तो उसके बजाय ३०० टन कर दिया जाय। मैंने केवल इतना कहा कि इसके साथ ही साथ सड़कों की कितनी क्षति होगी इसका भी ध्यान रखा जाता है।

कपड़े पर बिक्री-कर पुनः लगाने के संबंध में विचार

*४--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कपड़े पर उत्पादन शुल्क के स्थान पर पुनः बिक्री-कर लगाने का विचार कर रही है ? क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेशीय वस्त्र व्यवसाइयों ने पुनः बिक्री-कर लागू करने के विरुद्ध स्वरूप २२ मई, १९७० को प्रदेश भर में पूर्ण हड़ताल की थी ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री रामसिंह खन्ना)--

कपड़ा, चीनी तथा तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के स्थान पर पुनः बिक्री-कर लगाये जाने के प्रश्न पर पंचम वित्त आयोग ने कुछ संस्तुतियां की हैं जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं।

उत्तर प्रदेश वस्त्र व्यवसाइयों द्वारा २२ मई, १९७० को प्रदेश भर में पूर्ण हड़ताल किये जाने के बारे में शासन के पास कोई सूचना नहीं है।

श्री रामगोपाल संड--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुए और समाचार-पत्रों के संवाददाता यहां सामने बैठे हुए हैं, सब अखबारों में यह चीज छपी थी कि कपड़ा व्यापारियों ने हड़ताल की थी। कपड़ा व्यापारियों के विचारों को केन्द्रीय सरकार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना--

इस सिलसिले पर मंत्रि-परिषद् स्तर पर एक फैसला लिया गया। प्रदेश की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया क्योंकि इस समय प्रदेश के रेवेन्यू के हित

में यही मुनासिब समझा है कि बिक्री-कर लगाया जाय बनिस्बत इसके कि चालू व्यवस्था को जारी रखा जाय।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्पादन शुल्क लगाने से केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को कितनी आय होती है, और इस बिक्री-कर से कितनी होगी? बिक्री-कर में सरकार ने बताया था कि ३० करोड़ रुपया बकाया है तो इस प्रकार बिक्री-कर लगाने से सरकार की आमदनी बढ़ेगी अथवा बकाया बढ़ेगा?

श्री रामसिंह खन्ना—

उत्पादन शुल्क के जरिये से सरकार को साढ़े छः, सात करोड़ के लगभग आय होती है लेकिन बिक्री-कर के जरिये से अनुमान यह है कि दुगुनी, तिगुनी आय होने की आशा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कपड़े के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इससे उपभोक्ता बहुत कठिनाई में पड़े हुए हैं? क्या टैक्स लगाते समय मंत्री जी इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि कपड़े के मूल्य एक सीमा से अधिक न होने पायें?

श्री रामसिंह खन्ना—

इस बात का पूरा ध्यान रखा जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

२२ मई, १९७० को, जिस दिन यह हड़ताल हुई थी उसी दिन यह प्रश्न श्री कृष्णस्वरूप वैश्य ने विधान सभा में उठाया था। उस दिन तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री नारायणदत्त तिवारी ने यह आश्वासन दिया था कि इस पर विचार करते समय कपड़ा व्यापारियों को कन्फीडेंस में लिया जायगा।

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

अभी तो बिक्री-कर लगाने का प्रश्न ही नहीं है, केन्द्रीय सरकार से बातचीत करने का प्रश्न है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखकर कि बिक्री-कर की वसूली में बहुत भ्रष्टाचार है, केन्द्रीय सरकार से उत्पादन शुल्क को दुगुना करने की सिफारिश करेंगे और बिक्री-कर न लगायेंगे तथा तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसको पूरा करेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश—

उस समय के वित्त मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया होगा वह तो सामने रहेगा ही लेकिन हम तो केंद्रीय सरकार से यह कहना चाहते हैं कि इस प्रणाली को बदल दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या यह सही है कि यह प्रश्न २८ दिसम्बर को होने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद के एजेंडे में आ गया है तो सरकार ने इस संबंध में अपनी नीति क्या निर्धारित की है? इस संबंध में क्या स्टैंड लेगी?

श्री कैलाश प्रकाश—

सरकार की नीति तो यही है कि यह सरकार चाहती है कि केंद्रीय सरकार अपनी इक्साइज की बात छोड़ दे और बिक्री-कर लगाने का अधिकार प्रदेश को दे।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जितना उन्होंने बिक्री-कर से आय बढ़ने का अनुमान लगाया है तो उसको इकट्ठा करने में कितना व्यय बढ़ेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

व्यय के सब आंकड़ों को तौलने के बाद ही निश्चय किया गया है कि इतनी आय होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केंन्द्रीय सरकार से बातचीत के बाद जब वे बिक्री-कर लगायेंगे तो कपड़ा कमेटी के प्रतिनिधियों को बातचीत करने का मौका देंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जब कोई कर लगाते हैं तो जिनसे बातचीत करने की आवश्यकता होती है बातचीत होती रहती है लेकिन किसी विशेष संस्था से बातचीत करने का आश्वासन नहीं दिया जा सकता ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी इस पर बल देंगे कि उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया जाय और उसमें प्रदेश का हिस्सा मिल जाय और बिक्री-कर न बढ़ाये जायं क्योंकि कपड़े के व्यापारियों को बड़ी परेशानी होती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, मैं तो अपनी नीति स्पष्ट कर चुका हूं कि हम यह कहेंगे और अन्य प्रदेश भी यही कह रहे हैं कि बिक्री-कर लगाने का अधिकार प्रदेशों को वापस कर दिया जाय ।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बिक्री-कर बढ़ाने के कारण व्यापारियों ने कपड़े के दाम २० प्रतिशत बढ़ा दिये है ? यदि हां, तो क्या वे इसको रोकने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, अभी तो बिक्री-कर लगा नहीं है इसलिये जो परिस्थिति पैदा हो रही है वह इसकी वजह से नहीं हो रही है ।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बिक्री-कर लगाने का जो सरकार के सामने प्रश्न विचाराधीन है तो उसमें मोटे कपड़े पर न लगाकर बारीक कपड़े पर लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है । लेकिन आप उत्तर देना चाहें तो दें ।

श्री कैलाश प्रकाश—

मान्यवर, जैसा आपने कहा कि यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है अभी तो केंन्द्रीय सरकार से बातचीत हो रही है कि वह बिक्री-कर लगाने के अधिकार को वापस कर दें । जब वापस हो जायेगा तब विचार होगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त ।

नोट—तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*५—श्री रामगोपाल संड—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित]

कानपुर स्थित रोडवेज चुन्नीगंज डिपो के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*६—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि रोडवेज के कानपुर के चुन्नीगंज डिपो के अन्तर्गत कार्य करने वाले ए० टी० आई०, आफिस क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, ड्राइवर तथा कंडक्टरों की कुल अलग-अलग कितनी संख्या है, उसमें से ५ वर्ष से अधिक अवधि के एक ही स्थान पर कार्य करने वाले अलग-अलग कितने व्यक्ति हैं ? उपरोक्त कर्मचारियों में ५ वर्ष से अधिक अवधि वालों का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कानपुर क्षेत्र के चुन्नीगंज डिपो के अन्तर्गत सहायक यातायात निरीक्षक, कार्यालय सहायक द्वितीय, बुकिंग क्लर्क, ड्राइवर तथा कंडक्टरों की कुल संख्या तथा उनमें से ५ वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

पदनाम	कुल संख्या	५ वर्ष से अधिक अवधि से कार्य करने वालों की संख्या
सहायक यातायात निरीक्षक	१६	..
कार्यालय सहायक–द्वितीय	१६	७
बुकिंग क्लर्क	१३८	६८
ड्राइवर	१८६	१२६
कंडक्टर	१८५	१२२

कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रशासकीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाता है । जब आवश्यकता होगी स्थानान्तरण किये जायेंगे ।

विधायकों को दिये गये स्कूटर्स

*७—श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९–७० में कितने विधायकों को वस्पा स्कूटर खरीदने की सुविधा दी गई और कितने ऐसे विधायक हैं जिनके प्रार्थना-पत्रों पर अब तक स्वीकृति नहीं दी जा सकी और क्यों ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

वर्ष १९६९–७० (१ अप्रैल, सन् ६९ से ३१ मार्च, ७० तक) में वेस्पा स्कूटर के लिये विधायकों से कुल २६४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये । उनमें से १२० विधायकों को वेस्पा तथा ७६ विधायकों को लम्ब्रेटा स्कूटर आवंटित किये गये । शेष ६८ प्रार्थना-पत्रों पर उपलब्धि की सीमा के कारण आवंटन नहीं किया जा सका ।

*८—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*९—श्री शमीम आलम—

[३रे मंगलवार के प्र० सं० ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका, जिला परिषद् तथा राज्य कर्मचारियों के लिये वेतन-आयोग का गठन

*१०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार राज्य कर्मचारियों तथा नगरपालिका एवं जिला परिषद् के लिये गठित वेतन आयोग को पुनर्गठित करने जा रही है? यदि हां, तो उसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री कैलाश प्रकाश—

इस समय कोई वेतन आयोग गठित नहीं है अतएव उसके पुनर्गठन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

नवाबगंज शुगर मिल्स कम्पनी, गोंडा के मजदूरों के श्रम विवाद का निर्णय

*११—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतावेंगे कि नवाबगंज शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, गोंडा के मजदूरों का श्रम विवाद जो सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ को आर्बीट्रेटर (पंच) बनाकर आर्बीट्रेशन केस नं० ५, सन् १९६६ के द्वारा उन्हें दिया गया था अभी तक निर्णय नहीं हो पाया? यदि हां, तो इतना विलम्ब क्यों हुआ और अब कब तक निर्णय हो जायेगा?

श्री हिम्मत सिंह—

मध्यस्थ निर्णय दिया जा चुका है।

जिला गोरखपुर में स्थानीय बसें तथा मोतीराम अड्डे पर बुकिंग कार्यालय खोलने की मांग

*१२—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या परिवहन मंत्री जांच कर बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोरखपुर में लोकल बसें कहां से कहां तक इस सत्र १९७०—७१ में चलाई जा रही हैं? क्या लोकल बस सेवा हेतु गोरखपुर कचहरी से मोतीराम अड्डा होते हुये चौरी-चोरा तक मांग की गई है? यदि हां, तो क्या यह कार्य अब तक क्यों नहीं सम्पन्न हुआ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

गोरखपुर जनपद में निम्नलिखित लोकल बसें चलाई जाती हैं:—

(१) सहजनवां से गोरखपुर,
(२) मोतीराम अड्डा से कचहरी,
(३) फर्टीलाइजर से कचहरी,
(४) मानीराम से कचहरी,
(५) भटहट से कचहरी।

जी हां, मोतीराम सिटी बस सेवा को चौरी-चौरा तक बढ़ाने की मांग की गई थी किन्तु बसों की कमी के कारण उक्त मांग पूरी नहीं की जा सकी।

*१३—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या परिवहन मंत्री को यह भी ज्ञात है कि मोती राम अड्डा बुकिंग आफिस हेतु जनता ने मांग की है। यदि हां, तो यह कार्य कब तक होगा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी हां, मोतीराम अड्डा पर बुकिंग कार्यालय खोलने की मांग की गई है किन्तु कोई उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण वहां पर बुकिंग कार्यालय खोलना संभव नहीं है ।

गोरखपुर जिला जेल में कुछ व्यक्तियों को उच्च श्रेणी देना तथा पुनः इससे वंचित करना

*१४—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ मई, १९६८ से ३० जून, १९६८ तक गोरखपुर जिला जेल में कितने लोगों को उच्च श्रेणी की सुविधा दी गई थी ?

*१५—क्या सरकार यह बतायेगी कि १ अगस्त, १९७० से १५ सितम्बर, १९७० तक गोरखपुर जिला जेल में कितने लोगों को उच्च श्रेणी दी गई ? क्या यह बात सही है कि जिन लोगों को १९६८ में उच्च श्रेणी की सुविधा दी गई थी उन्हें १९७० में वंचित कर दिया गया है ? इसका क्या कारण है।

सूचना मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बस्ती तथा प्रतापगढ़ जिला जेलों की बैरकों की मरम्मत

*१६—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) श्री राम करन (गोरखपुर)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती तथा प्रतापगढ़ जेल में कितनी कितनी बरिक हैं ? कितने दिनों से बैरिकों की मरम्मत नहीं कराई गई ?

श्री त्रिलोक चन्द—

जिला कारागार बस्ती में १८ तथा जिला कारागार प्रतापगढ़ में १० बैरकें हैं । दोनों जिला जेलों की बैरकों की मरम्मत १९६८-६९ में कराई गई थी ।

राष्ट्रीयकरण किये गये मार्गों पर प्राइवेट बसों को परमिट देना

*१७—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या परिवहन मंत्री को पता है कि जिन रोडों का प्रांतीयकरण किया गया है और सरकारी रोडवेज की बसें चलती हैं उन सड़कों पर सिर्फ १२ मील पक्की सड़कों पर ही प्राइवेट बसों को जाने का परमिट दिया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

प्रांतीयकरण से सम्भवतः तात्पर्य राष्ट्रीयकरण से है । जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है उन पर साधारणतः केवल राजकीय रोडवेज की बसें ही चलायी जा सकती हैं । एसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि राष्ट्रीयकरण मार्गों पर प्राइवेट बसों को यदि चलाने की इजाजत मिले तो केवल १२ मील की दूरी तक ही चलाने का परमिट दिया जाय । अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत जो प्रविधान हैं उनके अनुसार ही प्राइवेट बसों को परमिट दिया जा सकता है ।

आगरा में कन्डक्टरों की नियुक्ति हेतु परीक्षा

*१८—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज आगरा में कन्डक्टरों के चुनाव के लिये लिखित परीक्षायें सम्पन्न हुये लगभग एक वर्ष हो गया ? यदि हां, तो परिणाम कब घोषित किया जायगा ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोंडा आई० टी० आई० के प्रधानाचार्य को बस्ती तथा बहराइच आई० टी० आई० का कार्य देखने हेतु, दिया गया टी० ए०

*१९—श्री सुखपाल पांडेय, श्री राम करन (गोरखपुर) तथा श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के आई० टी० आई० में प्रधानाचार्य कितने दिनों से, नहीं है और प्रधानाचार्य पद के लिये गोंडा, बस्ती, बहराइच तीनों जिलों में केवल एक ही आदमी कार्य कर रहा है। यदि हां, तो प्रधानाचार्य के टी० ए० पर कितना रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है।

श्री हिम्मत सिंह—

दिनांक १४ फरवरी, १९६९ से १२ जुलाई, १९७० तक तथा दिनांक १८ सितम्बर, १९७० से अब तक बस्ती जिले के आई० टी० आई० में कोई प्रधानाचार्य नहीं रहा।

गोंडा आई० टी० आई० के प्रधानाचार्य ने अपने कार्य के अतिरिक्त बस्ती आई० टी० आई० का कार्य दिनांक १४ फरवरी, १९६९ से १२ फरवरी, १९७० तक तथा बहराइच आई० टी० आई० का कार्य दिनांक १२ अगस्त, १९६६ से १३ जुलाई, १९७० तक किया। इस समय दिनांक १८ सितम्बर, १९७० से बस्ती आई० टी० आई० का कार्य वहां के सेवायोजन अधिकारी देख रहे हैं।

उक्त अवधि में अतिरिक्त कार्य किये जाने के संबंध में गोंडा आई०टी०आई० के प्रधानाचार्य को जो यात्रा भत्ता दिया गया, उस का विवरण निम्न है।

वर्ष		बस्ती आने जाने में	बहराइच आने जाने में
१९६६–६७	(१२-८-६६ से ३१-३-६७ तक)	..	..	१८५.४०
१९६७–६८	..	..	..	..	५८८.१५
१९६८–६९	(१४-२-६९ से ३१-३-६९तक)	..	१४२.००	७१९.४०
१९६९–७०	..	..	..	९३६.६०	७६४.९०
१९७०–७१	(१–४–७० से १२–७–७० तक)	..	२०८.१०	१३४.४० (१–४–७० से १३–७–७०तक)

जिला कारागार, मेरठ में गबन आदि की जांच

*२०—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री को जिला कारागार मेरठ के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार की शिकायतों से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक १८ सितम्बर, १९७० प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री त्रिलोक चन्द—

माननीय सदस्य का दिनांक ९ सितम्बर, १९७० का एक ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था। उन शिकायतों के संबंध में कारागार महानिरीक्षक द्वारा जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

जिला जेल, कानपुर में संसोपा सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज

*२१—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या कारागार मन्त्री बतायेंगे कि जिला जेल कानपुर में दिनांक २२ अगस्त, १९७० को जेल कर्मचारियों द्वारा संसोपा सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किया गया ? यदि हां, तो उसका कारण क्या था तथा किन-किन सत्याग्रहियों को चोटें आई और उक्त लाठी चार्ज के दोषी जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री त्रिलोक चन्द—

२२-८-७० को पहले दो सत्याग्रहियों ने बैरक के गेट वाले वार्डर से फाटक खोलने के सम्बन्ध में झगड़ा किया और उसको जमीन पर पटक दिया और चाबी का गुच्छा और उसका डंडा छीन कर उसी से उसको मारा। वार्डर के एलार्म करने पर अन्य वार्डर, नम्बरदार तथा जेल अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गये। थोड़ी देर बाद जेलर भी वहां पहुंचे। उसी समय २०, २५ सत्याग्रहियों ने जेलर को घेर लिया। वार्डरों और नम्बरदारों ने सत्याग्रहियों को तितर-बितर करने के लिये डंडों का प्रयोग किया और जेलर को बचाया। इस घटना में ९ सत्याग्रहियों के साधारण चोटें आई और जेलर की उंगली टूट गई। कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*२२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*२३—श्री सियाराम तथा श्री नेतराम सिंह—

[५वें सोमवार के लिये स्थगित]

अधीक्षक, मेरठ जेल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

*२४—श्री मंजूर अहमद—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार के भूतपूर्व जेल मन्त्री ने मरठ के जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट के भ्रष्टाचार के आरोप में उनको मेरठ से तुरन्त हटाने के आदेश किये थे ? क्या यह भी सही है कि उन्होंने जनता की शिकायत पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच कराने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री त्रिलोक चन्द—

श्री भगवान दास अरोरा, अधीक्षक, मेरठ जेल, छुट्टी चले गये हैं और उनके स्थान पर दूसरे अधीक्षक तैनात कर दिये गये हैं। शासन ने शिकायतों पर जांच के आदेश दिये थे जो अभी पूर्ण नहीं हुई है।

*२५—श्री रामचन्द्र लिकल—

[५वें सोमवार के लिये स्थगित]

बस्ती जिला से अयोध्या मेले तक चलाई गई बसें

*२६—श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती) तथा श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तारीख ४ नवम्बर, से १४ नवम्बर, १९७० तक बस्ती जिला से अयोध्या मेला के वास्ते कितनी गाड़ियां चलाई जाती थीं और हर गाड़ी रोजाना कितनी बार आती-जाती थीं तथा कितने यात्रियों ने यात्रा की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

दिनांक ४–११–७० से १४–११–७० तक बस्ती जिला से अयोध्या मेले के वास्ते ७३ बसें चलाई गई तथा इन बसों ने कुल ८५३ फेरे किये और २९,२२७ यात्रियों ने यात्रा की। प्रत्येक गाड़ी द्वारा प्रतिदिन किये गये फेरों आदि का विस्तृत विवरण माननीय सदस्य मेरे कमरे में देख सकते हैं।

तहवीलदार मनीटेस्टरों को सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधायें

*२७—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९६४ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में उत्तर प्रदेश के तहवीलदार मनीटेस्टरों को सरकारी कर्मचारी मान लिया है? यदि हां, तो क्या उस निर्णय के अनुसार आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं कि तहवीलदार मनीटेस्टरों को वही सुविधायें मिलेंगी जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—

स्टेट आफ उत्तर प्रदेश बनाम अवध नारायण सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ९–३–१९६४ के निर्णय में तहवीलदारों को संविधान के अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत सुरक्षा का पात्र बताया था। पर उन्हें स्पष्ट रूप से पूर्ण रूपेण सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित किया था और न सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सारी सुविधायें प्रदान किये जाने की कोई बात कही थी। अतः शासन ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय को स्वीकार करते हुये तहवीलदारों और मनीटेस्टरों को संविधान की धारा ३११ (२) की सुरक्षा देने की बात मान ली पर अन्य सुविधायें देने का कोई निर्णय नहीं किया। कैश शाखा के कर्मचारियों के प्रतिवेदन एवं प्रार्थना-पत्र शासन को अन्य सुविधायें देने के लिये प्राप्त हुये हैं जिन पर विचार हो रहा है।

*२८—श्री निर्भयनारायण सिंह—

[५वें सोमवार के लिये स्थगित]

*२९–३०—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[५वें सोमवार के लिये स्थगित]

*३१—श्री श्रीराम सिंह—

[स्पष्टीकरण के लिये हटाया गया।]

*३२—श्री नौनिहाल सिंह, श्री राजेश्वर सिंह तथा श्री शौनाथ सिंह—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित]

सहारनपुर में आयोजित प्रदर्शनी के उद्देश्य

*३३—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २६ मई, १९७० से जो नुमाइश सहारनपुर में लगाई गई उसका उद्देश्य क्या था और उसमें मुख्य-मुख्य किन उद्योगों अथवा कृषि सम्बन्धी प्रदर्शनों का आयोजन किया गया था? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस नुमायश की प्रबन्ध समिति के कौन-कौन सदस्य थे और इसकी उप-समितियों में किन-किन गैर-सरकारी व्यक्तियों को रखा गया था?

श्री त्रिलोक चन्द—

जिला सहारनपुर में २६–५–७० से एक प्रदर्शनी का आयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया गया था—†

(१) विकास कार्यों की प्रगति से, विशेष कर कृषि एवं पशुपालन की प्रगति से जनता को अवगत कराना ।

(२) जिले के घरेलू उद्योग धन्धों को बढ़ावा देना, उनके लिये ग्राहक पैदा करना तथा उत्पादक एवं ग्राहक के बीच सम्पर्क बढ़ाना ।

(३) सांस्कृतिक कार्य-क्रमों द्वारा देश की कला को बढ़ावा देना ।

प्रदर्शनी में जिले के मुख्य उद्योग धंधों कृषि एवं सिंचाई के यंत्रों, चमड़ा उद्योग, लकड़ी उद्योग और फल संरक्षण इत्यादि का प्रदर्शन किया गया । जिला नियोजन विभाग द्वारा नियोजन कार्यों का प्रदर्शन हुआ तथा जनता के मनोरंजन के लिये कवि-सम्मेलन, मुशायरा, कव्वाली, संगीत सम्मेलन एवं दंगल का आयोजन किया गया ।

प्रदर्शनी की प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं उप समितियों के गैर सरकारी सदस्यों की †सूची संलग्न है ।

अतारांकित प्रश्न

नैनी सेन्ट्रल जेल में कृषि योग्य भूमि

१—श्री रामगोपाल संड—

क्या जेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनी सेन्ट्रल जल, इलाहाबाद म कितनी जमीन खेती योग्य है ? इसमें क्या-क्या बोया जाता है ? क्या सरकार इस जेल में या इसके बाहर निकट ही सिंचाई के लिये कोई ट्यूबवेल लगवा रही है ?

श्री त्रिलोक चन्द—

३५.४३ हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है । इसमें सब्जी, अनाज तथा जानवरों क लिये चारा बोया जाता है । जेल के अन्दर पीने के पानी तथा सिंचाई के लिये एक और जेल के बाहर सिंचाई के लिये दो ट्यूबवेल लगे हैं ।

इलाहाबाद कोषागार में कर्मचारियों का स्थायीकरण

२—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले के खजाने (ट्रेजरी) में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी गत ६ से अधिक वर्षों से अस्थाई हैं ? इन्हें सरकार कब तक स्थायी करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—

इलाहाबाद कोषागार में गत ६ या अधिक वर्षों से कार्य करने वाले ६ तृतीय श्रेणी के और ३ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अस्थायी हैं । इनकी नियुक्ति एवं स्थायीकरण के अधिकार जिलाधिकारी को हैं । पर कुछ ऐसे कर्मचारियों की नियुक्तियां इलाहाबाद कोषागार में कर ली गई थी जो निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं और जिन्होंने नियुक्ति के समय निर्धारित परीक्षा पास नहीं की । जिलाधिकारी ने जब उन्हें निर्धारित योग्यता आदि से मुक्त किये जाने की संस्तुति की तो शासन ने इसे स्वीकार नहीं किया । तदुपरान्त जिलाधिकारी ने दुबारा शासन से संस्तुति की है और उस पर विचार हो रहा है ।

---

† छापी नहीं गई ।

सेवायोजन कार्यालय, इलाहाबाद द्वारा रजिस्टर्ड प्रार्थियों को नौकरी दिलाना

३—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के रोजगार के दफ्तर में कितने लोगों का नाम वर्ष १९६८–६९, १९६९–७० तथा १ अप्रैल, १९७० से १५ अक्टूबर, १९७० तक दर्ज हुआ ? इनमें से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को कार्य दिया गया है ?

श्री हिम्मत सिंह—

१९६८–६९, १९६९–७० और १–४–७० से ३१–१०–७० तक दर्ज होने वाले प्रार्थियों की सं० ४२,५९५; ४४,२२३ और २६,७१५ थी जिनमें से क्रमशः १,९२४; १,८२३ और १,०१७ को काम पर लगाया गया। चूंकि कार्य के आंकड़े माह के अन्त में संबंधित किये जाते हैं अतः १५ अक्टूबर, १९७० तक ही के आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

विधान सभा द्वारा पारित विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प को निरस्त करने के संकल्प के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब शुक्रवार को सदन स्थगित किया गया तो उसके संबंध में एक व्यवस्था चाह रहा हूं कि अपने विधान परिषद् के प्रस्ताव को रद्द करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी उस विषय पर मैंने सदन के समक्ष एक वैधानिक आपत्ति रखी थी। उसी प्रकार की वैधानिक आपत्ति माननीय उदितनारायण जी शर्मा, गोविन्द सिंह नेगी तथा अन्य कई माननीय सदस्य रखना चाहते थे और माननीय नेता जनसंघ, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी भी रखना चाहते थे और जब हम आपके कमरे में गये तो आपने कहा कि वह जो आपत्ति है वह उस बहस के अन्दर भी रखी जा सकती है और उसके अन्दर यदि वह आपत्ति आपको स्वीकार हो गयी तो उसी आपत्ति के ऊपर आप इस प्रस्ताव को रद्द भी कर सकते थे। मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या पहले उस प्रश्न के आने पर इस कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट पर आप अपना निर्णय दे देंगे ताकि सब लोगों का समय बच जाये और इसके बाद उस पर बहस को सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है कि बीच में भाषण देते हुये आपत्ति का भी जिक्र किये जायं और बहस करें तो मैं इजाजत दे दूंगा। जिस चीज को मैंने रखा था वह यह कि शुक्रवार को अगर यह बहस चलती रही कि प्रस्ताव आ सकता है कि या नहीं और सदन का समय समाप्त हो गया होता तो वह प्रस्ताव ही लैप्स हो जाता और मैंने अगर फैसला दे दिया कि यह सही है कि निरस्त करने का प्रस्ताव आ सकता है तो वह फैसला बेकार हो जाता और दूसरों का हक मारा जाता इस बात के लिये कि वे उसके ऊपर फिर चर्चा कर सकें। तो चर्चा भी होती रहेगी प्रस्ताव के ऊपर और यह भी जो आपत्ति करना चाहते हैं प्रस्ताव नहीं आ सकता वे भी अपनी बात कह सकें इसलिये उस पर भी बहस हो सके इसलिये मैंने पहले आपको इजाजत दे दी आपत्ति करने की और तब तक वह प्रस्ताव नहीं आ सका, मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पहिले इजाजत दे देनी चाहिये थी और फिर आपत्ति आती तो ज्यादा अच्छा होगा। मगर जब मैंने देखा कि सब का हक मारा जायगा तो यह उचित नहीं होगा और जब मेरे पास ऐडवोकेट-जनरल की राय आ चुकी थी उस वक्त मुझे उचित नहीं लगा कि दूसरे लोगों का हक मारा जाय। इसलिये मैंने प्रस्ताव समय के अन्दर उपस्थित कर दिया आप अब बोल सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

वह तो ठीक ही है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मैं चाह रहा हूं कि बहस हो तो पहले प्रिलिमिनरी इश्यु कर के इसको डिसाइड कर दें फिर बहस शुरू करें ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई ऐसी बात नहीं है, इसको मैं देख लूंगा । आज तीन प्रस्ताव हैं जो १ बजे तक खत्म होने हैं, यह तय हो चुका है। इसलिये ऐसी व्यवस्था के प्रश्न में न पड़ें।

उत्तर प्रदेश में ५ पावर प्रोजेक्ट्स खुलने के सम्बन्ध में चर्चा की मांग

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)--

एक आवश्यक निवेदन करना है । अभी १८ तारीख को केंद्रीय सरकार ने एक महत्व-पूर्ण घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में ५ पावर प्रोजेक्ट्स खोले जायेंगे और इसके साथ-साथ यह भी उन्होंने कहा है कि इस पर भी विचार हो रहा है कि ऐटमिक एनर्जी का प्रोजेक्ट भी यू०पी० में खोला जायेगा । इस तरह से यह दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा है ।

श्री अध्यक्ष--

इसके ऊपर चर्चा करने के लिये आप भेज सकते हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र--

यही मैं चाहता हूं कि इस सदन के उठने से पूर्व ....

श्री अध्यक्ष--

मुझे लिख कर भेज दें, मैं सरकार से पूछ लूंगा । अब यहां बहस न करें ।

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय शर्मा जी ने पता नहीं किस घोषणा का जिक्र कर दिया जिसकी कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है और यह सारी बात काल्पनिक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

यह बड़े महत्व की है । इस सदन में बार बार चर्चा हो चुकी है कि यहां बिजली की कमी है और २०० मेगावाट की रोस्टरिंग चल रही है....

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा न कि आप मुझे लिख कर भेज दें ।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) विधेयक, १९७०

सचिव विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११९७ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगें पृष्ठ ११९८ पर)

उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा १० दिसम्बर, १९७० को पारित किया गया था, तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १८ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है ।

आश्वासन समिति का ३२वां प्रतिवेदन†

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन् पूर्व इसके कि मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष आश्वासन समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करूं खेद प्रकट करना चाहता हूं कि प्रतिवेदन की छपी हुई प्रतियां माननीय सदस्यों की सेवा में प्रस्तुत नहीं कर सका । जहां मैं खेद प्रकट कर रहा हूं वहां आपकी आज्ञा से सरकार से भी यह निवेदन करना चाहता हूं, और जैसा कि श्रीमन् की भी स्वयं जानकारी है, कि सदन के कार्य को सरकारी कार्य अधिक प्राथमिकता दे । श्रीमन्, आपके द्वारा मेरी सरकार से पुनः प्रार्थना है कि वे सदन के कार्य को सरकारी कार्य से ज्यादा प्राथमिकता दिया करें ।

अब मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का ३२वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

२—यह प्रतिवेदन उन आश्वासनों से संबंधित है जो विधान सभा में १९६२ से १९६५ तक की अवधि में दिये गये थे । इन आश्वासनों पर विचार करते समय समिति ने इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा कि इन आश्वासनों को दिये हुये पांच वर्ष से लेकर आठ वर्ष तक का समय व्यतीत हो चुका है और माननीय सदस्यगण इस अवधि में अपने प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित रहे हैं । अतः समिति ने विवश होकर उन आश्वासनों को भी समाप्त करने का निश्चय किया है जो अभी अपूर्ण हैं । परन्तु समिति शासन से आशा करती है कि वह इनकी पूर्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करता रहेगा । आश्वासनों के महत्व को देखते हुए समिति ने केवल चार आश्वासनों को जीवित रखने का निश्चय किया है ।

३—इन आश्वासनों पर विचार करते समय समिति के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य आये हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख करना आवश्यक है । समिति को ऐसा आभास हुआ है कि उसे कभी-कभी

†छापा नहीं गया ।

[श्री रामचन्द्र विकल]

गुमराह करने का प्रयास किया गया है । इस संबंध में मैं एक आश्वासन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । बलिया जिले में रसड़ा तथा बिल्थरा रोडवेज स्टेशनों के नीचे धरातल पर बनाये जाने के संबंध में माननीय परिवहन मंत्री द्वारा उसकी जांच कराने का आश्वासन दिया गया था । परिवहन विभाग द्वारा इसकी पूर्ति के संबंध में यह सूचना दी गई कि यह बस स्टेशन नीचे धरातल पर नहीं बने हैं । वास्तविकता यह है कि यह नीचे धरातल पर ही बने हैं । इसके अतिरिक्त एक अन्य आश्वासन ऋषिकेश-बद्रीनाथ यात्रा मार्ग के राष्ट्रीयकरण के बारे में दिया गया था । समिति को सूचना दी गई कि इस मार्ग पर रोडवेज की बसें चलाई गईं, परन्तु लाभदायक न होने पर इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार त्याग दिया गया । समिति ने जानकारी की है कि यह मार्ग लगभग १८३ मील लम्बा है । जिसके अंतिम भाग में जोशीमठ से बद्रीनाथ तक ही बसें चलाई गईं । मार्ग से प्रारम्भिक स्थान ऋषिकेश को सप्लाई बेस बनाया गया । यह सोचने की बात है कि १५० मील नीचे से हर चीज भेजने में ज्यादा लागत आयेगी जिससे प्रति किलोमीटर खर्च बढ़ेगा । समिति शासन से आशा करती है कि वह ऐसे आदेश सभी विभागों को शीघ्र जारी कर दे जिससे इस बात की पुनरावृत्ति न हो ।

समिति ने यह भी देखा है कि शासन अपने विभागाध्यक्षों से भी समय समय पर सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है । किन्हीं किन्हीं मामलों में यह विलम्ब ४ वर्ष तक का हो गया है । यह चीज उस समय अत्यधिक अखरने वाली है जब कि उन विभागाध्यक्षों के कार्यालय लखनऊ में ही स्थित हैं। शासन को इस बारे में ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे आश्वासनों की पूर्ति के बारे में यथासंभव शीघ्रता हो सके ।

अन्त में मैं इस समिति से संबंधित सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनके परिश्रम तथा सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

जो आश्वासन पूर्ण नहीं हुये हैं, उसमें क्या बात हुई, सरकार अपना दृष्टिकोण शीघ्र ही कृपया इस सदन के सामने रखे । क्योंकि सरकार ने जब आश्वासन दिया था तो वह उसके बारे में आश्वासन दें कि वह कैसे रह गया ।

श्री अध्यक्ष---

सवाल यह है कि वह पढ़ तो लें पहले उस रिपोर्ट को ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

यह तो बतला ही दिया गया है, दो, तीन दिन में वे अपना दृष्टिकोण बतला दें लेकिन वे तो चुप्पी साधे हुये हैं । मौन व्रत अच्छा नहीं रहता है ।

विद्युत मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)--

यह ठीक बात है, जो आश्वासन दिया है उसको पूरा करना चाहिये । जो रिपोर्ट आयी है वह हमारे पास आ जायेगी, उसके बाद जल्द से जल्द किसी दिन सदन में हम अपनी राय रख देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह चर्चा का विषय नहीं है ।

दैनिक "नवजीवन" के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दो माननीय सदस्यों ने मेरे पास भेजी है। वे हैं श्रीराम सिंह तथा श्री विजयपाल सिंह। इनका कहना है कि दैनिक "नवजीवन" के अंतिम पृष्ठ पर छाप दिया गया है कि उन्होंने (दोनों सज्जनों ने) अपनी पार्टी जनसंघ को छोड़ दिया है। मैं उसमें से पढ़ देता हूं जो उन्होंने भेजा है। उसमें लिखा हुआ है कि "जनसंघ के श्रीराम सिंह और श्री विजयपाल सिंह ने जनसंघ विधान सभा दल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।" उनका कहना है कि यह उनके विशेषाधिकार की अवहेलना है और उनका अपमान करने के लिये यह झूठा छाप दिया है।

विशेषाधिकार का प्रश्न इसमें इसलिये नहीं उठता कि पहले तो यह बात अखबार के आधार पर है। उनको जो जानकारी होती है वे छाप देते हैं। उसके लिये प्रतिवाद देना जरूरी है। प्रतिवाद छपवाने के लिये उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी नहीं है और उसके पहले ही एक दम से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठा दिया है। यदि पहले वे यह कार्यवाही करते और उसके बाद देख लेते कि प्रतिवाद छापते हैं या नहीं छापते हैं, फिर यह प्रश्न उठ सकता है। यह तो हो सकता था कि साधारण तौर पर यहां सदन में बैठने और यहां से अखबार को अपनी रिपोर्ट भेजने के प्रश्न पर जो मेरे पास शक्ति है उसका मैं उपयोग कर सकता था। लेकिन एकदम से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आ जाय, यह जरूरी नहीं है। प्रतिवाद भेजना साधारण सी बात है, अखबार के पास उन्होंने प्रतिवाद भेजा नहीं है, इसलिये यह विशेषाधकार की अवहेलना का प्रश्न होता नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

प्रतिवाद के लिये उन्होंने लिखा है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें उन्होंने लिखा नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या इसमें लिखना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष--

जी हां, आवश्यक है

(व्यवधान)

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यह लिखना आवश्यक है कि प्रतिवाद...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

लांछन लगाया है कि जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की। आपने प्रतिवाद भेजा और नहीं छपा। यह कहना आपको जरूरी था। मैंने फैसला दे दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अध्यक्ष महोदय, आपके सामने तथ्य लाये जायेंगे।

श्री प्यारेलाल---

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि दोनों सदस्य मौजूद नहीं हैं । पता नहीं उन्होंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव लिखकर भेजा है या नहीं । उन दोनों सदस्यों को सुन लिया जाय कि उन्होंने दल बदला भी है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

यहां डिप्टी स्पीकर बैठे थे १७ तारीख को । उन सदस्यों ने प्रतिवाद कि ा कि हमने इस्तीफा नहीं दिया ।

श्री शंकर प्रसाद जायववाल (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष जी, आपने अपनी चेयर से यह कहा कि क्योंकि संबंधित विधायक महोदय ने समाचार पत्र को प्रतिवाद नहीं दिया । इसकी सूचना उन्होंने आपको नहीं दी है इस नाते से यह अवमान का जो प्रश्न उठाया वह आप नहीं लेते । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुये यह चाहूंगा कि आप हमको वह उपधारा बता दें जिसके अन्तर्गत यह निहित है जिसमें यह लिखा जाना आवश्यक है कि उन्होंने प्रतिवाद किया है कि नहीं किया है । नहीं तो मैं आग्रह करूंगा कि आप सदस्य से जानकारी करके यह रूलिंग दें कि उसने प्रतिवाद भेजा है अथवा नहीं भेजा है । भेजा है तो छपा है या नहीं छपा है । मैं यह भी कहना चाहता हूं प्यारे लाल जी के लिये कि प्यारेलाल जी अपने जैसा और विधायकों को न समझें ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा गृह मंत्री को वक्तव्य के लिये पुकारने पर)

(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है । सुन तो लीजिये । यह कार्यवाही वैधानिक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

यह वैधानिक है । आप कृपया बैठें ।

ग्राम सैफपुर चिल्लू, थाना मैनाठेर, जिला मुरादाबाद में गोली चलने के फलस्वरूप ५ व्यक्तियों की कथित मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह)---

श्री अबरार हुसेन, निवासी ग्राम सैफपुर चिल्लू, थाना मैनाठेर, जिला मुरादाबाद, ने दिनांक ११-१२-७० को थाना मैनाठेर पर एक मौखिक रिपोर्ट लिखाई थी कि उनके ग्राम की मसजिद में अखतर हुसेन पेश इमाम था । वादी की अखतर हुसैन व उसके चाचा इसराइल से खेत की मेड़ तोड़ने के संबंध में कुछ समय पूर्व कहा सुनी हो गई थी । थोड़े दिन बाद बांके व नवाब जान व उनके खानदान वालों ने अखतर हुसेन को पेश इमाम के पद से हटा दिया और अपने आदमी हाफिज नन्हें को पेश इमाम बना दिया । अखतर हुसैन को पेश इमाम के पद से हटाने के कारण उसके संबंधी असगर हुसैन व अन्य को बुरा लगा और उन्होंने कई बार हाफिज नन्हें को पेश इमाम के पद से हटाने की जिद की और न हटाने पर गम्भीर परिणाम की धमकी दी । दिनांक ११-१२-७० को जुम्मा की नमाज के समय भी असगर हुसैन व उसके लड़के इसराइल ने पेश-इमाम हाफिज नन्हें को हटाने की जिद की किन्तु बांके व नवाब जान राजी नहीं हुये । इस पर असगर हुसैन व इसराइल धमकी देते हुये बिना नमाज पढ़े मसजिद से चले गये । नमाज के बाद दो बजे दिन वादी व बांके तथा अन्य के मसजिद से बाहर आने पर असगर हुसैन व अन्य ने उन्हें घेर लिया और लाइसेंसी बन्दूक तमंचों से हमला किया । इससे दो व्यक्ति घटनास्थल पर मर गए तथा चार घायल हुए ।

इस सूचना पर थाना मैनाठेर, मुरादाबाद, में एक मुकदमा अपराध संख्या ३४३, धारा १४८/१४९/३०७/३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज हुआ और जांच आरम्भ की गई, जो अभी जारी है ।

पांच नामांकित अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। लाइसेंसों के कैंसिल करने की कार्यवाही की जा रही है।

घायल व्यक्तियों में से दो अस्पताल में दाखिल हैं और दो व्यक्ति उपचार के बाद अस्पताल से वापस हो गए हैं।

घटना के पीछे किसी उत्तरदायी व्यक्ति का हाथ होना नहीं पाया गया वरन् घटना का अकस्मात होना पाया गया। ग्राम में निर्वाचन के आधार पर उत्पन्न हुई वैमनस्यता के कारण किसी प्रकार की पार्टी बन्दी की सूचना पुलिस रिकार्ड में नहीं है ।

पुलिस अधीक्षक व उप पुलिस अधीक्षक घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए समुचित प्रबंध कर दिया गया है।

स्थानीय जनता पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट हैं।

(वक्तव्य के बाद कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

यह केवल वक्तव्य के लिये मैंने स्वीकार किया था । अब माननीय शिक्षा मंत्री आइटम १० प्रस्तुत करने की अनुज्ञा मांगेंगे ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७०

(व्यवधान के बीच)

शिक्षा राज्य मंत्री (राजा विजयकुमार त्रिपाठी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें । इसी सदन में एक इसी विषय से संबंधित आर्डिनेंस पास हो चुका है। पहले उसका अननुमोदन कर दिया जाय । उचित यह था कि पहले उसे सरकार लाती उसका एक रिजोल्यूशन सदन में मौजूद है । अतः उसे पहले आना चाहिये, इस पर आप कृपया अपनी व्यवस्था दें ।

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)---

श्रीमन्, ६ तारीख से यह सत्र आरम्भ हुआ है और हम बराबर यह मसला पेश करते रहे हैं कि अननुमोदन का जो प्रस्ताव है उसे यहां पहले आना चाहिये, लेकिन कोशिश यह हो रही है कि उसको टाल दिया जाय और बराबर टालती आ रही है। श्रीमन्, ने आश्वासन दिया था कि अननुमोदन का प्रस्ताव जरूर आएगा। किन्तु आज २१ तारीख है और उसके पहले भी श्रीमन् ने नहीं किया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन बातों को इस तरह टाला जायगा कि जो लोग वाजिब बात करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं दिया जायेगा, तो उससे इतना असन्तोष पैदा होगा कि श्रीमन. नहीं उसे रोक पायेंगे। फिर आपकी कार्यसूची में यह है नहीं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह सोच लीजिये। ये सिर्फ उपस्थित कर रहे हैं। पहले अननुमोदन का प्रस्ताव आयेगा। कल के लिये यह सोच रहा हूं। कार्य मंत्रणा समिति आज बैठ कर पहले अननुमोदन को करायेगी।

(व्यवधान)

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा कि यह जो आज आया है, इसके पहले अननुमोदन का आयेगा। जो पुरःस्थापित कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी विधेयक, उसी पर हम लोग आपकी व्यवस्था चाहते हैं। जो पुरःस्थापित हो रहा है, इसके पहले अननुमोदन पर ही विचार होना चाहिये। आपसे निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि नं० १०, ११ को आज स्थगित कर दें और पुरःस्थापित करने से पहले अननुमोदन पर विचार हो जाये और १० व ११ का एजेन्डा कल-परसों हो जाये। आज अध्यादेश के सम्बन्ध में पूरे प्रदेश में आन्दोलन हो रहा है, गोरखपुर में बहुत आदमी जेल गये हैं। किन्तु यह सरकार इतने दिनों से अननुमोदन को टालती आ रही है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी और सब लोगों को अपनी-अपनी बात रखने का मौका देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि यह विधेयक भी आज नहीं लिया जा रहा है। पहले अनुज्ञा और फिर पुरः स्थापित करेंगे। उस पर विचार अननुमोदन के प्रस्ताव के सामने आने के बाद होगा। उस के पहले नहीं होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं समझता हूं कि उचित बात यही होगी कि पहले अननुमोदन का प्रस्ताव आप ले लें। यदि वह प्रस्ताव ले लिया जाये पहले और उस प्रस्ताव पर फैसला होने के बाद तब यह बिल फिर से पेश किया जाये, अनुज्ञा दी जाये, पुरःस्थापन हो और उस पर विचार हो, तो वह उचित होगा। पहले से भी यह प्रश्न सामने रहा है। जब से यह सदन की टेबेल पर ले लिया गया, तभी से अननुमोदन का प्रस्ताव भी आ गया और तीन दिन में वह आ जाना चाहिये, किन्तु आज १० दिन बीत गये, उसे नहीं लिया गया और उस पर अभी सोचा जा रहा है। यह बात बड़ी अनुचित होगी कि बिना अननुमोदन के प्रस्ताव पर कोई फैसला हुए, उसका पुरः स्थापन हो जाये। इस पर आप की चाहे जो व्यवस्था हो, लेकिन यह देखने से ही अनुचित बात मालूम होती है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अननुमोदन के प्रस्ताव को कल ले लें और फिर उसके बाद उसके लिये मौका दें।

श्री अध्यक्ष ---

मैंने इस बात के लिये कह दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम १२३ की ओर दिलाना चाहता हूं---"१२३---पुरःस्थापन की अनुज्ञा के लिये प्रस्ताव (१) नियम ११४ के अधीन रहते हुए किसी भी विधेयक की पुरः स्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुए उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों।" आज की तिथि से पूर्व सदस्यों को इसकी प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयीं। अभी तक भोजन होल में बिलों की कापियां नहीं हैं। प्रस्ताव करने दिन से पूर्व प्रस्ताव करना का दिन

आज है। आज से पूर्व का अर्थ शुक्रवार के दिन उपलब्ध होनी चाहिये थीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नियम १२३ (१) के अन्तर्गत आज इन्हें प्रस्तुत करने की अनुज्ञा न दें क्योंकि प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व सदस्यों को इसकी प्रतियां उपलब्ध नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—

मान लेता हूं। आज नहीं पेश होगा। जो नेता विरोधी दल ने कहा है उनकी अपील का भी खयाल करना चाहिये।

विद्युत् मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

कल बट गयीं थीं कापियां।

श्री अध्यक्ष—

मैंने फैसला दे दिया। आज नहीं लेंगे। कल लेंगे। आज बिल बट जानी चाहिये।

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

बट चुकी हैं, शुक्रवार को। आप कहते हैं नहीं बटी हैं।

श्री अध्यक्ष—

आज विचार तो उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। यह आक्षेप नहीं होगा कि पहले नहीं बटीं थीं। आज बांट दीजिये आप।

श्री श्रीपति मिश्र—

बंट तो पहले चुकी हैं।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)—

आज भी नहीं हैं। अध्यक्ष जी, वे अजेंडा दिखा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह लिखा है—"किसी भी विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुये उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्धि न कर दी गयी हों। यहां से वहां तक सब सदस्य विरोधी दल के कहते हैं कि उनको कोई कापी नहीं मिली।

श्री श्रीपति मिश्र—

मान्यवर, इसके पहले आपके सामने जो प्रश्न उठाये गये थे माननीय नेगी जी और माननीय शर्मा जी द्वारा, उन्होंने केवल यह प्रश्न उठाया था कि अननुमोदन का प्रस्ताव पहले आना चाहिये। उस पर पहले विचार होना चाहिये। न उन्होंने यह प्रश्न उठाया और न माननीय नेता विरोधी दल ने यह प्रश्न उठाया। बाद को केवल माननीय नारायणदत्त ने यह प्रश्न उठाया। (व्यवधान) मैं कहता हूं कि प्रतिलिपियां पहले बंट गयीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी को कोई आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रतियां नहीं मिलीं। इसे हमारे नारायणदत्त जी ने उठाया। कोई आफत नहीं आ जायगी अगर कल इसको ले लें और आज इसकी प्रतियां बांट दी जायं।

श्री अध्यक्ष—

लेंगे कल ही इसको ।

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय नेता विरोधी दल समझते हैं कि मैं आवेश में आ गया था । मैं क्षमा चाहता हूं । मैं आवेश में नहीं था, मैं तो तथ्य रख रहा था ।

श्री अध्यक्ष—

जिन्होंने कहा उन्होंने सत्य समझ कर कहा । बैठ जाइये, आप सभी लोग बैठ जायं । मैं कह रहा हूं । सवाल यह है कि मैंने दो तरह के आक्षेप सुने । एक तो अननुमोदन का प्रस्ताव एजेन्डा में आज नहीं आया है, दूसरे यह कहा गया कि अब तक बंटा नहीं है । दोनों चीजें मैंने एक साथ सुनी तो मैंने सोचा कि आज तो बिल पर विचार का प्रश्न आने वाला नहीं है । आप सिर्फ पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगेंगे, विचार कल ही होगा । अभी तीन प्रस्ताव हैं जो कि १२.३० से १ बजे तक खतम होना चाहिये । मैंने सोचा कि इस पर बहस चलती रहेगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिये निर्णय दिया कि आज इसके ऊपर आप अनुज्ञा न मांगे । कल अनुज्ञा भी मांग सकते हैं और पुरःस्थापित भी कर सकते हैं । विचार करने में या पुरःस्थापित करने में उस पर एक रोज पहले वाली शर्त नहीं आयेगी लेकिन विचार तभी होगा ।

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

अब तक सदन की परम्परा रही है ।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । क्या व्यवस्था होने के बाद भी प्रश्न उठाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

वह दूसरी व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं बहुत गम्भीरता से आपके सम्मुख रख रहा हूं । श्रीमन्, सदन की परम्परा रही है और आपके सचिवालय ने कायम की है कि जितने भी विधेयक यहां पर सदस्यों को दिये जाते हैं वह पिजन होल में दे दिये जायं या डाक द्वारा भेज दिये जायं । तो श्रीमन् जो सरकारी पक्ष के सदस्य हैं वह अभी कह रहे थे कि इसकी प्रतियां बंटी हैं तो आदरणीय विरोधी दल के नेता ऐसा नहीं कह सकते जानकारी के साथ कि नहीं बंटी.... (व्यवधान) आपने जो निर्णय दिया मैं उस पर नहीं पूछ रहा हूं लेकिन भविष्य में होगा क्या ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, इतवार के दिन सदन की लाबियां बन्द रहती हैं तो किस प्रकार से माननीय सदस्य डाकेट में जा सकते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

अब प्रश्न यह होता है कि कल अनुज्ञा दी जाय....

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

पिजन होल बहुत छोटा है। इसमें तो कागज निकालने में ५, ७ मिनट लग जाते हैं। कृपा करके इसकी व्यवस्था ठीक करा दें।

श्री कृष्णानन्द राय---

जो मैं व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहा था वह अत्यन्त आवश्यक है। श्रीमन्, ट्रेजरी बेन्चेज के सभी सदस्य कह रहे थे कि बांटा गया। आप अपने कार्यालय से पूछ सकते हैं कि शुक्र के दिन यह पिजन होल में रक्खा गया था तो क्या आदरणीय विरोधी दल के नेता ने पूर्ण जानकारी से कहा कि नहीं बंटा है। क्या यह सरकारी कार्य को टालना नहीं है? क्या यह शोभनीय है इधर के सदस्यों की बात आप अस्वीकार कर दें और उनकी मान लें? इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष---

हमारे आफिस ने शुक्रवार की शाम को पिजन होल में रखा। शनिवार इतवार को छुट्टी थी। कुछ लोगों ने लिया होगा कुछ ने नहीं क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य शुक्रवार की शाम को बाहर चले गये होंगे। मुमकिन है उन लोगों ने देखा नहीं। हमारे आफिस ने शुक्रवार को रख दिया था यह निर्विवाद है? इसको कल लेने में भी कोई नुकसान नहीं होता। ऐसी हालत में जो फैसला मैंने दिया है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, उधर के सौ सदस्यों में से एक को भी नहीं मिला। कितने बड़े सत्य की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं।

सहकारिता उप मंत्री (श्री मही लाल)---

आज शाम को यह भी तय हो जाय कि कल इस पर विचार होगा।

श्री अध्यक्ष---

वह हो गया। संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

मैं संकल्प प्रस्तुत करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि आपने जो फैसला दिया वह तो मान्य है लेकिन भविष्य के लिये क्या होगा? हम तो आपके आफिस के माध्यम से पिजन होल में ही रखवाते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि आपने एक बार नहीं दो बार रूलिंग दे दी। अब क्या मंत्रि-परिषद् के लोग उस रूलिंग के विरुद्ध एजीटेशन कर रहे हैं।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

रूलिंग के खिलाफ मैंने कोई बात नहीं कही। अब तक यही परम्परा रही है कि पिजन होल में रखा दिये जाते हैं। अब आगे भविष्य में भी वहां रखे जायेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष---

अब भी वहीं रखे जायेंगे।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

अगर इनको आपकी व्यवस्था पर एतराज है तो वाक आउट कर जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं कि पिजन होल का तरीका तो होता ही है। मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि नियम १२३ के मुताबिक पुरःस्थापित करें तो किसी को क्या एतराज होगा।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के लिये कामन वेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन की प्रान्तीय शाखा की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प

विद्युत् मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं "यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के लिये कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की एक प्रान्तीय शाखा की स्थापना की जाय और सचिव को अधिकृत किया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठावें।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के लिये कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की एक प्रान्तीय शाखा की स्थापना की जाय और सचिव को अधिकृत किया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

'हायर परचेज' के आधार पर क्रय-विक्रय पर कर लगाने हेतु संसद द्वारा अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में संकल्प

वित्त राज्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, हायर परचेज के आधार पर किये गये सौदों के दो भाग होते हैं, पहला, वस्तु का किराये पर दिया जाना और दूसरा, उस वस्तु का विक्रय। संवैधानिक स्थिति यह है कि पहले भाग, अर्थात्, वस्तु को किराये पर दिये जाने से संबंधित भाग पर कर लगाना राज्य विधान मंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और दूसरे भाग, अर्थात्, वस्तु के विक्रय (यदि वह प्रदेश के अन्दर का है) पर कर लगाना संसद के अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। अतः साधारण स्थिति में संसद व राज्य विधान मण्डल दोनों ही हायर परचेज के सौदों पर कर लगाने के लिये सक्षम नहीं हैं।

चूंकि हायर परचेज के आधार पर किये गये क्रय विक्रय पर करारोपण के विनियमन का विषय सामान्य महत्व का है और उससे सम्बन्धित समस्यायें सभी राज्यों के लिये एक सी हैं, और चूंकि उक्त प्रयोजन के लिये विधि, संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची २ की प्रविष्टि ५४ में प्रगणित विषयों से भी सम्बद्ध है जिनके सम्बन्ध में संसद को संविधान के अनुच्छेद २४९ तथा २५० में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त राज्यों के लिये कोई भी विधि बनाने का अधिकार नहीं है।

और चूंकि विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा ऐसी विधि बनाई जानी चाहिये।

अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद २५२ के खन्ड (१) के अनुसरण में यह सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि "हायर परचेज" के आधार पर किये गये क्रय विक्रय पर कर लगाने तथा उससे संबंधित समस्त अन्य अथवा आनुषंगिक विषयों का विनियमन इस राज्य में संसद के अधिनियम द्वारा किया जायगा।"

*श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुसार परचेज के अन्दर वस्तुओं का क्रय-विक्रय किया जाना तथा टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संविधान की धारा २५२ के अन्तर्गत परचेज के अन्तर्गत क्रय विक्रय किया जाना, वस्तुओं पर हायर परचेज के माध्यम से टैक्स लगाने का अधिकार संसद् को ही दिया चाहती है। यह राष्ट्र के हित में है कि इस प्रकार से अधिकार पार्लियामेंट संविधान की आर्टिकिल २४९ के अनुसार स्वयं ले सकती है। मान्यवर, मेरा निश्चित मत है कि प्रदेश के अन्दर हायर परचेज पर जो वस्तुयें यहां के नागरिकों को दी जाती हैं उन पर किसी प्रकार का टैक्स न लगाया जाय और प्रदेशीय सरकार ने और इस विधान सभा ने इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया है। श्रीमन्, टैक्स लगाना जब प्रदेश की इकोनोमी के हित में न हो तो इस प्रकार का अधिकार संसद् को देने का सवाल उत्पन्न नहीं होता।

हायर परचेज के माध्यम से इस प्रदेश में दो तरह की वस्तुयें हैं। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगीकरण के लिये जिन लोगों के अन्दर क्षमता नहीं होती वे मशीनरी स्थापित कर सकें। श्रीमन्, यह उद्देश्य होता है और दूसरा उसका इन्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से हायर परचेज के द्वारा विभिन्न कारपोरेशन्स और बैंकों से वे मशीनरी उपलब्ध करवा कर प्रदेश के उद्योगीकरण के लिये मदद देते हैं। इस प्रकार से दूसरा बड़ा क्षेत्र किसानों के लिये है जिनके अन्दर आज क्षमता तो है कि वे अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं लेकिन उनकी आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं है कि वे इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकें, उन मशीनरीज को खरीद सकें जिससे उनका उत्पादन बढ़ जाय। इन लोगों को कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से, हायर परचेज के माध्यम से मशीनरी उपलब्ध करवा कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और प्रदेश की पैदावार को बढ़ाया जाता है। अपनी बात कहने से पूर्व मान्यवर, मैं इस प्रदेश में जो होल्डिंग्स साइज हैं वह मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, इस प्रदेश के अन्दर एक एकड़ से छोटे किसानों के परिवार हैं उनकी संख्या करीब ३८.८४ प्रतिशत है, एक एकड़ से ढाई एकड़ के परिवारों की संख्या २०.१६ प्रतिशत है और ढाई एकड़ से पांच एकड़ के परिवारों की संख्या १९.२४ एकड़ है। इस प्रकार हम देखेंगे कि ५ एकड़ से छोटा किसान इस प्रदेश के अन्दर लगभग ८० प्रतिशत हैं और श्रीमन्, इस प्रदेश की एक-तिहाई जमीन उनके जोतों के नीचे है।

मान्यवर, प्रदेश की जहां तक भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति का प्रश्न है, हमारी जमीन में उपज देने की क्षमता दुनिया के किसी भी प्रगतिशील देश से कम नहीं है। जो फसल उत्तर प्रदेश में पैदा होती है उसकी पैदावार प्रति एकड़ दुनिया के हर देश से ज्यादा है। यही नहीं, हर चीजों के अन्दर मान्यवर, दुनिया के हर देश की प्रति एकड़ की पैदावार को बीट कर रखा है। लेकिन श्रीमन्, औसत इसलिये कमजोर है, यहां की पैदावार इसलिये गिरी हुई है कि हमारे प्रदेश के अधिकांश काश्तकारों के पास जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है उन कृषि की सामग्री को जिसका प्रयोग करके वह अपनी खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं हम उपलब्ध नहीं करा पाते। उनकी इस क्षमता को पूरा करने के लिये हायर परचेज के आधार पर कृषि उद्योग निगम से विभिन्न यंत्रों और सामग्रियों को देने का प्राविधान किया गया था। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों की संख्या हर राष्ट्र से ज्यादा है, इसलिये छोटे किसानों की संख्या उत्तर प्रदेश के लिये एक विशेष समस्या बनी हुई है और आज कृषि उत्पादन के क्षेत्र में छोटे किसानों को यह सारे यन्त्र और सारी सामग्रियां ठीक समय से सस्ते दाम पर पहुंचाना बहुत आवश्यक है। बहुत से देशों में किसानों को सामग्री सस्ते दाम पर ठीक समय से पहुंचाई जाती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज सिंह]

मैं जापान की बात कह सकता हूं। मान्यवर, वहां तो कृषि उत्पादन के दाम पहले से ही नियत हैं। मान्यवर, यह जो कृषि में प्रयोग की जाने वाली सामग्री जो छोटे किसानों को हायर परचेज के माध्यम से उधार दिया जा रहा है उस पर टैक्स लगाने की बात सोचती है और अपना यह अधिकार यह सरकार केन्द्रीय सरकार को दे रही है। मेरा निश्चित मत है कि इस प्रदेश के अन्दर छोटे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनके हल के नीचे प्रदेश की एक तिहाई जमीन है और उनको दी जाने वाली वस्तुओं पर किसी प्रकार से टैक्स लगाना प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के हक में न होगा। इसलिये श्रीमन् जब टैक्स लगाना प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के लिये उचित नहीं है तो इस प्रकार का अधिकार केन्द्रीय सरकार को इस प्रस्ताव के माध्यम से देना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। इसलिये श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव इस सदन में इस आशय से रखा गया था कि सम्भवतः सभी माननीय सदस्य इसस सहमत होंगे। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा....

श्री अध्यक्ष---

केवल एक ही ने भाषण दिया है।

*श्री कैलाश प्रकाश---

मैंने तो केवल श्री शिवराज सिंह को ही सुना था। तो उन्होंने जो आपत्ति उठाई कि छोटे किसानों को बहुत भारी कठिनाई पड़ेगी। श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव है इसका आशय यही है कि कुछ बिक्री हायर परचेज की नीति पर होती है। प्रदेश के बिक्री के ऊपर केवल कर लगा सकता है। जो किराये पर जो चीज दी जाती है उस पर कर नहीं लगाया जा सकता। संसद या केन्द्रीय सरकार जो चीज बिक्री की जाती है उस पर कर नहीं लगा सकती क्योंकि बिक्रीकर जो ह वह संविधान की उस अनुसूची में है जिस पर प्रदेशीय सरकार निर्णय लेती है। जब हम छोटी-छोटी वस्तुओं पर, उन वस्तुओं पर जो भूखे अपने पेट पालने के लिये इस्तेमाल करते है, क्रय या विक्रय कर लेते है इस उद्देश्य से कि उनका भी कुछ योगदान होना चाहिये तो मकान जैसी चीज की जब बिक्री होती है तो उसमें बिक्रीकर लगने में कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हमने तो खाद्यान्नों पर भी बिक्रीकर लगा रखा है। व्यापारी, छोटा किसान भी उसे इस्तेमाल करता है। इसलिये इस चीज में जब कोई मकान खरीदता है उसमें कर लगाने में आपत्ति केवल एक वर्ग का नाम लेकर उठाना मुझे कोई बहुत उचित प्रतीत नहीं होता।

श्रीमन्, थोड़ा सा विश्लेषण किया जाय। मकान के सिलसिले में जो हायर परचेज होता है यह नगरों में होता है, गांव में तो होता नहीं है। इसलिये छोटा किसान इससे कहां संबंधित होता है? यह तो छोटे कस्बों में भी कम होता है। यह ज्यादातर होता है बड़े शहरों में जहां मकान बनवा कर दिये जाते हैं। कोई संस्था मकान बनवा लेती है और वह मकानों को किराये पर देती है और किराया इस तरह से रखती है कि रहने वाले का मकान हो जाय। मुझे यह बात जंची नहीं कि छोटे किसानों को यह बड़ा नुकसान देने वाला होगा। नगरों में किसान अगर बसते होंगे तो बड़े किसान बसते होंगे, छोटे बसते नहीं। छोटे किसानों से हम को पूरी हमदर्दी है लेकिन इससे उनका सम्बन्ध नहीं है। इसका कोई जबरदस्त प्रभाव उन पर न पड़ता है, न पड़ने वाला है। यह उन्हीं पर पड़ने वाला है जो मकान खरीदना चाहते है, जिनमें मकान खरीदने की क्षमता है। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का स्वागत ही करेंगे कि जहां बिक्री-कर लगाने का अधिकार प्रदेश को नहीं है वहां वह केन्द्रीय सरकार से इस बात का आग्रह करें इस प्रस्ताव को पारित करके कि वह इस अधिकार का उपयोग करके ऐसी व्यवस्था कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव आउट आफ आर्डर है। ऐसे ही अगर यह संसद में चला गया तो सरकार की और विधान सभा की बड़ी बदनामी होगी क्योंकि इस प्रस्ताव में जो भाषा है वह परस्पर विरोधी है अगर माननीय मंत्रीजी ने इसकी भाषा को देखा होता तो शायद वह उसे इस भाषा में पेश न करते। उनको कदाचित अन्दाज लगाने का मौका नहीं मिला। आप इसे पढ़ें और देखें कि इस संकल्प की भाषा कैसे शुरू होती है, उसे भी इस सरकार को लिखना नहीं आता। शुरुवात इस तरह से की है जैसे किसी भाषण की शुरुवात हो। हायर परचेज के आधार पर किये गये सौदों के भाग होते हैं--- श्रीमन्, ऐसा मालूम होता है कि इस पर कोई लेख लिखा जा रहा हो। इस तरह से संकल्प की भाषा शुरू हुई है। आगे लिखा है---पहला वस्तु का किराये पर दिया जाना और दूसरा, उस वस्तु का विक्रय। श्रीमन् यह संकल्प को शुरू करने का ढंग नहीं है। भाषा ठीक नहीं है वह ठीक होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो इसमें लिखा गया है उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसमें आगे लिखा है.... "संवैधानिक स्थिति यह है कि पहले भाग, अर्थात्, वस्तु को किराये पर दिये जाने से संबंधित भाग पर कर लगाना राज्य विधान मन्डल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और दूसरे भाग, अर्थात् वस्तु के विक्रय (यदि वह प्रदेश के अन्दर का है) पर कर संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः साधारण स्थिति में संसद व राज्य विधान मंडल दोनों की हायर परचेज के सौदों पर कर लगाने के लिये सक्षम नहीं है....

मान्यवर, इसका अर्थ यह हुआ कि किराये पर दिये जाने का जो अधिकार है इसमें कास्टीट्यूशनल पोजीशन यह है कि सरकार के द्वारा बिक्री की गई वस्तु पर कर लगाने का अधिकार संसद को है और यह प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन संविधान के अन्तर्गत ही बिक्री का कानून संसद ही बना सकती है। तो एक तरफ तो सरकार ने यह मान लिया कि पार्लियामेंट को पावर कांस्टीट्यूशन में नहीं है कि प्रदेश के अन्दर हायर परचेज पर टैक्स लगा सके, दूसरी तरफ इसमें अन्त में यह लिखा है कि "अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद २५२ के खन्ड (१) के अनुसरण में यह सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि हायर परचेज के आधार पर किये गये क्रय-विक्रय पर कर लगाने तथा उससे सम्बन्धित समस्त अन्य अथवा आनुषांगिक विषयों का विनियमन इस राज्य में संसद के अधिनियम द्वारा किया जायेगा।

तो श्रीमन्, जहां एक ओर सेल पर टैक्स संसद भी नहीं लगा सकती वहां दूसरी ओर हम संविधान में ऐक्ट में बनाये। श्रीमन् ऐक्ट जो है वह संविधान को सुपरसीड नहीं कर सकता। इसमें आपने अमेन्डमेंट की तो मांग नहीं की है। तो श्रीमन्, इसमें यह कन्ट्रोडिक्सन है। यदि संसद में जायेगा तो हमारे प्रति क्या सोचेगी सरकार के बारे में तो हो सकता है, कि सरकार तो बिना पढ़े-लिखे संकल्प कर देती है किन्तु यह तो सारे सदन द्वारा पास होना है। अतः मैं चाहूंगा कि इसकी आप जांच कर लें और इसे देखें।

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनको छोटे किसानों से बड़ी हमदर्दी है तो क्या माननीय मंत्री यह विचार करके कि प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की जो मशीनरी जो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के माध्यम से कृषकों को दी जा रही है उस इस प्रस्ताव में रखने के लिये तैयार हैं और इस प्रकार की तरमीम इस प्रस्ताव में कर देंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाश प्रकाश—

पहले तो मैं उस पर विचार व्यक्त करना चाहता हूं जो कि माननीय साथी श्री तिवारी जी ने बात उठाई है। उन्हें यह शंका पैदा हुई है कि अगर इस रुप में हम प्रस्ताव को पास कर देंगे तो वह न केवल सरकार के लिये ही अच्छा होगा और न ही इस सदन के लिये श्रीमन्, इसकी भाषा को मैंने पढ़ा। कुछ शब्दों में फर्क हो सकता है। किसी की भाषा बहुत अच्छी होती है और किसी की भाषा कुछ दूसरी ही होती है, किन्तु जहां तक प्रस्ताव का आशय है वह बिलकुल स्पष्ट है और यह पहले ही प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया गया है। क्यों हम ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते और क्या कठिनाई हमें है। उसमें कठिनाई यह बताई गई है कि जो बिक्री हायर परचेज के ऊपर की जाती है उसमें स्थिति यह पैदा हुई कि पहले तो वह किराये पर ही चलती है वह बिक्री नहीं कहलाई जा सकती इस वजह से प्रदेश बिक्री कर नहीं लगा सकता है और संसद उसके वास्ते इस वजह से कोई व्यवस्था नहीं कर सकता कि वह संविधान के द्वारा उस सूची में रखा गया है जिस सूची में कार्य करने का अधिकार केवल प्रदेश को है। इसलिये यह बात कही गयी है "कि हायर परचेज पर किये गये सौदों के भाग दो होते ह।"

पहला भाग तो यह बताया गया है कि वह किराये पर दी जाती है और दूसरे भाग में उसको विक्रय कर दिया जाता है। पहले के विषय में यह है कि राज्य विधान मंडल को कोई अधिकार नहीं है कि वह उस पर कोई कर लगाये। दूसरे के विषय में यह कहा गया है कि वह बाद में बिक्री-कर दिया जाता है, उस पर बिक्री-कर लगाना उस समय संसद के अधिकार में नहीं है। संसद को इस बात का अधिकार नहीं है वह सूची २ में बतायी गयी चीजों पर कोई टैक्स लगा दे। मेरे पास इस समय अंग्रेजी का संविधान है, उसमें से मैं अनुच्छेद २५२ (१) को पढ़ देना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है:—

"252. (1) If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make law for the States except as provided in artices 249 and 250 would be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that State."

यह हायर परचेज की विधि अन्य प्रदेशों में भी चलती है और अन्य प्रदेश भी चाहते हैं कि इस प्रकार की बिक्री पर भी टैक्स लगे। इसलिये हम दोनों सदनों में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और दूसरे राज्य भी जो ऐसा करना चाहेंगे करेंगे। फिर संसद को वह अधिकार प्राप्त हो जायेगा कि वह ऐसे नियम बना दे जो सारी स्टेट्स में समस्थिति में लागू हों। अगर कोई भाषा का संशोधन माननीय सदस्य चाहते हों तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भाव उसका यही है वैसे जहां तक मैं समझता हूं, इसकी भाषा ठीक ही है।

दूसरी बात मेरे माननीय सदस्य ने यह उठायी कि एग्रोइन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा जो इस प्रकार के सौदे होते हैं उन पर यह टैक्स लगाया जायगा या नहीं।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

इस समय तो हम इस अधिकार को प्राप्त कर रहे हैं। यह तो बाद में विचार किया जायगा कि किन-किन चीजों पर इसको लगाना है अथवा नहीं लगाना। कोई चीज जो किसी उद्योग के लिये हम आवश्यक समझेंगे अथवा कृषि के उत्पादन के लिये सहायक समझेंगे, उसके बारे

में तब विचार करेंगे कि उसको रखना है अथवा नहीं। यह प्रश्न तो अधिकार मिल जाने के पश्चात उपस्थित होगा। जब अधिकार मिल जायेगा तब किस पर यह कर लगाया जाय और किस पर न लगाया जाय, यह सोचा जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि अन्त में उन्होंने कहा कि किस पर कर लगाना है और किस पर नहीं तो जिस समय कर लगायेंगे उस समय सोचेंगे। लेकिन इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि हम जो केन्द्रीय सरकार को जो अधिकार दे रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा प्रदेश का भी होगा या सारा केन्द्रीय सरकार का ही होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—

प्रदेश के लिये ही हम चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मेरे पास अंग्रेजी भाषा और हिन्दी भाषा में बहुत फर्क हो जाता है। हिन्दी में उन्होंने पहले पैरा में स्पष्ट लिखा है कि "साधारण स्थिति में संसद व राज्य विधान मण्डल दोनों ही हायर परचेज के सौदों पर कर लगाने के लिये सक्षम नहीं हैं।" एक तरफ तो श्रीमन्, यह संसद को अधिकार दे सकते हैं और दूसरी तरफ यह कहना है कि संविधान में इसके लिये बैन है यानी संसद को अधिआर नहीं है। सौदे के दो भाग बताये। एक के बारे में कह दिया कि संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और जब संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वह अधिनियम कैसे बनायेगा। यह कंट्राडिक्टरी हैं, परस्पर विरोधी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने नियम २५२ पढ़ा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, वह स्टेट लिस्ट के बारे में है। इसमें २४९ और २५० का उल्लेख ह। उनमें "Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest."

तो श्रीमन्, यहां कोई इमरजेंसी में नहीं हो रहा है। इसमें केवल २४९ ही कवर होता है। जो स्टेट लिस्ट का मसला है और मंत्री जी ने कहा उसका मंशा यह है कि अनुसूची (ए) में ९२ (ए) है। इसमें आप देखें कि संसद को अधिकार है कि कानून बनाये। पहले मैं आपकी सेवा में अनुसूची (२) के आइटम ५३ को पढ़ना चाहता हूं वह यह है कि—

"Taxes on the sale of purchase of goods other than Newspapers subject to the provisions of ."

अब दूसरा इस प्रकार है कि,—

"Taxes on the sale or purchase of goods other than Newspapers where such sale or purchase takes place in the course of interstate trade or commerce."

सेल और परचेज के बारे में न तो स्टेट को अधिकार है और न संसद को अधिकार है जब कांस्टीट्यूशन में नहीं आता है तो पार्लियामेंट कैसे कानून बना सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मैं पढ़े देता हूं। २५२ हिन्दी में है। वह इस प्रकार है कि, यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिनके बारे में संसद को, अनुच्छेद २४९ और २५० में उपबंधित रीति के अतिरिक्त, उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन उसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान मंडलों के सब सदनों में इसलिये संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद के लिये विधि संगत होगा, तथा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा तथा किसी अन्य राज्य को, तत्पश्चात अपने विधान मंडल के सदन अथवा जहां दो सदन हों वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक से इसलिये पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार करे, लागू होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जो तर्क आपने उठाया है उसमें शाब्दिक प्लाजिबिलिटी चाहे जो हो लेकिन तत्वतः कोई बात उसमें नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

शाब्दिक ही बात तो है।

श्री उपाध्यक्ष--

संविधान के आर्टिकिल २५२ में भी स्पष्ट है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

वह स्टेट लिस्ट के बारे में है। लेकिन जिसके अन्दर न स्टेट लिस्ट में जिक्र है न यूनियन लिस्ट में है वह बिना कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के कैसे हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष--

उसका जो उपबन्ध है उसका प्राविधान करते हुये विनियमन का कार्य है इस उपबन्ध द्वारा।

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

तिवारी जी को केन्द्र की सरकार के प्रति कुछ अविश्वास होता जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

आपको जो केन्द्र की सरकार के प्रति विश्वास हो रहा है उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष--

तिवारी जी बहुत टेक्निकल हो रहे हैं क्योंकि इसमें यह लिखा हुआ है कि संवैधानिक स्थिति यह है। तो यह अन्तिम स्थिति है जिसके द्वारा यह राज्यों को और केन्द्र को अधिकार प्राप्त है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, अंग्रेजी वाला पढ़ दें।

श्री उपाध्यक्ष--

२५२. स प्रकार है--

"If it appears to the Legislatures of two or more States to be desireable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures of those States,

it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that States."

श्री नारायणदत्त तिवारी---

ठीक है, यह सरकार न हिन्दी जानती है न अंग्रेजी जानती है।

श्री शिवराज सिंह---

संविधान का आर्टिकिल २५२ कृपया पढ़ लें। इसके अन्दर यह लिखा हुआ है :

"If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250....."

वह वही मैटर्स जिनके सम्बन्ध में २४९ और २५० में अधिकार दिया हुआ है संविधान के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष---

यह उल्टा आप कह रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह---

श्रीमन्, संविधान की परिधि बढ़ाने का अधिकार इस विधान सभा को नहीं है। इसके सातवें शेड्यूल में जो लिस्ट १, २, ३ दी हुई हैं उन लिस्टों की परिधि बढ़ाने का अधिकार कदापि इस विधान सभा को नहीं है। तो जो चीज इस विधान सभा को उपलब्ध नहीं है उसका स्थानान्तरण पार्लियामेंट के लिये किस प्रकार कर सकती है। श्रीमन, २५२ में यह कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट को किन्हीं मैटर्स के बारे में अधिकार नहीं है लेकिन उस अवस्था के अन्दर विधान सभायें यह समझती हों कि यह राज्य के हित में है कि वह अधिकार पार्लियामेंट को लेना चाहिये। और कौंसिल आफ स्टेट उसको नहीं लेती। अगर २४९, २५० के माध्यम से वहां कौंसिल आफ स्टेट काम न करे और राज्य विधान सभा यह समझे तो २५२ के अन्तर्गत वह अधिकार स्वयं सौंप सकती है लेकिन इस विधान के अन्दर १,२,३ के अन्दर जो आइटम दिये गये हैं उन आइटमों में कोई नया आइटम जोड़ने का अधिकार इसको नहीं है। वह पार्लियामेंट ही कर सकती है। हायर परचेज का कोई अधिकार इस विधान सभा को नहीं है। इसलिये यह अधिकार हस्तांतरित पार्लियामेंट नहीं कर सकती।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, मैं २५२ को कोट करता हूं। इसमें यह है कि "इफ इटसपीयर्स टु दि लेजिस्लेचर्स आफ टु आर मोर स्टेट्स" यहां पर यह एक स्टेट के लिये एप्लीकेबिल नहीं है बल्कि "टु आर मोर" के लिये यह कहा गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

एक ही समय में दोनों का कैसे होगा जिस स्थिति का आप संकेत कर रहे हैं। अब इसके बारे में मेरी राय साफ है। क्या संविधान बिलकुल बगैर लचीला दस्तावेज है? क्या जब सारा सदन यह चाहता है कि उसमें संशोधन करना या सदन संकल्प पारित करना चाहता है किसी चीज के बारे में तो उस संकल्प पर प्रस्ताव के जरिये से बहस न हो? यह प्रश्न

[श्री उपाध्यक्ष]

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आया था। तो यह तय हुआ कि सदन सारे संकल्पों पर प्रस्ताव के जरिये से विचार कर सकता है और सदन में विचार के लिये आ सकते हैं। यह सारी दुनिया में लागू है। अब रह गई यह बात तो यह जो संविधान की अपेक्षा है वह अपनी जगह पर ठीक है लेकिन संविधान में यह गुंजाइश रखी हुई है कि जो अनुसूची है उनमें भी विशेष किसी मामले में गौर करके तब्दीली की जा सकती है। उसकी प्रक्रिया बतलाई गई है। २५२ में जो प्रक्रिया वर्णित है उसके अधीन मैं समझता हूं कि विधान सभा अपनी जगह विचार करने के लिए सक्षम है। जिस ओर आप ध्यान खींचना चाहते हैं उसी ओर पार्लियामेंट का ध्यान खींचा गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

यदि यह मंशा कांस्टीट्यूशन का होता ...।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इस बारे में कह दिया है। जो मामले लोकहित में हों उसको किसी प्रस्ताव के जरिये से यहां पर उठाया जा सकता है। हो सकता है कुछ लड़ाई हो लेकिन हित में वह उठाने पड़ सकते हैं। इसलिये मेरी राय उसके बारे में यह है कि विधान सभा हर चीज के बारे में प्रस्ताव कर सकती है, संकल्प कर सकती है। उसमें खासतौर से संविधान से वर्णित जो स्थिति है उस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये।

प्रश्न यह है कि--

"हायर परचेज के आधार पर किये गये सौदों के दो भाग होते हैं--पहला वस्तु का किराये पर दिया जाना और दूसरा, उस वस्तु का विक्रय। संवैधानिक स्थिति यह है कि पहले भाग, अर्थात् वस्तु को किराये पर दिये जाने से संबंधित भाग पर कर लगाना राज्य विधान मंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और दूसरे भाग अर्थात् वस्तु के विक्रय (यदि वह प्रदेश के अन्दर का है) पर कर लगाना संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः साधारण स्थिति में संसद व राज्य विधान मंडल दोनों ही हायर परचेज के सौदों पर कर लगाने के लिये सक्षम नहीं हैं।

चूंकि हायर परचेज के आधार पर किये गये क्रय विक्रय पर करारोपण के विनियमन का विषय सामान्य महत्व का है और उससे संबंधित समस्यायें सभी राज्यों के लिये एक सी हैं, और चूंकि उक्त प्रयोजन के लिये विधि, संविधान की सप्तम अनसूची की सूची २ की प्रविष्टि ५४ में प्रगणित विषयों में भी सम्बद्ध है जिनके संबंध में संसद को संविधान के अनुच्छेद २४९ तथा २५० में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त राज्यों के लिए कोई भी विधि बनाने का अधिकार नहीं है।

और चूंकि विधान सभा को यह बांछनीय प्रतीत होता है कि संसद् द्वारा ऐसी विधि बनाई जानी चाहिये,

अतएव अब संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में यह सभा एतद्-द्वारा संकल्प करती है कि "हायर परचेज" के आधार पर किये गये क्रय-विक्रय पर कर लगाने तथा उससे संबंधित समस्त अन्य अथवा आनुषंगिक विषयों का विनियमन इस राज्य में संसद् के अधिनियम द्वारा दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प

वित्त राज्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह उत्तर प्रदेश विधान सभा संकल्प करती है कि—

१—राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जाय, जो "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति" कहलाये और जिसमें ११ सदस्य हों, ८ विधान सभा और ३ विधान परिषद के। ये सदस्य प्रत्येक सदन के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत (सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट) द्वारा आनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचित होंगे।

२—उक्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(क) संलग्न अनुसूची में दिखाये गये तथा आगे गठित किये जाने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों तथा निगमों के वार्षिक लेखों तथा प्रतिवेदनों की जांच करना।

(ख) उपर्युक्त उपक्रमों तथा निगमों के संबंध में महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों की, यदि कोई हो जांच करना।

(ग) उक्त उपक्रमों एवं निगमों की स्वायत्तता को ध्यान में देखते हुये उनकी दक्षता की जांच ऐसे दृष्टिकोण से करना कि क्या उनका प्रबन्ध ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों तथा व्यापारिक कार्य-प्रणाली के अनुसार किया जा रहा है।

(घ) उक्त उपक्रमों एवं निगमों के संबंध में अन्य ऐसे कर्त्तव्य जो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के कार्य क्षेत्र में आते हैं और ऊपर (क), (ख) और (ग) में सम्मिलित नहीं हैं परन्तु जिन्हें विधान सभा के अध्यक्ष इस समिति को समय-समय पर आवंटित कर दें, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि समिति निम्न मामलों की जांच नहीं करेगी :—

(१) शासन की नीति के प्रमुख मामले जो सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों से भिन्न हों।

(२) दिन प्रति दिन के प्रशासकीय मामले।

(३) वह मामले जो ऐसी संस्थाओं के कार्य-क्षेत्र में आते हों। जिन्हें संबंधित सार्वजनिक उपक्रम/निगम की स्थापना के समय किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो।

(ङ) उक्त समिति विधान मंडल के दोनों सदनों को समय-समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के संबंध में प्रतिवेदन देगी।

३—प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति उसके सदस्यों में से विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। समिति की बैठक करने के लिये गणपूरक संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई होगी। समिति के सदस्य अपने पदों पर वर्तमान विधान सभा की अवधि तक रहेंगे।

अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के समितियों से संबंधित उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायं।

४—उक्त समिति के गठन के दिनांक से सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों संबंधी सभी कृत्य विधान सभा की लोक लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के अधिकार-क्षेत्र व कृत्यों के बाहर होगा और इसके लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ में आवश्यक संशोधन करने की नियत प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाय।

[श्री रामसिंह खन्ना]

५—यह सदन विधान परिषद से यह सिफारिश करता है कि यदि विधान परिषद इस संकल्प से सहमत हो तो उक्त संयुक्त समिति के गठन के लिये परिषद् द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सदन को दे ।

अनुसूची

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सूची :—

(१) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ।
(२) सरकारी सीमेंट कारखाना, चुर्क/डल्ला ।
(३) राजकीय सूक्ष्म यंत्र कारखाना ।
(४) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ।
(५) विभूति ग्लास वर्क्स ।
(६) उत्तर प्रदेश उद्योग निगम ।
(७) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ।
(८) इंडियन टरपेंटाइन एंड रोजिन कम्पनी ।
(९) उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक ।
(१०) उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक और उसकी शाखायें ।
(११) सहकारी चीनी मिलें ।
(१२) सहकारी कताई मिलें ।
(१३) प्रादेशिक सहकारी दुग्ध संघ और उसकी शाखायें ।
(१४) कानपुर दुग्ध परिषद ।
(१५) सेंट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ ।
(१६) स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ।
(१७) यू०पी० एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ।
(१८) उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम ।
(१९) यू०पी० एक्सपोर्ट कारपोरेशन ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें माननीय कृष्ण चन्द्र जी के संशोधन हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

श्रीमन् एक संशोधन तो मेरा पैरा ५ की जो अनुसूची है उसमें है । मैं यह चाहता हूं कि आइटम १९ के उपरान्त और जहां बैंकों का जिक्र किया गया है वहां पर इसमें कोआपरेटिव फेडरेशन और जोड़ दिया जाय, जो छूट गया है । यह भी एक महत्वपूर्ण आइटम है और वह ली जानी चाहिये । इसके अलावा मेरा संशोधन यह भी है कि इस १९ वीं आइटम के बाद और गवर्नमेंट स्वीकार करे तो माननीय अध्यक्ष विधान सभा की अनुमति से किसी आइटम को इनक्लूड कर सकती है । तो मेरा संशोधन यह है कि आइटम १९ के उपरान्त २०वीं आइटम यू० पी० कोआपरेटिव फेडेरेशन रख दें ।

दूसरा संशोधन मेरा पैरा १ का शाब्दिक है । इसमें सदस्य संख्या ११ बताई । मैं चाहता हूं कि उसकी जगह यह संख्या २२ हो जानी चाहिये क्योंकि ११ की संख्या बहुत कम है । इसमें १६ सदस्य, विधान सभा के और ६ विधान परिषद् के हो जायेंगे । मैं समझता हूं कि इस तरह से इसमें किसी को आपत्ति न होगी ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मेरी राय में २१ में काम चल जायगा । १६ विधान सभा और ५ विधान परिषद् के हों ।

श्री कृष्णचन्द्र---

श्रीमन्, यह बहुत ही छोटी चीज है और इसको स्वीकार कर लिया जाय । १६ विधान सभा के और ६ विधान परिषद् के हों ।

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---

श्रीमन अभी जो सुझाव दिये गये हैं कि पैरा ५ की अनुसूची में संख्या १९ के उपरान्त २० वीं संख्या कोआपरेटिव फेडरेशन भी शामिल हो जानी चाहिये, उससे हम सहमत हैं और वह इसमें शामिल कर ली जाय । एक उसी रूप का संशोधन आ जाय ।

दूसरी बात जो सदस्यों की संख्या बदलने की कही है उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसका जो मूल संशोधन है उसे इस प्रकार स्वीकार कर लिया जाय कि १६ सदस्य, विधान सभा और ६ विधान परिषद् के हो जायें । इस संख्या में से एक सभापति हो जायगा । यह मुनासिब है ।

तीसरी बात उन्होंने जो संशोधन रखा है कि इसमें ऐसा भी अधिकार होना चाहिये कि शासन जब चाहे तब माननीय अध्यक्ष की स्वीकृति से इस अनुसूची में और किसी निगम या किसी संस्था को भी सम्मिलित कर लिया जाय, जैसा आवश्यक हो, इसे भी मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आड और इविन की जो पद्धति अपनायी जाती है, इस मुद्दे पर अगर ११-११ की संख्या हो गयी तो सभापति कैसे होगा ? वैसे जैसा आप चाहें, करें ।

इसमें एक दूसरा संशोधन श्री मैनेजर सिंह और श्री रियासत हुसैन का है जो १६ और ५ सदस्यों के लिये है ।

श्री मैनेजर सिंह---

हम उसे वापस ले लेते हैं ।

श्रीमन्, जैसे पी०ए० सी० में सभापति का निर्वाचन होता है, वैसे ही वहां भी हो जाय तो अच्छा था ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

सभापति तो नामिनेटेड होता है, सदस्य निर्वाचित होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है ।

श्री कैलाश प्रकाश---

श्रीमन, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं विधान सभा के १६ और विधान परिषद् के ६ सदस्य होंगे और उन्हीं में से एक सभापति नियुक्त हो जायेगा । इसलिये इसको मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

तभी तो ज्यादा गड़बड़ होता है । मगर यह आपका दृष्टिकोण है, जो ठीक समझा करें ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने कहा, इससे थोड़ा अन्तर हो जायेगा । सदस्य तो सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट के जरिये चुने जायेंगे लेकिन सभापति तो अध्यक्ष द्वारा नामिनेट होंगे । दोनों चीजें अलग-अलग हो जाती हैं । अध्यक्ष तो उन्हीं में से चुने जायेंगे, इसका पूरा स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले सदस्यों का चुनाव हो जायेगा । २२ सदस्य जो चुनकर आवेंगे उन्हीं में से एक अध्यक्ष हो जायेगा ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, अध्यक्ष को अधिकार होता है सभापति को नामिनेट करने का । मान लीजिये अध्यक्ष जिसको चाहते हों नामिनेट करना वह चुन कर न आवे तो दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं । अभी तक यह रहा है कि नामिनेट करने वाले सदस्य को चुनाव की परिधि से अलग रखा जाता रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो २२ सदस्य चुने जायेंगे उन्हीं में से एक सभापति मनोनीत कर दिया जायेगा ।

संकल्प के पैरा (३) की प्रथम पंक्ति में "समिति के अध्यक्ष" के स्थान पर "समिति के सभापति" पढ़ा जाय और जहां जहां भी "सभापति" के स्थान पर "अध्यक्ष" छप गया हो उसे सुधार कर लिया जाय ताकि भ्रम न पैदा हो ।

प्रश्न यह है कि यह उत्तर प्रदेश विधान सभा संकल्प करती है कि:—

१—राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जाय, जो "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति" कहलाये और जिसमें २२ सदस्य हों, १६ विधान सभा और ६ विधान परिषद् के । ये सदस्य प्रत्येक सदन के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत (सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट) द्वारा आनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचित होंगे ।

२—उक्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(क) संलग्न अनुसूची में दिखाये गये तथा आगे गठित किये जाने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों तथा निगमों के वार्षिक लेखों तथा प्रतिवेदनों की जांच करना ।

(ख) उपर्युक्त उपक्रमों तथा नियमों के संबंध में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों की, यदि कोई हो, जांच करना ।

(ग) उक्त उपक्रमों एवं निगमों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुये उनकी दक्षता की जांच ऐसे दृष्टिकोण से करना कि क्या उनका प्रबन्ध ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों तथा व्यापारिक कार्यप्रणाली के अनुसार किया जा रहा है ।

(घ) उक्त उपक्रमों एवं निगमों के संबंध में अन्य ऐसे कर्त्तव्य जो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के कार्य क्षेत्र में आते हैं और ऊपर (क), (ख) और (ग) में सम्मिलित नहीं हैं परन्तु जिन्हें विधान सभा के अध्यक्ष इस समिति को समय समय पर आवंटित कर दें, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि समिति निम्न मामलों की जांच नहीं करेगी:—

(१) शासन की नीति के प्रमुख मामले जो सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों से भिन्न हों ।

(२) दिन प्रति दिन के प्रशासकीय मामले ।

(३) वह मामले जो ऐसी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में आते हों, जिन्हें संबंधित सार्वजनिक/उपक्रम/निगम की स्थापना के समय किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो ।

(ङ) उक्त समिति विधान मंडल के दोनों सदनों को समय समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के संबंध में प्रतिवेदन देगी ।

(३)प्रस्तावित समिति के सभापति की नियुक्ति उसके सदस्यों में से विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। समिति की बैठक करने के लिये गणपूरक संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी। समिति के सदस्य अपने पदों पर वर्तमान विधान सभा की अवधि तक रहेंगे ।

अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के समितियों से संबंधित उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायं ।

४—उक्त समिति के गठन के दिनांक से सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों संबंधी सभी कृत्य विधान सभा की लोक लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के अधिकार क्षेत्र व कृत्यों के बाहर होगा और इसके लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम वली, १९५८ में आवश्यक संशोधन करने की नियत प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाय।

५—यह सदन विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि यदि विधान परिषद् इस संकल्प से सहमत हो तो उक्त संयुक्त समिति के गठन के लिये परिषद् द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सदन को दे ।

अनुसूची

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सूची—

(१) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद।
(२) सरकारी सीमेंट कारखाना, चुर्क/डल्ला ।
(३) राजकीय सूक्ष्म यंत्र कारखाना ।
(४) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ।
(५) विभूति ग्लास वर्क्स ।
(६) उत्तर प्रदेश उद्योग निगम ।
(७) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ।
(८) इंडियन टरपेंटाइन एंड रोजिन कम्पनी ।
(९) उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक ।
(१०) उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक और उसकी शाखायें ।
(११) सहकारी चीनी मिलें ।
(१२) सहकारी कताई मिलें ।
(१३) प्रादेशिक सहकारी दुग्धसंघ और उसकी शाखायें ।
(१४) कानपुर दुग्ध परिषद् ।
(१५) सेंट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ ।
(१६) स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ।
(१७) यू० पी० एग्रोइन्डस्ट्रीज कारपोरेशन ।
(१८) उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम ।
(१९) यू० पी० एक्सपोर्ट कारपोरेशन ।
(२०) यू० पी० कोआपरेटिव फेडेरेशन ।
(२१) अन्य कोई सार्वजनिक उपक्रम/निगम जिसे माननीय अध्यक्ष नेता सदन के परामर्श से निर्दिष्ट करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ के अननुमोदन का प्रस्ताव

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, एक जमाना था जब कि अध्यादेशों की भरमार ही रही और अध्यादेश ही अध्यादेश जारी हो रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले पेश तो कर दीजिये ।

श्री गेंदा सिंह—

चूंकि रियासत हुसैन साहब आने वाले विधेयक के संबंध में प्रवर समिति में उसे भेजने का अपना प्रस्ताव पेश करेंगे, इसलिये हम इसे पेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो कमियां हैं वह वहां जाकर दूर हो जायेंगी । हम लोग रियासत हुसैन जी के ही प्रस्ताव का समर्थन करेंगे । इसे अपने वाले को पेश नहीं करेंगे ।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७०‡

(आबकारी मंत्री को पुकारे जाने पर)

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

पेश होने से पहले मेरी वैधानिक आपत्ति है । उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अन्दर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तथा स्टेट पालिसी का हवाला देते हुये संविधान के आर्टिकिल ४७ का हवाला दिया गया है । आर्टिकिल ४७ इस प्रकार है :—

"The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

इस विधेयक की जो जान है वह यह आर्टिकिल ४७ है । इसी का सहारा लेकर यह विधेयक बना है । इसका सहारा लेकर कुछ पीने वालों और कुछ तिजारत करने वालों को छूट दी गयी है । मेरा कहना यह है कि इस आर्टिकिल के अन्दर प्राहिबिशन पालिसी को बढ़ाने का प्राविजन है, उसको स्टेट किस तरह से लागू करे यह है उसमें । छूट देने के लिये क्या कदम उठाये जायें, पीने वालों के लिए कौन कौन से कदम उठाये जायं यह उस क्लाज में नहीं आता । इसी के साथ साथ आप आर्टिकिल १४ और १५ को भी देखें ।

आर्टिकिल १४ में इक्वालिटी आफ ला का सवाल है । १५ के अन्तर्गत बिलकुल साफ लिखा है—

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

तो मेरा आब्जेक्शन यह है कि १५ को देखते हुए रेस की शक्ल में उन लोगों को एक्जेम्प्शन नहीं मिलना चाहिए । वे रेस और रिलीजन के भेद में आ जाते हैं । हमारे संविधान के अन्तर्गत, इक्वालिटी के हिसाब से उनको किसी प्रकार का एक्जेम्प्शन नहीं मिलना चाहिए । विदेशी जब हमारे मुल्क में आएगा तो उसे हमारे संविधान के आधार पर चलना पड़ेगा । उसे इस प्रकार की रियायत देना तो हमारे संविधान की भावना के बाहर चला जायेगा ।

---

‡ १८ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही म छपा है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

१५ इस प्रकार है--"राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" तो इसको स्पष्ट कीजिए, किस प्रकार विभेद हो रहा है।

श्री रियासत हुसैन--

मैं तो ४७ के आधार पर कह रहा हूं। आर्टिकिल ४७ के अन्तर्गत ही इसको प्रस्तुत कर रहा हूं और ४७ के हवाले से मैं मेन आब्जेक्शन रेज कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि स्टेट की पालिसी जो है, वह मद्यनिषेध की है, मद्यनिषेध की ओर बढ़ने की है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पीने वालों को कोई छूट दें। यह संविधान की भावना के बिलकुल विपरीत है, उस बिल में यह प्राविजन है कि हम कुछ पीने वालों को छूट देना चाहते हैं, उन पर यह पालिसी लागू नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो राज्य के निदेशात्मक सिद्धान्तों में है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मैं इसे स्पष्ट कर दूं। माननीय रियासत हुसैन ने बड़ी तकलीफ की है और आर्टिकिल ४७ को ढूंढ़ कर वह लाये हैं। इसमें स्टेट के लिए आशा की गई है कि धीरे-धीरे वह प्राहिबिशन की तरफ जाये। मैं समझता हूं इसके विधेयक को पढ़कर आप को सन्तुष्ट हो जाना चाहिए। धीरे-धीरे उस पर काम हो, यह अमल हो रहा है, तीर्थ स्थानों पर रोक लगाई जा रही है और धीरे-धीरे आगे लगाई जायेगी और आपकी आपत्ति का उसमें उत्तर है। जो विदेशियों को छूट देने की बात है, आर्टिकिल १४ इसलिए है कि इंडियन सिटीजन्स के बीच में भेद न किया जाय। विदेशी जो हैं, वे भारत के नागरिक नहीं हैं। इसलिए वे इसमें नहीं आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके उद्देश्य और कारण भी आप दृष्टि में रखें--"यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० की धारा १४ और धारा २०, राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्र में या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात, परिवहन तथा कब्जे में रखने को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति देती है। उक्त धाराओं में मद्य निषेध के प्रसारण के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में चयन के लिए कोई मार्ग-दर्शक तत्व नहीं दिये गये हैं और न ही उक्त धाराओं में मद्य निषेध के प्रतिबन्धों के संबंध में छूट देने के लिए कोई सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। उक्त मार्ग-दर्शक तत्वों के अभाव में संभवतः यह कहा जा सकता है कि ये धारायें अत्यधिक प्रतिनिधान से ग्रसित हैं। प्रस्तुत विषय को किसी भी ऐसे संदेह से परे रखने के लिए प्रचुर पूर्व विधान के रूप में, यह प्रस्ताव है कि मद्यनिषेध के समारम्भ के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के चयन करने के निमित्त मार्ग-दर्शक तत्वों तथा ऐसे सिद्धान्तों को जिनके अनुसार मद्य निषेध संबंधी प्रतिबन्धों में छूट दी जा सके, उल्लिखित किया जाय।" "यह भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि जब किसी क्षेत्र में मद्य निषेध के समारम्भ के परिणाम स्वरूप इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेंसों को निरस्त किया जाय तो ऐसे निरसन के लिए किसी नोटिस की आवश्यकता न हो तथा ऐसे किसी लाइसेंस-धारी को कोई प्रतिकर देय न हो। तद्नुसार उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० पुरःस्थापित किया जाता है।"

श्री मेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय रियासत साहब ने जो कहा है २०(ए) को देख लें। यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल के अनुकूल है कि किन-किन क्षेत्रों में मद्य निषेध किया जायगा। यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल के विपरीत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

यही तो मैं पूछ रहा था।

श्रम मंत्री (श्री हिम्मत सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रियासत साहब को जवाब मिल गया। जान-बूझ कर वह इसे रख रहे थे। जो असली चीज है उसको दृष्टि में रख कर कह रहे थे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह विधेयक १४ जुलाई, १९७० को जो अध्यादेश जारी किया गया था उसको अधिनियम का रूप देने के लिए लाया जा रहा है। यू० पी० एक्साइज ऐक्ट में मद्यनिषेध के प्रसारण के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में चयन के लिए कोई गाइडिंग लाइन्स नहीं थी, उसका अधिकार सरकार ले रही है। साथ ही मद्य निषेध के क्षेत्रों में कुछ लोगों को प्रतिबन्ध होते हुये छूट देने का अधिकार ले रही है। तीसरे उस ऐक्ट की धारा ३५ के अन्तर्गत नोटिस देना और कम्पेन्सेशन देना आवश्यक था। अब इसमें जब मद्य-निषेध लागू हो जायगा तो लाइसेंस कैंसिल हो जायगा। उनको कोई नोटिस देना या कम्पेंसेशन देना आवश्यक नहीं है। लेकिन जो रुपया इकट्ठा आ गया है वह उनको वापस कर दिया जायगा। इस विधेयक के द्वारा बहुत थोड़ा अधिकार सरकार ले रही है, विशिष्ट क्षेत्रों में चयन करने का और प्रतिबन्ध होते हुए कुछ लोगों को दवा के लिए, या फौजी आदमियों को या लाइसेंसदारों को छूट दे सकती है। यह अधिकार दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे। ऐसा कोई बिल नहीं है जिस पर ज्यादा वाद विवाद हो।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करें जिसको परिधि बढ़ाने का अधिकार हो।

(सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्रीमन्, यह एक पालिसी का विषय है। मद्यनिषेध के बारे में हर साल यह माननीय सदन अपने विचार व्यक्त करता है। आखिर उत्तर प्रदेश की मद्यनिषेध के बारे में पालिसी क्या है और जहां तक इस बिल का सवाल है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था यह तो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी के अन्तर्गत लाया गया है जिसमें साफ लिखा गया है कि प्रोहिबिशन को कैसे बढ़ाया जाय, पीने की बुरी आदत को कैसे छोड़ा जाय, सरकार इस तरफ कानून बनाये। इसके अन्दर कुछ फौजियों और ऐसे लोगों को छूट दी गयी है कि वह पियें। मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा। लेकिन सोचना यह पड़ता है कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां आपके ऊपर महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, आखिर हम इस प्रोहिबिशन की पालिसी को कहां ले जाना चाहते हैं? मुझे खेद के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि आज तक यह प्रदेश इसके बारे में पालिसी निर्धारित नहीं कर पाया कि हम चाहते क्या हैं? कुछ लोग पीने को तरजीह देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जो एक्साइज ऐक्ट बना है जिसमें पीना जुर्म करार दिया गया है, अदालतों के सामने जो मुकदमे जाते हैं, उनमें होता है कि यह नाजायज शराब बेच रहा था, पीते हुए यह पकड़ा गया। इसके अन्दर एक कामन मैन, रिक्शा चलाने वाला मजदूर अगर पीता है तो उसके ऊपर पुलिस सवार हो जाती है कि इसने जुर्म किया है। उसी चीज को मिडिल क्लास का आदमी पीता है तो पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उसको पकड़ कर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे बल्कि सिर्फ यह बात लग जाती है कि यह शराब पीता है, बदनामी उड़ जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसी शराब को ऊंची सोसाइटी के लोग पीते हैं, जिनके पास साधनों की कोई कमी नहीं, चाहे वह शराब बड़े-बड़े अफसर पियें या पूंजीपति, या हाई क्लास की जेंट्री पिये, चाहे नैनीताल के बोट हाउस क्लब में पियें, चाहे भिन्न जिलों के क्लबों में उच्चाधिकारियों के साथ बैठ कर पियें, यहां तक होने लगा है कि शराब की बोतल के सामने बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों और मुकदमों का निर्णय हो जाता है, उनके पीने से न कोई जुर्म साबित होता है न बदनामी होती है। बल्कि वह कहते हैं कि यह हमारा शौक है। जहां चार और बातों का शौक पूरा होता है वहां शराब का भी शौक पूरा होता है। सरकार को एक निश्चित पालिसी बनानी चाहिए और बहुत सोच समझ कर बनानी चाहिए। यह नहीं है कि अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट लाते जायं, हर तीसरे महीने एक छोटा सा अमेंडमेंट रख दिया, इस दिक्कत को दूर करने के लिए यह अमेंडमेंट आ गया। यह ऐसा विषय है कि इस चीज को कारामद करने के लिए आल इंडिया लेविल पर प्रोहिबिशन काउंसिल बनी हुई है, प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट बना हुआ है। कर्मचारी हैं जिनका काम यही है कि लोग पीने की बुरी आदत को छोड़ें। लेकिन सारी चीजों को देखते हुए उल्टी दिशा में मामला चलता है। पीने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है तो किस की है? क्राइम वर्ल्ड में एक बड़ी बीमारी एक्साइज के मामले में स्मगलिंग की आ गयी है। लोग यह समझते हैं कि सबसे अच्छा पेशा स्मगलिंग का है। इन्टरस्टेट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल गैंग्स आपरेट करते हैं। नेपाल को यू० पी० से हो कर ही जाता है, चाहे फर्स्ट क्लास के डिब्बों में जाय या हवाई जहाज में जाय। लेकिन यहां तक नौबत पहुंची है, यह अनुचित नहीं होगा अगर एक मिसाल मैं कोट कर दूं।

माननीय मंत्री जी की सूचना के लिये बतलाना चाहता हूं कि सूबे के एक नगरपालिका चेयरमैन की कार आसाम बार्डर पर अफीम और गांजा ले जाते हुये स्मगलिंग में पकड़ी गई है। बदायूं नगरपालिका के चेयरमैन की कार पकड़ी गई है। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि सोसाइटी के वह लोग जो चेयरमैन हैं या रिस्पेक्टेबुल जगह पर हैं, अगर वह ऐसा करेंगे तो कामन मैन अगर वह कच्ची शराब ले जावे या गांजा ले जावे तो कैसे रोक पावेंगे? जो लोग स्मगलिंग को रोकने वाले हैं यह एक ही इन्सपेक्टर होता है। फी दुकान से १,००० रुपया बंधा होता है। इससे उसको पानी मिलाकर शराब बेचने की छूट मिल जाती है और प्रोहिबिटेड डे के दिन भी दुकान खोलने की उसको छूट मिल जाती है। तो सरकार हमें कहां ले जाना चाहती है। यह सही है कि इससे बहुत आमदनी होती है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आमदनी तो होती है लेकिन क्या आप अपने देश और प्रदेश का निर्माण इस आमदनी पर करना चाहते हैं? यह आमदनी मजहबी हैसियत से हराम है और कानून की हैसियत से जुर्म की आमदनी है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह की आमदनी को काम में लगाते हैं तो देख लीजियेगा कोई भी काम ठीक तरह से नहीं हो सकेगा। जैसे कि एस्योरेंस कमेटी के चेयरमैन साहब ने एक दो मिसाल दी कि वह पैसा जिस निर्माण-कार्य में लगाया जावेगा वहां अफसरान सीमेन्ट में रेता मिलाकर कार्य करेंगे और उससे कोई बरकत नहीं हो सकती है। इससे जो आपका लक्ष्य है वह भी पूरा होने वाला नहीं है। तो सोचना पड़ेगा कि कृपा करके इस आमदनी की जगह पर कोई जायज आमदनी बढ़ाइये जिससे देश और प्रदेश का निर्माण हो और जो भी पैसा निर्माण कार्य में लगाया जाय वह अनुचित न हो।

मैं श्रीमन्, आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि अदालत के अन्दर जो मुकदमे चलते हैं तो होता क्या है कि एक्साइज वाले मिलकर मामला तय कर लेते हैं और कह देते हैं कि १० रुपया जुर्माना करा देंगे कबूल कर लेना। एक ही तारीख पर ऐसे मुकदमे का फैसला हो जाता है। वह कहता है कि १० रु० में छुटकारा हो गया तो इससे उसको उत्साह मिलता है कि आगे भी इस कार्य को करे। तो इसको आप कैसे रोक पायेंगे? जगह जगह चेकिंग के वास्ते आपके स्टाफ के लोग खड़े रहते हैं। टक्सीज के अन्दर वह समझते हैं कि कोई ऐसा आदमी है जिसको रोकने पर मामला गड़बड़ होगा तो नहीं रोकते हैं लेकिन बसों को रोक लेंगे और १५. १५ मिनट तक तलाशी होती रहेगी। अगर टैक्सी में समझते हैं कि कुछ है लेकिन फिर भी

[श्री रियासत हुसैन]

उससे नहीं बोलेंगे क्योंकि महीनावार इनका पेमेन्ट हो जाता है। अगर आपकी पालिसी प्रोहिबिशन की है तो आप इस तरह के कानून बनाइये कि जो आदमी शराब खींचने के लिये या अफीम वगैरह के बारे में कोई इन्डस्ट्री इस्टेबलिश करना चाहता है और आपसे लोन लेना चाहता है तो आप उसको लोन न दें। क्योंकि ऐसा करके आप उसको प्रोत्साहित करते हैं कि गवर्नमेन्ट की ओर से इस काम के लिये भी लोन दिया गया।

नेक काम बहुत हैं उनके लिए लोन दें। किसान लोन चाहता है, छोटे कारखाने वाले लोन मांगते हैं उनको आप नहीं देते। मिसाल के तौर पर आपको बतलाऊं। गोरखपुर में जूट के बैग का कारखाना खोलने के लिए एक साल से दरख्वास्त पड़ी है। सारी कार्यवाही भी हो गयी लेकिन इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन ने लोन नहीं दिया। इसलिए अच्छे कामों के लिये नहीं दे पाते, बुरे कामों के लिये दे देते हैं। शराब बेचनेवाले को आप दे देंगे लेकिन उम्मीद यह करें कि वह शराब बेंचे नहीं तो यह कैसे हो सकता है? वह तो यह चाहेगा कि अगर आज दस आदमी शराब पीते हैं तो कल बीस आदमी पीयें। पीने वालों की तादाद बढ़ेगी तो जो बोतल आज ४ रु० की है वह ८ रु० की बिकेगी। यह तो डिमान्ड सप्लाई का नियम है। डिमान्ड बढ़ जाती है तो चीज की कीमत भी बढ़ जाती है। आप एक तरफ तो प्रोहिबिशन की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनको प्रोत्साहन देते हैं तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ पड़ती हैं। आपको एक निश्चित पालिसी एडाप्ट करनी पड़ेगी। इस बिल की जो खास जान है वह यह कि इन इन को एक्जेम्प्ट कर दिया जाय। जिन नगरों में प्रोहिबिशन लागू है वहां भी आप ने कुछ को छूट दे दी है, जैसे डिफेन्स वालों को।

श्रीमन्, मैं भी चार साल डिफेन्स सरविसेस में रहा हूं। मैं जानता हूं कि वहां लोगों को फ्री शराब मिलती है। लेकिन मैंने न एक दिन शराब पी न सिगरेट और न पान खाया। लेकिन इतने पर भी मेरी सरविसेज में कौन घाटा आया? यह मेरी समझ में नहीं आती कि सिपाही जो देश की रक्षा करता है आप उससे उम्मीद करते हैं कि वह शराब के नशे में रहकर ज्यादा रक्षा कर सकेगा तो याद रखें हिन्दुस्तान के ऊपर सैकड़ों हमले हुए जिसकी बहुत-सी मिसालें मिल जायेंगी जब कि यहां के जो रक्षक थे वे पीने खाने में मस्त, शराब के नशे में धुत और तबला सारंगी में डूबे रहते थे और दुश्मन के आने पर कहते थे कि कोई परवाह नहीं, तबले की एक थाप पर उसको उड़ा देंगे। लेकिन, श्रीमन्, वह दुश्मन को तो न उड़ा पाये बल्कि दुश्मन ने कब्जा कर लिया और वे जेल में चले गये। तो हमारा फौजी सिपाही शराब पीकर हमारी रक्षा करेगा यह बात समझ में नहीं आती। दूसरी छूट आपने ट्रैवलर को दी है। अगर वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उस पर भी पाबन्दी नहीं है। यह बात भी मेरी समझ में नहीं आयी क्योंकि अगर कोई आदमी उन्नाव से चोरी करके लखनऊ में आ जाय और उसके ऊपर आई० पी० सी० लागू नहीं हो तो यह भी कुछ इसी तरह से है। लेकिन लखनऊ में जब चोरी का माल ले आया तो वह मुजरिम हो गया लेकिन आप कहते हैं कि कोई भी ट्रैवलर, जिसके पास शराब है और किसी भी एरिया से आते हैं, वह एक्जेम्प्ट होंगे।

इसी तरह से आपने 'जी' में कह दिया कि रिलीजस परपजेज के लिये छूट देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा रिलीजन है, मैंने भी सभी रिलीजन्स का कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, जिसमें शराब पीने के लिये कहा गया है। सभी रिलीजन्स में शराब को बुरी बला कहा गया है। हिन्दू, सिक्ख, ईसाई और मुसलमान सभी में यह बुरा माना गया है। वैसे जहां तक पीने वालों की बात है, उनकी कमी किसी भी मजहब में नहीं है लेकिन किताबें जो कहती हैं वह यही है कि शराब का नशा करना बुरी बात है। इसलिए मैं नहीं समझ पाया कि कौन सा ऐसा रिलीजस परपज आपके सामने आ गया कि आपने कह दिया कि हम रिलीजस परपज के लिये छूट देंगे। अगर आपने उनको छूट दिया तो कौन सा आधार इसका होता है। हमारा कौन सा रिलीजन है जो यह बतलाता है कि शराब का उसके यहां इस्तेमाल करना है, मिलाद शरीफ

के नाम से, कथा के नाम से अथवा सालाना प्रोग्राम के नाम से इसको इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है ?

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

हमारे यहां कुछ आदिवासी लोग हैं जिनके यहां जब कोई धार्मिक कृत्य किया जाता है तो उनके यहां शराब का उसमें इस्तेमाल होता है ।

श्री रियासत हुसैन--

कोई तब्का तो हो सकता है परन्तु आखिर उनका कोई (रिलीजन) धर्म तो होगा ही, उसमें ऐसा कहीं नहीं है । हां, एक तब्का जरूर कोई हो सकता है ।

एक सदस्य--

बंगाल में काली माई के पुजारी हैं वे भी धर्म में ही इसका इस्तेमाल करते हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जहां पर साल में एक बार इसका इस्तेमाल होता है वह कोई ऐसी चीज नहीं है । काशीपुर में साल में एक बार भैंसे का बलिदान होता है तो वह तो साल में एक बार होता है । यह तो उस तब्के का ट्रेडीशन है, कन्वेन्शन है और वहां पर तो आप इसको दे सकते हैं । जैसे कि राम प्यारे जी ने कहा कि उनके यहां ट्रेडीशन है और उस मौके पर शराब का इस्तेमाल किया जाता है । ट्रेडीशन या कन्वेन्शन नहीं है । मंत्री जी ने तो रिलीजन का नाम लिखा है उसमें यह नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप धर्म के विषय में न कहें और जहां तक कि संविधान का प्रश्न है वहीं तक इसको कहें ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)--

हमारे यहां इसाई धर्म में यह है कि फलां मौके पर उसको शराब लेनी पड़ेगी और अगर वह नहीं लेता है तो वह क्रिश्चियन नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

मेरे कहने का यह मतलब है कि ऐसे काम के लिये मैं नहीं बता रहा हूं । मैं यह बता रहा हूं कि रिलीजन को, मजहब को ऐज ए होल बता रहा हूं कि वहां पर इस तरह की कोई छूट नहीं है । वहां पर कान्सटीट्यूशन को लागू करना है, रिलीजन के अन्दर उसको नहीं होना चाहिये । माननीय मंत्री जी से मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उनको इस बात के ऊपर गम्भीरता के साथ बैठकर विचार करना चाहिये कि हमारी प्रोहिबिशन के बारे में क्या पालिसी होनी चाहिये । अगर वह कहते हैं कि हमको तो केवल पैसा मिले तो इस तरह की पाबन्दी तो सेकेन्ड्री चीज हो जाती है । अगर आप यह चाहते हैं कि चाहे जायज हो अथवा नाजायज हो रुपया ही इकट्ठा करना है तो मैं यह कहूंगा कि दो चार चीजें और भी लागू कर दें जिनसे उनको और ज्यादा पैसा मिल सकता है लेकिन अगर हमारा आधार यह है कि हम ईमानदारी के साथ इस समाज को सही रास्ते पर लगाना चाहते हैं, उसकी बुराइयों को निकालना चाहते हैं, चाहे गरीब हो, मध्यवर्गी हो अथवा बड़े लोग हों उनको सही रास्ते पर लगाना है तो हमको इस पर फिर से गम्भीरता के साथ विचार करना होगा । यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब जरूरत हुई कोई अमेन्डमेन्ट ले आये और उसको कर दिया परन्तु इस पर गम्भीरता के साथ हमको विचार करना ही होगा । एक कम्प्रीहेन्सिव पालिसी उसके ऊपर हमको बनाना है जिसको यह माननीय सदन पास करे ताकि इस स्टेट की सारी जनता आराम से सांस ले सके और लक्ष्य की ओर बढ़ सके जिसके लिये मान्यवर, आपके ऊपर लटकता हुआ उस महापुरुष का चित्र है, जिसने हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखलाया था । इस कारण मान्यवर, इसको आप एक प्रवर समिति को सौंप दें जिसमें आप स्वयं भी होंगे और हम लोग भी होंगे और फिर इस अहम मसले पर कोई निर्णय ले सकेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यद्यपि कुछ बातें जो माननीय रियासत हुसेन साहब ने कहीं हैं वे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जो सवाल उठाये हैं वह महत्वपूर्ण हैं और उन पर विचार करने की जरूरत है। मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है इस प्रदेश की ५ करोड़ रुपये की आय इन मादक वस्तुओं से होती है और अगर २५ करोड़ रुपये की आय को लेकर हम जनजीवन के साथ खिलवाड़ करें तो यह उचित नहीं है। हम लोग महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर वहां विचार करते हैं। २५ करोड़ रुपये जो इन साधनों से एकत्र किये जा रहे हैं, मान्यवर यह शराब, आप विश्वास कीजिये कि आज इस प्रदेश के अन्दर प्रत्येक घर के अन्दर, शायद ही एक-आधा घर छूटा हो, एक प्रकार से कुहराम मचा हुआ है, परिवार उजड़ रहे हैं, जन जीवन नष्ट हो रहा है, दुश्चरित्रता पैदा हो रही है। इसलिये आज हम मजबूर हो रहे हैं कि यह जो २५ करोड़ रुपया कमा रहे हैं, वह कहां तक ठीक है। इस प्रदेश की आबादी मान्यवर करीब ९ करोड़ है। अगर प्रति व्यक्ति हिसाब आंकें तो ३ रु० प्रति व्यक्ति बैठता है और २५ पैसे प्रति माह। तो कोई भी व्यक्ति इस २५ पैसे को छोड़ने के लिये तैयार हो सकता है ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिये हमको चाहिये कि हम कोई और आयोजन कर लें।

मान्यवर, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये इसलिये खड़ा हुआ हूं कि इस विधेयक के अन्दर इस बात के लिये कदम उठाया गया है कि कुछ तीर्थ स्थान पर, कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे विद्यालय हैं, शिक्षण संस्थायें हैं और जहां पर जनमत का विरोध है, उनको हम मद्य निषेध क्षेत्र घोषित कर सकें। इसमें इस प्रकार का आधार सरकार को दिया जा रहा है इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं और सब ओर से इसका समर्थन होना चाहिये। लेकिन जो गम्भीरता पूर्वक सोचने की बात है वह यह है कि आज मोहल्ले मोहल्ले के अन्दर, गांव गांव के अन्दर बीच में एक शराब का ठेका कायम है। शाम होने के बाद मोहल्ले की कोई महिला घर से निकलना पसन्द नहीं करती। शहर के अन्दर, मान्यवर, मैं समझता हूं कि जहां शराब की दूकानें हैं सारे क्षेत्र के अन्दर गन्दगी है और शराब पीये हुये आदमी इधर-उधर पड़े हुये हैं। गन्दगी हो रही है और हर जगह दुश्चरित्रता हो रही है और जनजीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आप रेवेन्यू की परवाह न करें।

एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे साधन भी लक्ष्य के समान पवित्र हों (मीन्स जस्टीफाईड दी एण्ड)। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर आप यह सोचें कि हम एक गन्दगी से रुपया निकाल रहे हैं तो फिर आप वह पेशा जो आपने बन्द कर दिया है उसको चालू कर देंगे जैसे नाचघर आदि और कहिये कि हम उन पर भी टैक्स लगायेंगे। हो सकता है कि आपको करोड़ों रुपये का लाभ हो जाय, लेकिन वह रुपया, वह लाभ जो हमारे आने वाले बच्चों के लिये प्रदेश के लिये हानिकर हो उससे क्या लाभ? एक कहावत है कि जैसा खाये अन्न वैसा होवे मन। अगर इस प्रकार के साधन एकत्र किये गये और उन्हें हमारे नवयुवकों और बच्चों के विकास के लिये खर्च किया जायगा तो देश के अन्दर यह हालत हो जायगी कि कोई भी बच्चा अपने बाप का कहना नहीं मानेगा, कोई परिवार सुखी न होगा, कलह होगी और आज उसका कुछ असर दिखाई पड़ रहा है। इसलिये श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं माननीय रियासत हुसैन साहब से कि वह इस बात का आग्रह न करें कि इसको दूबारा विचार करने के लिये सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय क्योंकि उसमें समय लग जायगा। इसमें एक अच्छा कदम उठाया गया है। आप इस पर विचार कर लें। एक बात रियासत हुसेन साहब ने कही प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये। मान्यवर, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो १५ हजार और १२ हजार फुट की ऊंचाई पर लड़ाई के लिये बैठते हैं तो उनके हाथ पैर नहीं चल सकते। उनको शराब देनी पड़ेगी। जब तक कि उसको किसी न किसी प्रकार से उसके लिये उत्साहित न करेंगे लेकिन यह जरूरी नहीं कि गांव के अन्दर भी सैनिक इसका प्रयोग करे। अगर गांव के अन्दर वह बोतल खोल कर पियेगा तो

१० अन्य परिवारों को खराब करेगा। मद्य क्षेत्र से गुजरने वालों के लिये कोई आवश्यकता नहीं है। मद्य निषेध एक जगह कर दिया उसका दुरुपयोग फिर दूसरी जगह होगा।

जहां तक ग्राइस साहब की आपत्ति है वह मेरी समझ में आती है। प्रमुख धार्मिक प्रयोजनों के लिये छूट दी जा सकती है लेकिन यह भी सत्य है कि इसे कोई बड़ा व्यापक स्वरूप नहीं दिया जा सकता और धार्मिक कृत्यों के हेतु आम तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होता। मैं समझता हूं कि यह एक धार्मिक कृत्य न हो कर उनके एक फंक्शन का आयोजन मात्र है और ऐसे विशेष आयोजनों के लिये आप निर्देश दे सकते हैं लेकिन धार्मिक शब्द का आप इसके लिये इस्तेमाल नहीं कर सकते। होली का त्योहार है। उस दिन लोग भंग अथवा दूसरे मादक द्रव्य पीते हैं। अब होली का नाम लेकर सब जगह शराब चलने लगे तो फिर उसका दुरुपयोग होने लगेगा। ग्राइस साहब की जो भावना है उसका आदर करते हुए इसमें शब्दावली इस प्रकार की चयन की जाय जहां आवश्यकता हो वहां दें लेकिन आम तौर से धार्मिक कृत्यों के नाम पर हर्गिज नहीं दी जानी चाहिये.....

(व्यवधान)

मंत्री जी ने जो प्रयास किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

एक निवेदन उसके साथ यह है कि जहां पर शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र आया है वहां पर पर्यटक क्षेत्र और रख दें, उनको भी जोड़ दिया जाय। जहां पर हा-हुल्लड़ होगा वहां पर्यटक नहीं जायंगे। अगर देहरादून में आबादी के अन्दर से आप शराब की दुकानें निकाल देंगे तो आप की रेवेन्यु दुगुनी और तिगुनी हो जायगी। आबकारी की दूकानें म्युनिसिपल क्षेत्र के बाहर चली जानी चाहिये तब भी पीने वाले वहां भी पहुंच जायंगे। हां, घर कैसे लौटेंगे यह दूसरी बात है लेकिन पीने जरूर पहुंच जायंगे। आप को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि रेवेन्यू तो आप को मिलेगी ही, सिर्फ शराब की दूकानें आप को म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर ले जाना होगा। पहले से कुछ नियम चले आ रहे हैं उनमें से कुछ विचित्र नियम यह है कि दुकानें वहां कायम की जायं जहां धनी आबादी हो। यह नियम अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है। उनका ख्याल था कि आबादी धनी होगी तो रेवेन्यु भी ज्यादा होगी लेकिन हम को तो स्वच्छ रुपया चाहिये, गन्दा रुपया नहीं चाहिये।

मुझे आशा है कि मंत्री जी आश्वासन देंगे कि ये आबकारी की दुकानें म्युनिसिपल लिमिट के बाहर नीलाम की जाया करेंगी। गांव के अन्दर गांव की बस्ती के अन्दर न खोली जायंगी ताकि जन जीवन पर उसका असर न पड़े। मैं उसका स्वागत करता हूं कि कुछ धार्मिक तथा तीर्थ स्थानों पर शराब की दुकानें नहीं खोली जायंगी। मुझे आशा है कि दिन प्रति दिन यह कदम बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आयेगा जिस दिन उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से मद्य निषेध होगा। यह आप सही रूप में कदम उठा रहे हैं और इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी मंत्री जी द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि यह ज्यादा दिन की बात नहीं है।

जब हमारा देश आजाद हुआ तो हर आदमी को यह आशा लगी थी, जैसा कि गांधी जी का सुझाव था कि यहां पर नशे का उन्मूलन होगा, कोई आदमी नशीली चीजों का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह अभी तक बन्द नहीं हुआ है। चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों और चाहे विरोध पक्ष के लोग हों, हर आदमी को यह मानना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भाभी]

पड़ेगा कि शराब बहुत खराब चीज है। हर दल के लोग शराब को खराब कहते हैं, शराब बुरी चीज है, गांजा बुरी चीज है। २२ वर्ष इस सरकार को हो गये हैं किन्तु इसने अभी तक नशीली चीजों के प्रयोग को बन्द नहीं किया है। एक प्रतिशत या दो प्रतिशत भी इसे बन्द नहीं किया है। जब शुरू हुआ था तो नशीली वस्तुओं को प्रयोग करने वाले लोगों का प्रतिशत बहुत कम था। जब मुल्क आजाद हुआ तो सरकार ने इसे इतना बढ़ा दिया कि यह अब अपनी पूरी जवानी पर पहुंच गया है। जो आदमी नशा करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अमीर आदमी जब नशा करता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है किन्तु जब गरीब आदमी नशा करता तो वह अपनी सारी सम्पत्ति को स्वाहा कर देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह साफ कहूंगा कि २२ साल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि इस शराब और गांजे आदि नशीली वस्तुओं के प्रयोग को सरकार बन्द नहीं कर सकी जब कि इसकी चर्चा हमेशा ही हुआ करती है तो यह बड़े दुख की बात है। मैं तो यही कहूंगा कि सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष दोनों को मिलकर इसे अवश्य खत्म करना चाहिये और इसमें मतभेद नहीं होना चाहिये। यह चीज नहीं होनी चाहिये कि एक तरफ तो आप कुछ और चीज दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप कुछ और कर रहे हैं। इस एस० वी० डी० की सरकार को इसके उन्मूलन के बारे में सोचना चाहिये और इसे बन्द कर देना चाहिये। इसको बन्द करने के सम्बन्ध में इस संविद सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिये। इस नशाबन्दी के कदम उठाने पर कभी भी दो रायें नहीं होनी चाहिये। पुरानी सरकारों की तरह ही इस सरकार ने भी यदि इसे बन्द नहीं किया तो मैं समझूंगा कि यह सरकार उससे भी खराब है। आज पुरानी सरकारों के ऊपर दोष लगाया जाता है कि उसने यह कदम नहीं उठाया तो इस पर भी वही दोष आने वाली सरकारें लगायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं और अन्त में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब हर व्यक्ति इस शराब को अच्छी चीज नहीं मानता है तो इसे क्यों न बन्द कर दिया जाय? सरकार के दोनों पक्ष भी इसे खराब समझते हैं और आपके हाथ में ही जब इसको बन्द करने का कानून है तो इसे बहुत जल्दी खत्म कर देना चाहिये। इतना कह कर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यह जो मद्यनिषेध विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस के सम्बन्ध में बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मान्यवर, अभी हमारे माननीय साथी बोल रहे थे और यह कह रहे थे कि यह जो संविद सरकार बनी है अगर इसने नशाबन्दी की तरफ सख्ती से कदम नहीं उठाया तो हम समझेंगे कि इस सरकार से कमजोर और कोई सरकार नहीं हो सकती है और २२ साल तक जो सरकारें रही हैं उनसे कमजोर यह सरकार होगी। ऐसे ही कुछ हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे।

मान्यवर, मैं चौधरी साहब की सरकार, इससे पहले की संविद सरकार के जब वे मुख्य मंत्री थे, की एक मिसाल उनके सामने रखना चाहता हूं ताकि उन्हें यह अन्दाजा हो जाय कि संविद सरकार क्या करती रही हैं और क्या कर रही हैं? मान्यवर, दिनांक १०-९-६७ को "स्वतंत्र भारत" समाचार पत्र में उसके सम्पादक ने लिखा है कि "नशाबन्दी के संबंध में एक शिष्टमंडल आज मुख्य मंत्री चौ० चरण सिंह से मिला जिसका नेतृत्व गुजरात के भू० पू० मुख्यमंत्री श्री जीवराज मेहता ने किया। शिष्टमंडल में मद्यनिषेध पुनर्मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष जस्टिस टेकचन्द ने प्रदेश में पूर्ण मद्यनिषेध की मांग करते हुए यह समझाने का प्रयास किया कि इससे अपराध कम हो जायेंगे। आपने इस क्षति की पूर्ति बिक्रीकर बढ़ाकर करने का सुझाव दिया।"

आगे इसमें आया है—".....आपने (मुख्यमंत्री ने) यह भी स्वीकार नहीं किया था कि गम्भीर अपराध शराब के कारण होते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि संविद के १९ सूत्री कार्यक्रम में मद्यनिषेध शामिल नहीं है और दूसरे इस विभाग पर खर्च केवल ५० लाख रुपये और आय २१ करोड़ है।"

मुख्य मंत्री ने इसको भी स्वीकार नहीं किया कि इससे अपराध बढ़ते हैं। जब कि सब को मालूम है कि मादक द्रव्यों के सेवन से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ता है। माननीय चौ० चरणसिंह शायद आर्यसमाजी थे, मुझे पूरी जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पूरी जानकारी करके ही कुछ कहिये।

श्री रामलाल राही—

मैं तो अपनी कमजोरी भी स्वीकार कर रहा हूं। संविद के मुख्य मंत्री के ऐसे विचार रहे हैं और अभी हमारे भाई ने नशाबन्दी को लागू करने की आशा की है। भला वह कैसे हो सकता है। उन्होंने तो कह दिया था कि हमारे १९ सूत्री कार्यक्रम में ही वह नहीं है। जब यह सरकार बनी थी तो इसने वायदा किया था कि सारे दुर्व्यसन और बुराइयां दूर की जायेंगी। लेकिन जब उनसे प्रश्न किया गया तो कहते हैं हमारे कार्यक्रम में ही नहीं है। मेरा तो पूरा विचार है कि मादक द्रव्यों से भ्रष्टाचार बढ़ता है। चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई उच्च पदाधिकारी हो, जो भी व्यक्ति नशा करता है, वह कभी भी इन्साफ नहीं कर सकता। क्योंकि वह तो पिनक में फैसला करता है। इसलिये मैं इस सरकार से आशा करूंगा कि वह पूर्ण मद्य-निषेध लागू कर देगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक एक बोतल पर जो फैसले इधर से उधर होते हैं, वह बन्द न हो सकेंगे और न स्वच्छ शासन ही स्थापित हो सकेगा।

अभी कहा गया कि गरीब लोग पीते हैं। केवल गरीब ही नहीं पीते, अमीर भी पीते हैं। जो भी ऐब गरीब में आता है वह ऊपर से अमीरों से ही आता है। यदि जिले में जिलाधीश और बड़े अधिकारी शराबी और भ्रष्टाचारी हों तो फिर नीचे का तबका भी बच नहीं सकता। क्या उसको वे अधिकारी रोक पायेंगे? मैं तो कहता हूं कि समाज में जितने ऐब पैदा हो गये हैं वे सारे ऊपर से बड़े लोगों से ही पैदा हुये हैं और वे ऊपर से ही समाप्त होंगे। जो चीज जहां पैदा होती है वहीं से समाप्त भी हो सकती है। अपने समाज में परम्परा ऐसी है, मान्यतायें ऐसी हैं कि बड़े आदमी की पूजा होती है। साधन सम्पन्न व्यक्ति पूजा जाता है, उसकी समाज में बात चलती है और उसकी समाज में मान्यता होती है। अगर वह व्यक्ति अच्छे काम करने लगे, ईमानदारी और निष्ठा से काम करने लगे तो जो छोटा वर्ग है वह भी उसकी देखा देखी ईमान-दारी से काम करने लगेगा और स्वच्छ प्रशासन होगा और जो हमारे यहां आज वातावरण दूषित हो गया उसमें सुधार आयेगा और निखार आयेगा। समाज में सारे ऐब ऊपर से ही आये हैं और ऊपर से ही मिटने वाले हैं।

एक छोटा सा मजदूर है वह दिन भर में कड़ी मेहनत करके २-३ रुपये कमाता है। जब वह क्लब के सामने से होकर निकलता है और वहां बोतलों की आवाज और पायल की झंकार सुनता है तो क्या उसके दिल पर उसका असर नहीं होता और घर जाकर वह सोचेगा नहीं और अगर अच्छी शराब नहीं मिल सकती उसे तो एक छटांक स्प्रिट ही पी लेता है, वह भी उसी का व्यवहार शुरू कर देगा। सब से पहले आप ऐसे क्लबों और होटलों को बन्द कीजिये जहां पर शराब पी जाती है। बड़े बड़े साधन सम्पन्न परिवारों के ऊपर प्रतिबंध लगाइये तभी आपका नीचे का तबका दुरुस्त हो पायेगा। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह प्रशासन को दुरुस्त करे और जो लोग प्रशासन में हैं उनके चरित्र को देखे, काम को देखे और जो शराबी, अफीमची और दुर्व्यसनी हैं उनको नौकरी से अलग किया जाय। ऐसे आदमियों से जनता का हित नहीं हो सकता है। इसके लिये सरकार को पूर्ण नशाबन्दी योजना लागू करनी चाहिये। अगर सरकार नहीं करती है तो धीरे धीरे कोई काम नहीं होता, न चल ही पाता है। इंदिरा जी आज जिस रफतार से समाजवाद की ओर बढ़ रही हैं उसी रफतार से आपको

[श्री रामलाल राही]

बढ़ना होगा और जब आप रफ्तार से बढ़ेंगे तभी आप इसको बन्द कर पायेंगे अन्यथा दिखावे के कामों से जनता पर कोई असर होने वाला नहीं है। जनता आपके भुलावे में आने वाली नहीं है, जनता अच्छी तरह जानती है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको इस बिल पर नहीं बोलना है।

श्री राम लाल राही—

एक बात यह कही जाती है कि इससे रेवेन्यू आती है। क्या यह इसी आधार पर सरकार चलाना चाहते हैं, समाज सेवा कराना चाहते हैं? फिर सरकार चकलाखाने चला कर टैक्स क्यों नहीं लगाती है? इससे पैसा क्यों नहीं वसूल करती? रेवेन्यू तो वहां से भी आ सकती है। गलत तरीके से पैसा आता है तब भी आप इसको बन्द नहीं करना चाहते हैं। यही तो करप्शन को बढ़ाने की जड़ है। जब तक इस भावना को यह सरकार अपने दिमाग से नहीं निकालेगी तब तक स्वच्छ प्रशासन यह कतई नहीं ला सकती है। मेरा ही नहीं, इस उत्तर प्रदेश की पूरी जनता का यह विश्वास है कि सरकार से कोई जनकल्याण होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस विधेयक पर नहीं बोल रहे हैं। आप दोहरा रहे हैं।

श्री रामलाल राही—

मैं नशाबन्दी पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है।

श्री रामलाल राही—

मुझे ५ मिनट और दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रामलाल राही—

तो मैं इस सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस विधेयक को वापस ले ले और इसी सत्र में पूर्ण नशाबन्दी योजना को लागू करे। जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी तब तक इस प्रदेश से करप्शन जाने वाला नहीं है।

*श्री रामप्यारे—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इसमें शक नहीं कि चाहे इधर के हों या उधर के, जो बिल की मंशा है उसका सभी समर्थन करते हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसमें ऐसी धाराओं का प्राविजन है जिसमें कई स्थानों पर शराब रोकने अथवा कम करने का प्राविधान है। लेकिन माननीय नित्यानन्द जी या रियासत हुसेन साहब ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है मैं उनसे अपने को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्बद्ध करता हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर खासतौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि वैसे तो शराब से हमारा तमाम प्रदेश सताया हुआ है लेकिन खास तौर से वह इलाका जहां आदिवासी रहते हैं, जैसे इलाहाबाद व दुद्धी का इलाका, बनारस का वह इलाका जहां आदिवासी रहते हैं और पहाड़ के ८ जिलों के आदिवासी क्षेत्र। हमारी वेलफेयर-स्टेट है। उसमें हम केवल यह चर्चा न करें कि किन स्रोतों से हमारी आमदनी आयेगी बल्कि यह भी करें कि जो आमदनी हम ले रहे हैं उसका उल्टा असर तो नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि लोगों का शैक्षिक और आर्थिक विकास हो और जो पिछड़ी हुई जनता है उसमें जो अन्ध विश्वास फैला हुआ है वह दूर हो।

मैं अपने जिले का अनुभव बताता हूं। राबर्ट्सगंज और दुद्धी, दो तहसीलें हैं। वहां इस मद में सरकार को ५ या ६ लाख रुपय से ज्यादा नहीं आता होगा। लेकिन आज हमारी वहां की ९० प्रतिशत जनता इससे तबाह हो रही है और उसका स्टैन्डर्ड ऊंचा नहीं हो रहा है, पेट भर खाना नहीं मिल रहा है और तन पर कपड़े भी नहीं हैं। आज वहां पर किसी भी मार्केट में बाजार वाले दिन चले जाइये तो शाम को जब बाहर निकलने लगियेगा तो दर्जनों आदिवासी औरतें और आदमी नंगे पड़े रहते हैं। इस नीति से क्या हम गांधी जी द्वारा बताये हुये मद्यनिषेध के रास्ते का पालन कर रहे हैं? आप इसकी जांच करा लें कि ऐसा हो रहा है या नहीं। मैं स्वर्गीय पंत जी का बहुत आभारी हूं कि सन् ५२-५४ में जब उन्होंने देखा कि वहां ऐसी हालत है तो कुछ दिनों के लिये शराब बन्दी कर दी थी लेकिन हमारे अधिकारी लोग कहते हैं कि इससे आमदनी घटेगी और शराब दूसरी जगहों से आ जायगी। लेकिन जब वहां की शराब की भट्टियां टूट गयीं थीं तो मुश्किल से दो-चार आने रह गयी थीं और वह भी पुलिस और एक्साइज की कृपा से।

आज इस विभाग में जितना व्यापक भ्रष्टाचार है मैं यह नहीं कहता हूं कि उसके लिये मंत्री जी जिम्मेदार हैं, मैं यह भी नहीं कहता हूं कि यह सरकार इसके लिये जिम्मेदार है लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार ने जो यह निश्चय किया था कि राष्ट्रीय त्योहारों पर जैसे २६ जनवरी, १५ अगस्त तथा अन्य राष्ट्रीय अवसर पर तथा जो हमारे सामाजिक त्योहार हैं जैसे दिवाली, रक्षा बन्धन, जन्म-अष्टमी, इन अवसरों पर शराब नहीं बिकेगी लेकिन हम देखते हैं उन अवसरों पर भी शराब बिकती है। एक्साइज विभाग से लोग मिलकर इस तरह से शराब बिकवाते हैं। पुलिस वाले भी मिल जाते हैं। सरकार की यह घोषणा है कि हर मंगल-वार को उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें बन्द रहेंगी लेकिन होता क्या है कि उस दिन भी शराब बिकती है और उस दिन हमारे प्रदेश में एक भी दुकान बन्द नहीं रहती है। आखिर यह क्या हो रहा है कि हमारे एक्साइज विभाग के अधिकारी इस को नहीं देखते हैं? उसका क्या कारण है? यह एक्साइज विभाग बड़े बड़े लोगों को शराब का ठेका देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में ये ठेका नहीं देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो २० वर्ष से चले आ रहे हैं, वही लोग लेते हैं। उनमें कमीशन बंधा हुआ है।

आज गरीब लोग इससे तबाह हो रहे हैं। मैं बैकवर्ड की बात करता हूं और पूर्वी जिलों की बात करता हूं कि वहां पर शराब की बिक्री ज्यादा होती है। यह देखा गया है कि यह शराब गरीब एरिया में ज्यादा बिकती है। तो क्या यह जनप्रिय सरकार उन गरीबों लोगों की रक्षा नहीं करेगी और उनके क्षेत्र में शराब की बिक्री को बन्द नहीं करेगी? अगर चमोली, गढ़वाल में शराब बन्दी हो सकती है तो आदिवासी लोगों के उत्थान के लिये दुद्धी और राबर्ट्सगंज में बन्द नही हो सकती है? मैं मंत्री महोदय को इस बात का आश्वासन देता हूं कि जो शराब बन्दी से उनको आमदनी में कमी होगी उसके लिये उस क्षेत्र के लोगों पर टैक्स लगा दिया जाय तो उस टैक्स को हम खुशी से देने के लिये तैयार हैं। जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, हरिजन रहते हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये क्या यह सरकार नहीं सोच सकती है? उनको उठाने की बात नही सोचेगी?

[श्री रामप्यारे]

मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां महुवे का भोजन होता है। ५० फीसदी आदिवासी लोग उसका भोजन करते हैं लेकिन उस महुवे से शराब बनाई जाती है। मैं मन्त्री जी से मांग करता हूं कि जो महुवा ५० फीसदी आदिवासियों का भोजन है उसके ऊपर शराब बनाने की रोक लगाई जाय। यह निश्चित कर दिया जाय कि इससे शराब नहीं बनायी जायगी क्योंकि यह आदिवासियों का भोजन है। इसको स्टेट से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी जाय नहीं तो यह मध्य प्रदेश या बिहार में चला जायगा। वहां पर लोग इससे शराब बनायेंगे।

इसलिये अन्त में यह निवेदन करूंगा कि मेरे सुझावों पर अमल किया जाय, विभाग के लोगों को इस बात के लिये सचेत किया जाय कि जिस दिन शराब बन्दी का आदेश है, राष्ट्रीय त्योहारों पर या मंगलवार को उस दिन शराब बन्द होनी चाहिये। अगर सारे प्रदेश के लिये यह सम्भव न हो सके तो जैसा पहाड़ी जिलों के लिये हुआ है उसी तरह से पूर्वी क्षेत्र में जहां पर गरीब, मजदूर और हरिजन लोग रहते हैं वहां के लिये शराबबन्दी होनी चाहिये। मैं इतने गरीब क्षेत्र से आता हूं कि जहां पर आये दिन सूखा पड़ता रहता है। तो वहां के लिये यह सरकार अवश्य ही ध्यान देने की कृपा करे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करता हूं।

(श्री ए० सी० ग्राइस को बुलाने पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

५ मिनट तय हुआ था तो वही देते चलिये।

सहकारिता उप मंत्री (श्री महीलाल)--

इसको ३ बजे तक समाप्त होना है।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)--

मैं इस प्रान्त में नशाबन्दी का प्रचारक रहा हूं तो मुझे भी समय मिलना चाहिये क्योंकि और लोगों से तो मैं ज्यादा ही जानता हूं और अधिक सुझाव दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

महीलाल जी तो सचेतक हैं सरकारी पक्ष के, वह अपने लोगों को कहें कि न बोलें। जब वही बोलने के लिये खड़े हो रहे हैं तो ३ बजे तक कैसे समाप्त हो सकेगा।

श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, मैं ने श्री ए० सी० ग्राइस को बोलने के लिये बुलाया है।

श्री ए० सी० ग्राइस--

उपाध्यक्ष जी, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज तक हिस्ट्री पढ़त हुये, यह कभी नहीं देखा कि लेजिस्लेशन करने से किसी नेशन के मारल्स बढ़े हों। मेरा सुझाव है कि इस महकमे से यह जो २५ करोड़ रुपए की आमदनी है उस में डेढ़ करोड़ रुपया निकाल कर इस बात की कोशिश की जाय कि वह रुपया प्रोहिबिशन एजूकेशन पर खर्च किया जाय और उससे पब्लिक और बच्चों के सामने पिक्चर्स, स्लाइड्स, किताबें और पम्फलेट्स दिखाये जायं और उन को ऐसी किताबें पढ़ने का मौका दिया जाय ताकि वह समझ सकें कि शराब पीने और नशे की चीजों के इस्तेमाल से क्या नफा नुकसान होता है।

मैं कानपुर में ३० साल से मजदूरों के बीच में काम करता हूं। वहां पर पिछले सालों में जब मद्यनिषेध था तो वहां पर उस का नतीजा यह था कि छिपे तौर पर वहां पर शराब की जगह पूरे जोर के साथ टिन्कचर जिन्जर और कच्ची स्प्रिट चल रही थी। छोटी छोटी फर्जी डिस-पेंसरीज कायम हो गई थीं और लाखों रुपया उन लोगों ने पैदा किया। अपने यहां प्रोहि-बिशन लागू कर के आप ने देखा कि बम्बई हैरान हो गया और तामिल नाद भी हैरान हो गया, उन की आमदनी भी खत्म हुई और नतीजा भी कुछ नहीं निकला। प्रोहिबिशन असली तो तभी आयेगा जब पबलिक एजूकेटेड होगी, जब पहले जनता क मारल ऊंचे होंगे तो यह चीज अपने आप रुक जायगी। लेकिन आप के प्रोहिबिशन से तो गरीब अमीर हो जाता है, जिस को भी आप लाइसेंस स्प्रिट या टिन्कचर जिन्जर का दे देते हैं वह १५ दिन में ही मालदार हो जाता है, मुझे आप लाइसेंस दे दें तो मैं भी १५ दिन में अमीर हो जाऊंगा।

मैं आप के द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले इस बात की छानबीन कर ली जाय कि कानपुर में जब प्रोहिबिशन था तो वहां क्या क्या हुआ ? वहां पर छोटी छोटी जगहों में शराब बिकती थी। वहां से घर ले जाकर मजदूर पीते थे, जो पहले भट्ठी पर एक पाव पीता था वह घर आधा सेर ले जाता था और साथ में अपनी बीबी और बच्चों को भी पिलाता था। जो बच्चे पहले पीने वाले नहीं थे वे भी अब बड़े होकर आदी बन गये और आज वह पीने वाल बन गये हैं। वह प्रोहिबिशन की मेहरबानी से ही अब पीने वाले बने ह। यह मैं अपने तजुर्बे से ही आप को मिसाल के तौर पर बता रहा हूं।

आर्म्ड फोरसेज में भी यह हुआ है कि शराब न हो। लेकिन दुनिया भर में इस मामले में आर्म्ड फोरसेज एजेमप्ट रही हैं क्योंकि जब दुश्मन से मुकाबला होगा और किसी को मारना होगा और वहां उन को अगर पीने को नहीं दिया गया तो आप के फोर्सेज ही बेकार हो जायेंगी, यह मानी हुई बात है। इसी तरह से टूरिज्म का मसला है। हमारे यहां टूरिज्म पिछड़ा हुआ है, लखनऊ, इलाहाबाद में बड़े बड़े होटल खोले जा रहे हैं और टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है लेकिन टूरिज्म कामयाब नहीं हो सकता अगर आप होटल में प्रोहिबिशन लागू करेंगे। इस तरह से टूरिज्म बन्द हो जायगा और आप के यहां कोई टूरिस्ट नहीं आयेगा। इसी तरह से ट्रान्जिट का सवाल है। मैं एक दफा जा रहा था बम्बई तो एक आदमी के पास दारू थी, वहां पर अगर किसी के पास शराब होती है तो झांसी के पास ही लोग पीकर खत्म कर देते हैं या फेंक देते हैं। झांसी के पास ही एक्साइज वाले आकर ढूढ़ने लगे। लेकिन यह कहां तक ठीक है. ट्रान्जिट में जो ले जा रहा है उसको ले जाने दिया जाय। ट्रान्जिट में परिमिट क्यों बन्द किया है ? इस तरह से तो आप एक्साइज के कर्मचारियों की आमदनी का जरिया बना रहे हैं, इस से और करप्शन होगा, क्योंकि ब्लक मार्केटिंग होगी, इससे करप्शन बढ़ेगा। ये रिलीजस परपज के लिये कर सकते हैं। श्रीमन्, हमारे गिरजे में वाइन रखी जाती है। हर सन्डे को कम्युनिग होता है। बम्बई में जब टोटल प्रोहिबिशन हुआ था तो कोई रिलिजस इन्सटीट्यूशन को एक्जैम्ट नहीं किया गया। फिर बाद में रिलीजस इन्स्टीटयूशन को कम्युनिग परपज के लिये एक्जैम्पट किया गया तो वह काफी हो गया।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इस सदन को बहस में उलझा दिया, शराब पी जाय, कहां न पी जाय। यह विधेयक ही इस प्रकार का है, इसलिये मैंने अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है।

इस विधेयक में केवल यह कहा गया है कि सरकार को यह अधिकार हो जाय कि कुछ स्थानों पर शराब बन्दी लागू करे। यह काम बड़ा ही उत्तम काम है और यह सोचा गया था कि सारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

देश में लागू करना है तो बारी बारी से यह कर दिया जाय। आज हमने यहां पर नशे बन्दी कर दी, जैसा कि अभी माननीय ग्राइस साहब ने कहा, तो फिर यह हो जायगा कि इतनी दूर के लोग अभ्यस्त हो सकते हैं कि किस प्रकार पीकर यहां पर आयें या यह भी जान सकते हैं कि किस प्रकार से बाहर से स्मगिल किया जाय। तो यह ट्रेनिंग देने का एक तरीका है। भाई नित्यानन्द जी ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी के भीतर कोई दुकान खुलने न पाये। सीधे सीधे अगर वे यह कहते कि म्युनिसिपैलिटी के एरिया में समाप्त कर दी जाय और चारों तरफ हो जायं तो उनकी दिक्कत दूर हो जाय। वे उसका चाहे जो भी अर्थ समझे हों लेकिन उनके चारों तरफ अगर ठेके होंगे तो उनको कोई अन्दाज नहीं होगा।

कुछ तीर्थ स्थान बताये जाते हैं कि वहां की जमीन, वहां की नदियां पवित्र हैं, आदमी ही अपवित्र हैं, तो प्रयास किया गया है कि किसी तरह से वहां के लोग शराब न पियें लेकिन इस विधेयक में इतना बढ़िया उपबन्ध है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी कीमत ज्यादा बढ़ जायगी। श्रीमन्, इसके २० (बी) के दूसरे खंड में लिखा है कि किसी को निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिये कब्जे में रखने, या उनका आयात निर्यात या परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई छूट दे सकती है या शिथिलीकरण कर सकती है। इसके बाद (क) में लिखा है कि प्रति रक्षा के सदस्य और (ख) में मद्यनिषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी यहां पर माननीय मंत्री जी का ध्यान हिप्पियों की तरफ नहीं गया कि आज वे क्या कर रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में इस देश में घुसे हुए हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है (ग) मद्य निषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री---यहां कोई परिभाषा यात्री की नहीं दी हुई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

यह सरकार भी हिप्पी है।

श्री गेंदासिंह---

इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि किस प्रकार के यात्री कितनी मात्रा में ये चीजें अपने पास रख सकते हैं। आगे है---(घ) व्यसनी (केवल गांजा की दशा में) तथा वे व्यक्ति जिनके स्वास्थ्य के लिये मादक वस्तु की आवश्यकता हो। अब व्यसनी के लिये तो हो गई इजाजत। जो व्यक्ति मादक द्रव्य का सेवन करता है वह व्यसनी नहीं है तो है क्या? उदाहरण के तौर पर मैंने यह आपके सामने प्रस्तुत किया कि यह मजाक है। इस तरह का मजाक करने की आवश्यकता विधान सभा में नहीं है। सरकार अगर सचमुच मद्यनिषेध करना चाहती है तो सरकार को इस पर एक बार दृढ़तापूर्वक और विचारपूर्वक समझ-बूझ कर कोई कदम उठाना चाहिये और सारे देश में और सारे प्रदेश में इस काम को करना चाहिये। अन्यथा अपनी सरकारी मशीनरी को भ्रष्ट करने के लिये, जो फिजिकली इम्पासिबिल है और जो किसी भी हालत में पूरा नहीं किया जा सकता है, सरकारी मशीनरी को तबाह करने की जरूरत मैं नहीं समझता। इस विधेयक में दिया गया है कि कौन कौन से स्थान हैं जहां शराब पीना सरकार पसन्द नहीं करती। उनका कहना है कि इलाहाबाद, काशी और बनारस में शराब नहीं पीनी चाहिये क्योंकि वे पवित्र तीर्थ स्थान है। आखिर मथुरा में क्यों पीना चाहिये या मुरादाबाद में क्यों पीना चाहिये? देवरिया के लिये तो जैसा कि श्री राम प्यारे जी ने कहा---गरीब आदमियों को नहीं पीना चाहिये, धनी आदमी भले ही पीयें। श्रीमन, इसमें भेद करना पड़ेगा कि पिछड़ा इलाका कौन है जहां के लोग न पीयें और आगे बढ़ा हुआ कौन इलाका है जहां के लोग शराब पीयें।

श्री रामप्यारे---

मैंने ऐसा नहीं कहा था कि धनी लोग शराब पीयें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

"साकी शराब पीने दे, मस्जिद में बैठ कर, या वह जगह बता दे, जहां खुदा न हो।" हमारी सरकार सब जगह शराब पीने के लिये कहती है। यह ऐक्ट और बिल सब बेकार है।

श्री गेंदा सिंह—

श्री बांके लाल जी ने भी इसको स्पष्ट कर दिया। मैं समझता हूं कि अगर सरकार सचमुच में कुछ करना चाहती है और शराबबन्दी करना चाहती है तो उसे दृढ़तापूर्वक जैसा कि मैंने कहा—उसे इस बात को सोचने की जरूरत पड़ेगी और इसमें २५ करोड़ रुपये की कमी जो आमदनी में आती है उस रकम को पूरा करने के लिये कोई न कोई यत्न करना पड़ेगा और इसके लिये छोटी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा बल्कि इस सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और बड़े बड़े कदम उठा कर ही आने वाले वर्षों में अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ जनसाधारण के सब कामों को भी पूरा करना पड़ेगा। श्रीमन, मैं समझता हूं कि ऐसा भ्रमपूर्ण विधेयक है कि किसी भी हालत में इस विधेयक को स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं तो ऐसा समझता हूं कि आबकारी मंत्री श्री हिम्मत सिंह जी को यह बड़ी गलती नहीं करनी चाहिये। मुझे क्षमा करेंगे, मैं यहां तक कहने का साहस कर रहा हूं कि उन्होंने इस विधेयक की सारी त्रुटियों पर विचार नहीं किया वरना वह इस विधेयक को नहीं लाते।

अपनी सरकार को जितना भी पवित्र रख सकें उसके लिये तत्काल हमें इस तरह का कोई कानून बनाना चाहिये, इस तरह का हमको कानून बनाना चाहिये। इस कानून से हमारी सरकारी मशीनरी के ऊपर वह जोर पड़ेगा कि किसी भी हालत में ईमानदार से ईमानदार आदमी जहां पर हम प्राहिबिशन करने जा रहे हैं उनके किनारे के लोगों को भ्रष्ट करने से किसी भी कीमत पर नहीं बचा सकेंगे। जिस जुर्म को कोई करना नहीं चाहता उसको भी करने पर लोग मजबूर हो जायेंगे। मैं इस बिल का विरोध करता हूं और माननीय हिम्मत सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को वापिस करें और ऐसा बिल लायें कि इस सूबे में हमको एक साथ मद्य निषेध करना है और उस नीति का समर्थन करने के लिये अहम कदम उठाना है।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, प्रस्तुत बिल में संशोधन का जो रूप प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं .....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह तय हुआ था श्रीमन्, कि जो बाकी अगले विधेयक हैं उनके लिये पांच मिनट रखे गये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

१८ तारीख को यह आया था कि इसके लिये तीन बजे तक का समय है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो एजेन्डा है उसमें बहस के लिये गुंजाइश है।

श्री महीलाल—

उनकी ओर से जरूर बात की गई थी कि पांच मिनट में पास कर देंगे लेकिन हमारी ओर से कहा गया था कि वृत्ति कर (निरसन) विधेयक पर हम बोलेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उन्होंने कहा था कि पांच मिनट में और विधेयक तय हो जायेंगे।

विद्युत् मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

उसके बाद और काम भी हैं, वे करवा देंगे तो कृपा होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

शराबबन्दी का आसान मामला नहीं है । २५ करोड़ की रेवेन्यू का सवाल है । अगर ऐसा है तो मैं पांच बजे की कार्य-मंत्रणा समिति में भाग नहीं लूंगा ।

श्री हिम्मत सिंह—

माननीय सदस्यों द्वारा जिस संशोधन के द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये हैं यद्यपि मैं स्वयं भी इस विचारधारा का हूं कि पूरे प्रदेश में क्या पूरे भारत वर्ष में शराबबन्दी होनी चाहिये लेकिन जब हमने कानपुर, फतेहपुर और उन्नाव जैसे जिलों में ड्राई करके देखा तो कुटीर उद्योग धन्धों द्वारा वहां शराब जाने लगी और कोई चेक नहीं हुआ । हमारे यहां कहा जाता है कि इसको कानून के द्वारा रोका जाय । कानून तो जो डकैतियां और चोरियां होती हैं उनके लिये भी है । लेकिन उसके होते हुए भी जुर्म बढ़ते चले जा रहे हैं । जितने ३५ में जुर्म नहीं थे आज देखिये ७० में जुर्म कहां से कहां पहुंच गये हैं । कानून के द्वारा कोई जुर्म रोका नहीं जा सकता, यह तो सेल्फ-इम्पोज्ड चीज है । अगर मैं शराब नहीं पीना चाहता हूं तो मुझे कोई पिला नहीं सकता, मैं पीऊंगा नही । यह देखा गया कि जो एरिया ड्राई कर दिये गये वहां टिंचर-जिंजर के नाम पर अलकोहल पिलाई गई । ऐसी सूरतों में नाना प्रकार की जो नशीली चीजें हैं वे ड्राई एरिया में प्रयोग होने लगीं और रेवेन्यू का नुकसान हुआ । इसलिये जो सदस्य कुछ कह रहे थे इसके विषय में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितने शराबियों को शराब के लिये नसीहत दी कि शराब बन्द करो ।

मेरे पास कितने आदमी सिफारिश लेकर आते हैं, माननीय सदस्यों की सिफारिश होती है कि इनको स्प्रिट की लाइसेंस की दुकान दिला दो, बार का लाइसेन्स दिलाने के लिये रिकमेन्ड करते हैं, अंग्रेजी शराब का सर्टिफिकेट दिलाने के लिये कहते हैं । मैं उन सब साथियों से कहूंगा कि इस तरह की रिकमेन्डेशन को खत्म करें । क्योंकि उससे फर्नीचर की दूकानों पर आज अलकोहल जिस मात्रा में पहुंच रहा है, लोग कहते हैं कि एक-एक हजार गैलन पी० एल० ऐसा कुछ अलकोहल होता है उसको बढ़ा दिया गया है । लेकिन दुःख होता है आज मुझे यह सब देख कर । यह जो छूट दी जा रही है उस पर माननीय सदस्यों को ठंडे दिल से सोचना चाहिये । एक फौजी के लिये वह चीज लाजमी हो गयी है । विदेशी आदमी बड़े-बड़े होटल में जाकर उसको पीता है । ट्रैवलर्स जो हैं उनके लिये भी प्राविधान किया गया है । माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन चीजों को और कठोर बनाने के लिये, मैं निवेदन करूंगा कि जब हम नियम आदि बनायेंगे तो उनको और कठोर कर देंगे । मुझे आशा है माननीय सदस्य सर्व सम्मति से इसे पास करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन ३ माह के अन्दर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे जिसको परिधि बढ़ाने का अधिकार हो । (सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, ३ व ४

२—एक्साइज ऐक्ट, १९१०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २० के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:—

नयी धारा २०—ए और २०—बी का बढ़ाया जाना।

"२०—ए —धारा १४ के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन को प्रतिषिद्ध करन क राज्य सरकार की शक्ति का और धारा २० की उपधारा (४) के अधीन किसी मादक वस्तु को कब्जे में रखने को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति का, प्रयोग राज्य में मद्य-निषेध का क्रमिक प्रसार करने की नीति के अनुसरण में किया जा सकता है और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए सभय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों का तदर्थ चयन किया जा सकता है :

मद्य निषेध को क्रमिक रूप से प्रवर्तित करने का विकल्प।

(क) तीर्थ स्थान, विद्या केन्द्र या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उस क्षेत्र की विशेषता;

(ख) स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक स्थिति जिसके अन्तर्गत उनका आहार पुष्टि-तल और जीवन-स्तर भी है;

(ग) स्थानीय जनमत; और

(घ) कोई अन्य संगत तथ्य, जो राज्य सरकार की राय में, लोक हित में सारवान हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से यह अपेक्षित नहीं समझा जायेगा कि राज्य सरकार अपने आदेश में उन तथ्यों को, जिनके आधार पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मद्य-निषेध के प्रवर्तन के लिये किसी समय चयन किया जाय, उल्लेख करे।

२०—बी—(१) यदि संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के संबंध में (जिसे आगे इस धारा में मद्य-निषेध क्षेत्र कहा गया है) उक्त नीति के अनुसरण में धारा २० की उपधारा (४) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाय तो मद्य-निषेध क्षेत्र क संबंध में धारा १४ के अधीन अधिसूचना या तो अप्रतिबद्ध रूप में अथवा ऐसे अपवादों या शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाय, जारी की जा सकती है।

मद्य-निषेध के संबंध में अपवाद आदि

(२) किसी मद्य-निषेध क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा, अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, धारा १४ के अधीन या धारा २० की उपधारा (४) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं, या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिये कब्जे में रखने, या उनका आयात-निर्यात या परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई छूट दे सकती है या शिथिलीकरण कर सकती है :—

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य;

(ख) मद्य-निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी;

(ग) मद्य-निषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री;

(घ) व्यसनी (केवल गांजा की दशा में) तथा वे व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य के लिए मादक वस्तु की आवश्यकता हो;

(ङ) वे व्यक्ति जिनके पास धारा १७, १८, २१ और २४ के अधीन लाइसेंस हों;

(च) रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्य-निषेध क्षेत्र से, को, या वहां से होकर जाने वाले परेषण

(छ) औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, औषधीय या धार्मिक प्रयोजन।

(३) किसी ऐसी छूट या शिथिलीकरण के संबंध में जो उपधारा (२) के अधीन दी जाय, राज्य सरकार, या तो नियमों द्वारा अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो निर्दिष्ट किया जाय, कोई पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

(४) उपधारा (१) में अभिदिष्ट अधिसूचना के जारी कर दिये जाने पर, इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स देने वाला प्राधिकारी, लाइसेंस को, जहां तक वह मद्य-निषेध क्षेत्र पर लागू है, बिना नोटिस तुरन्त रद्द कर सकता है, और वह तदुपरान्त लाइसेंस की असमाप्ति अवधि के संबंध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा, और उसके संबंध में लाइसेंस-धारी अग्रिम रूप से दिये गये किसी शुल्क या जमा की गयी धनराशि की उसमें से राज्य सरकार को देय धनराशि को (यदि कोई हो) घटाकर, लौटा देगा, किन्तु लाइसेंसधारी को इस प्रकार रद्द किये जाने के संबंध में धारा ३५ में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, कोई प्रतिकर देय न होगा।

(५) यदि उपधारा (४) के अधीन कोई लाइसेंस रद्द कर दिया जाये तो लाइसेंसधारी अपने पास की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दें।"

वैधीकरण

३—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा १४ या धारा २० की उपधारा (४) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, और समय-समय पर यथा संशोधित यू० पी० इन्टोक्सिकेंट प्राहीबिशन रूल्स, १९४७ के नाम से बनाये गए नियम उसी प्रकार वैध समझे जायेंगे और सदैव से वैध होंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने या उक्त नियम बनाने अथवा उसमें संशोधन करने के समय प्रवृत्त थे, और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे राज्य सरकार द्वारा संशोधित या विखंडित न कर दिये जायें।

उ०प्र० अध्यादेश संख्या ११, १९७० का निरसन

४—उत्तर प्रदेश एक्साइज संशोधन तथा (वैधीकरण) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खं० २, ३ तथा ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७०

संविधान के अनुच्छेद ४७ में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अनुसरण में मद्य-निषेध के प्रसार तथा प्रवर्तन को सुलभ बनाने के उद्देश्य से यू० पी०

एक्साइज ऐक्ट, १९१० का अग्रेतर संशोधन करने और उससे संबंधित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम १९७० कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हिम्मत सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७०†

वित्त राज्य मंत्री (श्री रामसिंह खन्ना)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री रामसिंह खन्ना—

श्रीमन, मैं यह कह रहा था कि यह कर एक अप्रैल, १९६६ से लगा और उसका जनसाधारण पर अच्छा असर नहीं पड़ा और उसको वापस लेने के लिये बराबर सरकार से मांग की जाती थी। निरन्तर आम सभाओं में निरन्तर कर्मचारियों के संगठनों और यूनियनों की तरफ से यह मांग की जाती रही, जहां जहां हम गये यही मांग की गई। वह कहते थे कि एक ओर हम इतनी मुश्किल से २—४ रुपया माहवारी बढ़ोत्तरी करवा पाते हैं और दूसरी ओर से हम पर यह टैक्स लगाकर आप हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म करते हैं। फिर सरकार में उत्तरदायी पदों पर रहने वालों को शनैः शनैः सोचना पड़ा और आज हम सन्तुष्ट हो गये कि इसको हटा लेना ही ठीक होगा। इसको देखते हुए जनभावनाओं का आदर करते हुए संविद सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनसाधारण के हित में इसे हटा लेना श्रेयष्कर होगा।

सारे ऐसे लोग जो अपनी आजीविका कमाते हैं—जैसे बड़े बड़े डाक्टर, व वकील और खास कर कर्मचारिवर्ग, चाहे वे नगरपालिका के हों, सरकारी हों, या रेलवे के हों—ये लोग हमेशा जोर देते रहे कि इसको समाप्त किया जाये। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन सारे वर्गों की मांग

†१८ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री राम सिंह खन्ना]

को उचित मान कर आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसको हटा देना जनहित में है। यह प्रजातान्त्रिक उसूलों की सबसे बड़ी मांग थी, जिसके कारण सारे समाज की राय थी कि यह अत्यन्त नामुनासिब है और इसको हटना ही चाहिये। इससे कोई अधिक आमदनी भी नहीं होती थी, उल्टे लोगों को परेशानियां ज्यादा थीं। अपना रिटर्न दाखिल करना पड़ता था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया और मैं समझता हूं कि सारा हाउस और सारे लोग इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे और सर्वसम्मति से इसे पारित करने का कष्ट करेंगे।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये सरकार को बधाई देती हूं कि जनता की ओर से जो इतने दिनों से मांग थी, उसको सुना गया। लेकिन यदि सरकार ने यह उदारता दिखाई होती कि इस चीज को १ अप्रैल, ७१ के बजाये जनवरी ७१ से लागू करती तो पीड़ित जनों को उससे इमीजिएट रिलीफ मिल जाता। क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज के वायदे कल पूरे होंगे या नहीं, इस पर संदेह हो जाता है। आगे शायद पार्लियामेंट के नये एलेक्शन को ध्यान में रख कर संविद सरकार सोचती है कि कुछ इस प्रकार के प्रस्ताव लाकर जनता की चीप पापुलेरिटी प्राप्त कर ली जाये, बाद में वह चाहे सरकार से हट ही जाये, तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी उस पर नहीं रहेगी। इधर एक दो हफ्ते में जो तरह तरह के प्रस्ताव आये, जिनके द्वारा सरकारी खजाना खाली होने वाला है, उसमें भविष्य के वायदे हैं, लेकिन इमीजिएट रिलीफ कोई नहीं है। फिर भी नगर की प्रतिनिधि होने के कारण मैं इसका स्वागत करती हूं। पिछले चुनाव में हमारी पार्टी ने भी इस चीज को किया, हमने भी इस चीज को माना था। हमने भी इस चीज को माना था इसलिये मैं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इस खुशी में शामिल होना चाहती हूं।

श्री रामगोपाल संड—

मुझे बड़ी खुशी है कि संविद ने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। पहले सवा ६ एकड़ तक लगान माफी का था। मुझे विश्वास है कि यह सरकार आगे चलकर गैर-सरकारी अध्यापकों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी एक बिल लायेगी।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

वह बिल बेकार है।

श्री रामगोपाल संड—

मुझे प्रसन्नता है कि जब राजेन्द्र कुमारी जी राज्य शिक्षा मंत्री थीं, और नारायण दत्त तिवारी जी जैसे समाजवादी लोग भी थे, तो उनको यह बिल लाना चाहिये था और वह इसको १ अप्रैल, ७० से ही पास करा सकते थे। उस समय जब हमने यह प्रस्ताव रक्खा और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी कहा तो मुझे खेद है कि तिवारी जी और बलवीर सिंह जी जो वित्त मंत्री थे टालमटोल करते रहे। आज जब संविद सरकार इसको १ अप्रैल, १९७१ से खतम करने के लिये बिल ला रही है तो कहा जा रहा है कि यह सरकार नहीं रहेगी, झूठे वादे हैं। श्रीमती राजेन्द्रकुमारी की तरह मैं भी इलाहाबाद के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हूं। यहां पर अध्यापक और कर्मचारियों के नुमायन्दे हैं तो मैं श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी की बात की तब ताईद करता कि यदि उन्होंने यह बिल १ अप्रैल, ७० से पारित करने के लिये कहा होता। उस समय यहां पर वित्तीय कर माफ करने के लिये एक घन्टा बहस हुई थी।

अध्यक्ष महोदय, यह मांग हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी का भी यूनियनों से सम्बन्ध है और मेरा भी है। आज मध्यम श्रेणी के लोगों और लिपिकों आदि के लिये एक-एक पाई का प्रश्न है। पूंजीपति बिरला भी २५० रुपये टैक्स दे और मध्यम श्रेणी वेतन पाने वाला लिपिक या राजपत्रित कर्मचारी भी २०० या १५० रुपये दे। इसके अलावा, यह दुहरा कर था। इसलिये मैं वित्त मंत्रीजी को पुनः बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यदि संभव होता तो वित्त मंत्री जी इसको १ जनवरी, १९७१ से ही माफ कर देते।

(व्यवधान)

मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सरकार गिरने वाली नहीं है। यह राजेन्द्री जी का दिवा स्वप्न है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह वित्तीय कर समाप्त करने का बिल जो सरकार रख रही है उसके बारे में बहुत पुरानी मांग थी। जब १९६७ में संविद बनी थी तो भी यह कार्यक्रम था लेकिन जो वित्त मंत्रीजी पेश कर रहे हैं उन दिनों उनके दल ने विरोध किया था। मुझे खुशी है कि आपकी तरफ से यह बिल आया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा बधाई देने वाला था लेकिन माननीय सदस्यों को बड़ी बेचैनी हो जाती है। मैं यह कह रहा था कि हमारे वित्त मंत्रीजी जिस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं, भारतीय क्रान्ति दल, मैं उस दल को भी बधाई देना चाहता हूं। उस वक्त हमारे कहने के बावजूद इनकी समझ में नहीं आता था लेकिन आज की राजनीतिक उथल-पुथल के कारण यह सवाल अब उनकी समझ में आने लगा है। मैं उनके दल को भी बधाई देना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

ये सवाल जनहित के सवाल हैं और सन् ६७ से अनेक पार्टियों के कार्यक्रमों में भी सम्मिलित किये जाते रहे हैं। जनसंघ, संयुक्त सोशलिट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी के घोषणा पत्रों में ये थे। लेकिन घोषणा पत्रों में इन सवालों के शामिल करने के बावजूद भी इन पार्टियों के प्रतिनिधि इस सदन में आकर उनका विरोध करते थे.....

(व्यवधान)

यह मेरा मजाक करते हैं कि मैं अपनी पार्टी का अकेला हूं। लेकिन मेरा उस दिन से उत्साह बढ़ गया जिस दिन से केरल में कुछ पार्टियां जोरो हो गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय क्रान्ति दल को, जो दो साल पहले इस सवाल का विरोध करता था, बधाई देना चाहता हूं कि अब राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उनकी समझ में ये सवाल आने लगे। मैं उनके दल को बधाई देना चाहता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं चाहे यह देर से आया फिर भी देर आयद दुरुस्त आयद।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं उन तमाम बंधुओं की बधाई स्वीकार करने के लिये तैयार हूं जो आज बधाई देने के लिये खड़े हुए हैं। मैं तो आशा करता था कि पहले यह प्रस्ताव आता। उत्तर प्रदेश के जन प्रतिनिधि जो आज इस सदन में बोल रहे हैं चाहे वह बहिन बाजपेयी जी हों या विकल जी हों, यदि मैं यह कहूं तो वह क्षमा करेंगे, न तो वह जब शासन में थीं वृत्ति कर समाप्त कर पायीं और न जब विकल जी शासन में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

थे तो वे समाप्त कर पाये। मैं अपने भाई विकल जी से बाअदब कहना चाहूंगा कि उनका जो साहस बढ़ गया है केरल के चुनाव से तो जिस तरह देश के एक बहुत बड़े स्थान पर बैठी हुई देश की नेत्री ने पालिटिकल स्टण्ट पर वहां जीरो कर दिया तो वे भी उससे आगे नहीं बढ़ पायेंगी। जिस तरह से समय आने पर उनके सारे पर्दे फाश होते जाते हैं और समय-समय पर पालिटिकल स्टन्ट पर लिये गये निर्णयों की धज्जियां उड़ती जाती हैं इसी तरह से सामने वालों की उड़ जायेंगी। अगर इलेक्शन हुआ तो पता चल जायगा कि आप कहां खड़े हैं, कहीं जीरो पर ही तो नहीं खड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वृति कर के बारे में यह निर्णय उत्तर प्रदेश की गरीब और मध्यम श्रेणी की जनता के लिए बड़ी प्रसन्नता का निर्णय है। उत्तर प्रदेश की जनता संविद की सरकार से चार पांच मुख्य बातें चाहती थीं जिनमें से सवा छः एकड़ के लगान की माफी वृति कर की समाप्ति, ट्रेजरी से अध्यापकों का वेतन मिलना आदि मुख्य तीन मांगें थीं। उन तीन मांगों में से इस सदन के चल रहे सत्र में से एस० वी० डी० सरकार ने इस विधेयक को लाकर जो निश्चित रूप से खत्म करने का इरादा किया है उसमें से दो प्रस्ताव तो पहले ही पास हो गये हैं और तीसरा पास होने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने वाला विधेयक है। तीसरा प्रस्ताव यह है कि अध्यापकों के वेतन का भार अब सरकार के ऊपर होगा और उनको उसका पेमेंट सरकारी ट्रेजरी से होगा। जिस दिन यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख आ जायगा उस दिन निश्चित रूप से संविद सरकार का उज्जवल स्वरूप प्रकट हो जायगा। उसी दिन जिस दिन यह विधेयक पास हो जायगा सरकार के यश में चार चांद लग जायेंगे। हमारे विरोधी दल के भाई भी उसमें हिस्सेदार होना चाहते हैं। मैं तो यह कहूंगा अगर वे कमजोर होकर उधर न बैठे तो शायद उनके विरोध के कारण ऐसा होना भी सम्भव न हो पाता। हमारा तो यही मत है कि जिस प्रकार भी हो उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिले और आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहे।

श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)—

पहली वाली सरकार तो ऐसी हिम्मत नहीं कर सकी लेकिन अब जो सरकार है उसने ऐसा कदम उठाया है उसके लिये मैं उसको मुबारकबाद देती हूं।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, आज यह जो वृत्ति एवं व्यवसाय कर से मुक्ति का जो प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं और संविद सरकार को इसके लिये बधाई भी देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि इस सरकार का एक ऐसे नक्षत्र में जन्म हुआ है कि यह हमेशा ही बधाई की पात्र रहेगी। इस सरकार के बनने से जो हमारे बिछुड़े हुये साथी हैं उनको भी कुछ सद्-बुद्धि आई है कि वे इस सरकार के कई कार्यों पर उसको बधाई दे चुके हैं। यह तो तीसरा चान्स है जब कि विरोधी पक्ष के भाइयों ने इस सरकार को बधाई दी है। पहला समर्थन नेता विरोधी दल ने उस समय दिया था जब कि सरकार ने बिजली बोर्ड के लिये ५० करोड़ रुपयों से १०० करोड़ किया। दूसरा धन्यवाद उन्होंने सवा ६ एकड़ लगान की माफी के समय दिया था और अब यह तीसरा अवसर है जब कि वृत्ति कर की समाप्ति का प्रश्न आया है। हमारे ये साथी, जब यह काला कर हमारे ऊपर लगाया गया था और अरबन एरियाज के अधिकतर व्यक्ति जो मध्यवर्ग के थे इससे त्रस्त थे उनके लिये वे इसके पूर्व कुछ नहीं कर सके। सरकारी कर्मचारी तो इस कर वंचना से बच नहीं सकते थे क्योंकि यह कर तो उनके वेतन से कट जाता था बड़े-बड़े लोग इसको हर प्रकार से वंचना करने का प्रयास करते रहे हैं और तरीके निकालते ही रहे हैं। इस कारण मध्यमवर्गी कर्मचारियों को इस विधेयक से बड़ी राहत मिली है।

हमारी बहन राजेन्द्र कुमारी जी ने एक आपत्ति की कि १ अप्रैल से न होकर १ जनवरी से ही हो। ऐसा करने से तो कुछ एलेक्शन स्टन्ट वाली बात हो जाती है। सरकार ने एक

निर्णय कर लिया है क्योंकि कि इस कर की वसूली इन एडवान्स होती है। हमारे भाई माननीय विकल जी भी सरकार में सम्मलित थे सन् १९६७ में तब उस समय उनका जो उन्नीस सूत्री कार्यक्रम था और उस उन्नीस सूत्री में यह भी था मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वे कुर्सी पर थे। वे जंगल विभाग के मंत्री थे। उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। आज उन्होंने जो समर्थन किया है वह भीतरी मन से नहीं किया है। वह यह भूल गये कि सन् १९६७ में इसी कांग्रेस की बैल की जोड़ी से वे जीत कर आये थे, उस समय उनकी कोई पार्टी नहीं थी। आज तो उनकी सिंगिल मेम्बर पार्टी है वह भी उत्तर प्रदेश में नहीं केवल बुन्देलशहर जिले में। तो उन्होंने जो बधाई दी इफ ऐन्ड बट के साथ, तो वह कोई सराहनीय बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, बी० के० डी० या स्वतन्त्र पार्टी को सद्बुद्धि आई है तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस ही वह रीयल आर्गेनाइजेशन है जिसने देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी और हमारे दल के अन्दर जो आवेगा उसे सद्बुद्धि ही आवेगी और जो छोड़कर चला जावेगा उसे दुर्बुद्धि आवेगी। इन शब्दों के साथ मैं इनका समर्थन करता हूं।

श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय शर्मा जी अपनी जानकारी को ठीक कर लें। मैं बैलों की जोड़ी से ६७ में चुनकर नहीं आया हूं। मैं साइकिल के निशान पर चुनकर आया हूं।

श्री राम सिंह खन्ना—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि जनमत की भावनाओं को समझते हुये सारे सदन ने इसका आदर किया और मैं बधाई देता हूं.....

एक सदस्य—

मुझे भी २ मिनट का समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो समय नहीं है। मैंने तो माननीय वित्त मंत्रीजी से कह दिया।

श्री रामसिंह खन्ना—

साथ ही साथ जो माननीय विकल जी ने बी० के० डी० दल के बारे में जो संकेत किया तो जिस समय बी० के० डी० का श्री गणेश हुआ था.....

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सरकार की तरफ से बोल रहे हैं या बी० के० डी० की तरफ से।

श्री रामसिंह खन्ना—

मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूं। बी० के० डी० में होने के नाते मैं यह उचित समझता हूं कि जो बी० के० डी० पर आक्षेप किया गया उस सम्बन्ध में कुछ कहूं और मैं इसकी आज्ञा चाहता हूं चौधरी साहब ने सदा यह सोचा कि जो व्यवस्था बनी हुई है और जो खूब सोच विचार कर बनाई गई है उसको जल्दी से बदलना नहीं चाहिये। अब चूंकि निरन्तर सारी जनमत इस बात के पक्ष में हैं कि उसको समाप्त किया जाय और यहां भी शोर मचा हुआ था, तब हमारे नेताओं ने इसको मुनासिब समझा। यही नहीं इससे पहले भी पिछले वर्ष में चौ० चरण सिंह जी ने इसके न्यूनतम सीमा को कम किया और सहूलियतें दीं कि नीचे के कर्मचारियों पर भार पड़े। अब चूंकि जनमत की भावना यह है कि इसको समाप्त किया जाय, तो अब समाप्त किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार सारे सदन का आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ को ३१ मार्च, १९७१ के पश्चात किसी व्यक्ति को होने वाली आय के अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन देय कर का भुगतान करने के दायित्व के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१, १९६५ का निरसन।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ के निरसन की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—(यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा। संक्षिप्त नाम।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसिंह खन्ना—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजिविका और सेवा योजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७०†

विद्युत् मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

प्वाइंट आफ आर्डर । आपने श्रीमन्, पहले के विधेयकों पर जो सदस्य बोलने खड़े हुए उनको बोलने की मनाही की यह कह कर कि समय नहीं है जब कि उनके पारण का समय ४ बजे तक था और कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिये जो माननीय मंत्री जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं कोई समय नियत नहीं किया है । तो श्रीमन्, इस विधेयक पर अब विचार नहीं हो सकता जब कि समय नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी १५ मिनट का समय है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

१५ मिनट उसमें लगते जो विधेयक पारित हो गये । कई विधायक बोलना चाहते थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

और विधेयक तो पारित हो गये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कार्य मंत्रणा समिति में जो विधेयक पारित हो गये उनके लिये ४ बजे तक का समय नियत किया था, किसी दूसरे विधेयक के लिये नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश वृत्ति कर विधेयक के लिये ३ बजे तक का समय था । लेकिन उसमें १५ मिनट ज्यादा लग गये । अब १२ मिनट शेष रह गये हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह कोई आज तय नहीं था कि प्रस्तुत विधेयक पर आज बहस होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

समय उपलब्ध होने पर बहस होने को थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

समय उपलब्ध कैसे होगा जब आपने कई सदस्यों को बोलने का मौका ही नहीं दिया ? पहले वाले पास जो हो गये जिनके लिये टाइम था उन पर बोलने के लिये समय नहीं दिया गया ।

---

†१४ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

समय है। जो पास हो गये वह मामला समाप्त हो गया। जिसको समय चाहिये था उसको बोलने का अवसर मिला यथासंभव। अब जो १२ मिनट बाकी हैं तो समय उपलब्ध होने पर सूची पर जो अगला कार्यक्रम है उसको लिया जा सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर ही आप व्यवस्था दें। कार्यमंत्रणा समिति ने प्रस्तुत विधेयक के लिये कोई समय निश्चित नहीं किया है। तो क्या कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय के ऊपर भी आप कोई निर्णय दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बेकार थी, उसकी जरूरत क्या थी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

कार्यमंत्रणा समिति ने ३ बजे तक का समय निश्चित किया था और तीन बजे के बाद वृत्ति कर पर कोई विवाद नहीं होगा यह तय हो गया था। माननीय तिवारी जी को थोड़ा सा भ्रम हो गया है और मैं जानता नहीं कि वह भ्रम क्यों कर हो गया है। ३ बजे के बाद कोई विवाद विधायकों पर नहीं होना था वृत्ति कर ५ मिनट में हो जायगा और उस पर कोई विवाद नहीं होगा यह कार्यमंत्रणा समिति ने तय किया था, लेकिन ५ मिनट के बजाय १५ मिनट हो गये। मेरा निवेदन है कि क्योंकि समय उपलब्ध है इसलिये इस विधेयक को ले लिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मेरा प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिय कोई समय निर्धारित नहीं किया था।.....

श्री उपाध्यक्ष—

समय इसके लिये निर्धारित नहीं है। १८ दिसम्बर, १९७० को कार्यमंत्रणा समिति में तीन बातों का निश्चय हुआ था पहली बात तो यह है कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एशोसिएशन की प्रान्तीय शाखा के गठन के सम्बन्ध में, सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित समिति के गठन के लिये और हायर परचेज पर बिक्रीकर लगाने के लिये विधि बनाने का अधिकार केन्द्र को देने के सम्बन्ध में १ बजे तक। दूसरी उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार तथा पारण के प्रस्ताव अपराह्न १ बजे से तीन बजे तक और संकल्प तथा विधेयक पर मतदान पृथक-पृथक हों। तीसरा उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, जीविका और सेवा योजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० पर विचार तथा पारण के प्रस्ताव ३ बजे के उपरान्त लिये जायं। ऐसा कार्यमंत्रणा समिति में निश्चय हुआ था। तो विधेयक के लिये कोई सयम निर्धारित नहीं किया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

तो श्रीमन्, अब कार्यस्थगन प्रस्ताव लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

वे चार बजे लिये जायेंगे। जो कार्य एजेंन्डे पर है वह तीन बजे समाप्त हो जायं और कोई सामग्री न हो तो चार बजे तक के लिये सदन को स्थगित किया जाय ? अभी १०-१२ मिनट बाकी हैं।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा था कि यह जो उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० है वह अनकन्ट्रोवर्शियल बिल है। इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार एक कम्प्रेहेन्सिव बिल लाने जा रही है। इसमें केवल अवधि बढ़ाने की बात थी। इसके लाने की अवधि दो वर्ष तक और बढ़ा दी गई थी और यह अवधि बढ़ाते-बढ़ाते ८ वर्ष तक हो गई थी। दो वर्ष का जो समय दिया गया था वह समय भी पूरा होने जा रहा है अतः केवल दो वर्ष की अवधि इसके लिये और दी जाय।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को सदन एक की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

मान्यवर, अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह जो अधिनियम है वह ८ साल पहले बना था, उसके बाद समय-समय पर चाहे जो भी सरकारें रही हों, इसकी मियाद बढ़ाती आ रही हैं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पिछली बार भी सदन में जब यह अधिनियम संशोधन के लिये पास हुआ था तो उस समय भी यह कहा गया था कि केंद्रीय सरकार इस विधेयक पर विचार कर रही है और इस पर कानून आने वाला है किन्तु अभी तक नहीं आया। इस बार भी यही कारण बताया गया था जो कारण कि आज बताया जा रहा है कि केंद्रीय सरकार अधिनियम बना रही है। पता नहीं कब केंद्रीय सरकार इस पर विचार करे और उसे लायेंगे? हम उसी की आशा में समय को बढ़ाते जा रहे हैं। कई तरह की बुराइयां पैदा हो रही हैं। जो मूल अधिनियम है उसमें यह व्यवस्था थी कि १,२०० रु० महीने तक जिनकी आमदनी है जिन धार्मिक संस्थाओं की या जिनकी प्रापर्टी ५०,००० रु० है उनके संबंध में यह अधिनियम बनाया गया था और उसमें यह कहा गया था कि इससे कम जिन धार्मिक संस्थाओं की आमदनी है, उसमें यदि गड़बड़ी होती है तो गवर्नमेंट उसके लिए स्वयं इन्तजाम कर सकती है। मैं मान्यवर, बड़े ही अफसोस की बात है कि केंद्रीय सरकार से जो बिल आने वाला है उसकी आशा में हम बैठे रहे।

मैं सरकार से चाहता हूं कि अपनी परिस्थितियों को देखकर एक नया विधेयक सरकार को पास करना चाहिये। पुराना विधेयक जो कि ८ साल पहले बना था उसमें समय के मुताबिक बहुत सी परिस्थितियां बदल गई हैं। नया बिल यहां पर प्रस्तुत करना चाहिये था। यह सभी को मालूम है कि इन संस्थाओं में बड़ा भ्रष्टाचार है। ये संस्थायें परम्परागत चली आ रही है। और उनमें तरह-तरह की खराबियां पैदा हो गयी हैं। दक्षिण के मंदिरों में कोई परम्परागत पुजारी नहीं होता, वहां तो ट्रस्ट के द्वारा मंदिरों की व्यवस्था की जाती है वे ही पुजारी का चुनाव करते हैं और वे लोग बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। उसी प्रकार की व्यवस्था हमारे यहां मंदिरों में भी होनी चाहिये। उन मंदिरों में जो चढ़ाया आता है उसे यात्रियों के सुख सुविधा के लिये इन्तजाम किया जाता है। हमारे यहां एक शीतला का मंदिर है। माननीय त्रिपाठी जी ने यहां बहुत अच्छी व्यवस्था करवा दी है लेकिन फिर भी वहां जो तालाब है उसमें इतना गंदा पानी है कि अगर स्वस्थ आदमी भी नहा ले तो बीमार हो जाय।

धार्मिक संस्थाओं का यह कार्य होना चाहिये कि वे नहाने के लिय तलाब, पीने के लिये पानी और रहने के लिये स्थानों का प्रबन्ध करें। अभी थोड़े दिनों पहले केरल में एक मंदिर के लिये पुजारियों का चयन किया गया। चुने हुए १० पुजारियों में दो हरिजन रखे गये।

[श्री माता प्रसाद]

इसी प्रकार यहां भी हरिजनों को ट्रेनिंग देकर पुजारियों के काम के लिए रखा जाय । मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता लेकिन बहुत से मंदिर राजनीति के अड्डे बने हुये हैं । शंकराचार्य जी को सभी लोग जानते हैं उन्होंने कई ऐसा स्टेटमेंट दे दिये कि सारे देश में और खासतौर से हरिजनों में बहुत क्षोभ पैदा हो गया । इसलिये हमको चाहिये कि मंदिरों के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण करें जो मंदिरों का प्रबन्ध करे और यात्रियों के सुख सुविधा का प्रबन्ध करे। बहुत से स्थानों पर लोगों की धार्मिक भावनाओं का अनुचित उपयोग भी किया जाता है । लोगों से धोखाधड़ी करके रुपया वसूल किया जाता है । मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस विधेयक का समय न बढ़ाकर, पूरा बिल लाये । हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस धर्मादा बिल पर बिल का स्वागत करता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी से इतना आश्वासन चाहता हूं कि तिरुपति में, आंध्र, प्रदेश में एक मंदिर है । उसका ट्रस्ट बना हुआ है और वहां पर जो चढ़ावा आता है उससे एक विश्वविद्यालय, ५० डिग्री कालेज, और १०८ इंटरमिडियेट कालेज चलाये जा रहे हैं। केंद्रीय सरकार की ओर हम कब तक देखते रहें प्रदेश में बड़ी भारी मात्रा में चढ़ावे का धन आता है जिसका सदुपयोग विद्यालयों के बनाने और अस्पतालों के बनाने के लिये होना चाहिये पर वह नहीं हो रहा है और बार बार सदन से इसका समय बढ़ाने की अनुमति दी जाती है । इस बार भी दो साल के लिए अनुमति सदन से चाही जा रही है । हम अनुमति देंगे लेकिन मंत्री जी यह आश्वासन दें कि यदि केंद्रीय सरकार से ३१ मार्च, १९७१ तक व्यापक बिल बन कर नहीं आया तो वे एक व्यापक बिल बनायेंगे और इसके लिये सदन की एक समिति गठित करेंगे जो मंदिरों में चढ़ाये जाने वाले धन का सदुपयोग करने के मार्ग बतायेगी । इससे धार्मिक लोग मंदिरों में जायेंगे तो मन में उनके प्रति श्रद्धा, उत्पन्न होगी और चढ़ाने के धन से हमारे प्रदेश का विकास होगा । उत्तर प्रदेश में काशी, वहां के तो हमारे नेता विरोधी दल हैं, वे सब जानते हैं, हरद्वार और मथुरा में बड़े-बड़े मंदिर हैं जिनमें बड़ी मात्रा में धन चढ़ता है । इसका सदुपयोग होना चाहिये । हम आशा करते हैं कि मंत्री जी एक नमूने का बिल बनायेंगे और इसकी समुचित व्यवस्था करेंगे । इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल आया है वह कई बार इस सदन में आ चुका है । मंत्री जी ने कहा था कि मंदिरों की जितनी सम्पत्ति है उसकी देखभाल के लिये एक अधिकारी नियुक्त किया जायेगा और जिले में जाकर वह उसकी देखभाल करेगा । लेकिन न तो वह कहीं गया और न सम्पत्ति की जांच हुई । हमारे पड़ोस में अयोध्या है उसके मंदिरों में इतनी सम्पत्ति है कि यदि उसको इकठ्ठा किया जाय तो कई डिग्री कालेज, अस्पताल और मेडिकल कालेज उससे चल सकते हैं । उससे हमारे पूर्वी जिलों की गरीबी दूर हो सकती है । लेकिन उसको नहीं देखा गया ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चकबन्दी हो रही है । इन मंदिरों के नाम लाखों एकड़ जमीन लगी है । महन्त लोग तो गद्दी पर रहते हैं और घर में उनकी औरत हैं उनके नाम पर जायदाद और धन लगा देते हैं । इस तरह से मंदिर की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है । इसको आपको देखना चाहिये । लेकिन आप इसको टाल रहे हैं । इसमें भी बहाना है। मंदिरों में जो चढ़ावा आता है इसका सदुपयोग नहीं कर उसका वितरण भी ठीक ढंग से नहीं होता है । यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और अब इसकी ठीक तरह से देखभाल होनी चाहिये तभी हमारी संस्कृति की उन्नति होगी । भगवान के प्रति जो हमारी भावना

बनी हुई है उसका सही प्रतिपादन हो सकेगा । मैं एक खिरिया गांव तहसील तरबगंज जनपद गोंडा की कहानी बताता हूं । वहां पर एक मंदिर में ७० बीघे जमीन लगी हुई है । उसके सिवाय दूसरे लोग बनाये गये हैं और वे वहां की जमीन जोत रहे हैं । मंदिर में घंटा तक नहीं बजता है। यह धांधली की जा रही है। अगर ऐसा ही धांधली होती रहेगी तो वहां पर चिराग जलाने वाला तक कोई नहीं रहेगा । जो श्रद्धा इन मंदिरों के प्रति मानव जाति में चली आ रही है वह कम होती जा रही है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय । माननीय मंत्री जी भी मठाधीश हैं । वे इसको कृपया देखें और इसके लिये एक समिति बना दें । अगर नहीं बनाते हैं तो आपको चाहिये कि इसकी देखभाल के लिये, जो सम्पत्ति दूसरों के हाथ में चली जा रही है, उसके लिये कोई न कोई कानून बनायें जिससे उन जमीनों की रक्षा हो सके ।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी बातें चाहे इधर के या उधर के माननीय सदस्यों ने कहीं उनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है । एक काम्प्रिहेन्सिव बिल इस संबंध में भारत सरकार बना रही है । अगर आप चाहते हैं कि यहां की सरकार बनाये तो यहां की सरकार बनायेगी । लेकिन इस बिल में तो केवल इतना है कि धार्मिक संस्थानों के साथ जो स्थायी जायदादें हैं उनको बेंचा न जा सके । अगर आपने यह विधेयक नहीं पास किया और प्रवर समिति को भेज दिया तो फिर अवधि समाप्त हो जायेगी और जायदादें बिक जायेंगी । इसलिये मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि अगर कोई दूसरा बिल बनाने की बात होगी तो वह अलग से सोच लिया जायेगा लेकिन इस बिल को आप पास कर दें नहीं तो समय समाप्त हो जायेगा और लोग जायदादें बेंच लेंगे जो आप नहीं चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे ।

श्री माता प्रसाद—

मैं वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक (संस्था सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की अवधि को और बढ़ाने के लिए

उत्तर प्रदे
अधिनिय
संख्या
१९६०

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

त्रिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

तर प्रदेश
धिनियम
धा २२,
६२ की
त १ का
ोधन

२—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "आठ वर्ष" के स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रख दिये जायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

अब नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय सुखपाल पांडेय, माननीय राजितराम पांडे, माननीय इन्द्रलाल ने दी है । बस्ती जेल के बन्दी श्री मुन्नू को बस्ती जेल से पुलिस की हिरासत में गोरखपुर ले जाते समय गोलघर चौराहे पर कुछ व्यक्तियों द्वारा मुन्नू को गोली मारना तथा एस०पी० गोरखपुर द्वारा मुन्नू की सुरक्षा न करने के संबंध में ।

इसे २३ तारीख को वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया गया है ।

दूसरा है माननीय शंकर प्रसाद जायसवाल द्वारा १९-१२-७० को वाराणसी में उप क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक द्वारा ट्रकों पर लदे किसानों के चावल तथा गेहूं जो जब्त करने तथा ड्राइवर को हवालात में रखने के संबंध में ।

यह स्वीकार नहीं किया गया है ।

तीसरा माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने राज्य सरकार द्वारा रेनुसागर में स्थित हिन्डालकों को ४ नये पैसे प्रति यूनिट बिजली देने के लिये निर्णय के फलस्वरूप किसानों को मिलने वाली बिजली में कमी के संबंध में ।

यह भी स्वीकार नहीं किया गया है।

चौथा है श्री दर्लासिगार यादव और श्री हरिवंश सहाय का आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के तहसीलदार द्वारा एक लेखपाल को नसबन्दी का केस न दे सकने के कारण धमकाने के फलस्वरूप लेखपाल की मृत्यु होने के संबंध में ।

यह भी स्वीकार नहीं किया गया है।

आज एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो श्री हुकुम सिंह परिहार का है । उसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । वह इस प्रकार से है कि "श्री श्याम बिहारी लाल पत्रकार द्वारा जिलाधीश, आगरा के कार्यालय के सामने आमरण अनशन करने तथा आत्मदाह की धमकी देने के संबंध में है" । यह २३ दिसम्बर के लिये केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ है।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, १७ तारीख को वक्तव्य के लिए गृहमंत्री जी ने स्वीकार । वह छात्रों के संबंध में था । हम लोगों ने उनसे प्रार्थना की थी और उन्होंने कहा था कि इसको नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दफ्तर में पूछ लें कि उसका क्या हुआ ? वह अध्यक्ष जी के पास होगा उनसे आप बात कर लें ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

काश्तकारों को अपना चावल ले जाते समय वाराणसी में पकड़ लिया गया है । वह १० क्विंटल चावल तो बाहर ले जा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

जब उनका माल वाराणसी की मंडी में आ रहा था तो उसको पकड़ लिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उपचार दूसरी तरह से भी हो सकता है । अगर उन पर कोई आक्रमण हुआ है तो आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

मैं अल्प सूचित तारांकित प्रश्न लिखकर दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दीजियगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

इस सरकार के द्वारा रेनुसागर में स्थिति बिजली घर से बिड़ला को ४ नये पैसे प्रति यूनिट बिजली देने की बात कही गई है जिससे कि किसानों को दी जाने वाली बिजली में कमी आयेगी । सरकार ४ पैसे में उनको देगी जब कि सरकार को खुद ८ पैसे पड़ती है । इतनी सस्ती बिजली उनको दी जा रही है । किसानों को इतनी सस्ती यह सरकार नहीं देगी. . .

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जब कि बिड़ला, टाटा और डालमियां को इतनी सस्ती बिजली दी जायगी तो हम यह मानें कि इस सदन में भी उनके मदद करने वाले बैठे हैं । जब त्रिपाठी जी वित्त मंत्री थे तब उस समय यह निर्णय लिया गया है, यह इतना महत्वपूर्ण कामरो को प्रस्ताव है जिस को अस्वीकार कर दिया गया है । जनहित के बारे में अगर कोई आवश्यक बात कही जायगी तो यहां कोई बात न सुनना कहां तक न्याय की बात है । अगर हमारी जनहित की बात को यहां पर नहीं सुना जायगा तो कहां पर इसको कहा जायगा । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी इस प्रार्थना पर पुनः विचार करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो स्वयं सरकार के साथ हैं आप उन पर जोर डाल सकते हैं और यदि आप इतना महत्व इसका समझते हैं तो अनुदान के विचार के समय आपने इस चीज पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं खींचा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, कुछ मेरा नाम श्री शम्भूनाथ जी ने लिया, मैं समझ नहीं पाया क्या उन्होंने कहा ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जब यह बिजली पूंजीपतियों को सस्ते दर पर दी गई थी तो उस समय माननीय कमलापति जी भी मंत्री थे और उस कम्पनी में उनके लड़के को नौकरी भी मिल गई ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह झूठ बात कहते हैं, कभी मेरे वित्त मंत्रित्व के जमाने में कोई बिजली सस्ते दर पर बिरला को नहीं दी गई ।

(व्यवधान)

(श्री शम्भूनाथ चौधरी के पुनः कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब बैठिये, अब यह बात यहीं समाप्त हुई और अगला कार्यक्रम होगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि "झूठ बात" शब्द संसदीय है या असंसदीय है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, उनकी बात मिथ्या है, निराधार है, बेबुनियाद है और असत्य है ।

श्री उपाध्यक्ष—

झूठ है या झूठ बात है यह तो कहा जा सकता है और इतना संसदीय है लेकिन किसी व्यक्ति या माननीय सदस्य को झूठा नहीं कहा जा सकता ।

विधान सभा के नियत तिथियों के तीन अधिवेशन बुलाने के निर्णय पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय रियासत हुसैन, सदस्य विधान सभा ने यह प्रश्न उठाया है कि राज्य सरकार ने विधान सभा द्वारा दिनांक १० मार्च, १९७० को लिये गये इस निर्णय का पालन नहीं किया है कि साल में विधान सभा के तीन अधिवेशन—बजट, मानसून और विन्टर—जिनकी निश्चित तिथियां भी रखी गयी थीं, बुलाया जाय। दिनांक १० मार्च, १९७० को विधान सभा द्वारा यह निश्चय लिया गया था कि उत्तर प्रदेश विधान सभा वर्ष में कम से कम तीन अधिवेशन साधारणतया संकल्प में उल्लिखित सारिणी के अनुसार हों। संकल्प में दी गयी सारिणी के अनुसार विधान सभा का—

आयव्ययक अधिवेशन	१ फरवरी से ७ मई तक
वर्षाकालीन अधिवेशन	१५ जुलाई से १५ सितम्बर तक
शीतकालीन अधिवेशन	५ नवम्बर या दीपावली के चौथे दिन, जो भी बाद में हो, से २२ दिसम्बर तक

साधारणतया होना था।

उक्त संकल्प १० मार्च, १९७० को पारित किया गया था और उससे पहले २६ फरवरी, १९७० से विधान सभा का प्रथम अधिवेशन आहूत किया गया था जो २१ मार्च, १९७० तक चला। विधान सभा का द्वितीय अधिवेशन २८ अप्रैल, १९७० को प्रारम्भ हुआ और १ जुलाई, १९७० तक चला। विधान सभा का तृतीय अधिवेशन ७ दिसम्बर, १९७० से हो रहा है। इस प्रकार संकल्प में वर्ष में अनिवार्यतः तीन अधिवेशन बुलाने के निश्चय का पालन किया गया है। जहां तक संकल्प में उल्लिखित सारिणी के अनुसार अधिवेशन करने का प्रश्न है, संकल्प में साधारणतया उक्त सारिणी के अनुसार अधिवेशन बुलाने का निश्चय किया था। अतः अधिवेशनों की अवधि की उक्त सारिणी का अनिवार्यतः पालन करना संकल्प के अनुसार भी आवश्यक नहीं है। वैसे भी इस वर्ष घटित राजनैतिक परिस्थितियों में सरकार में हुए परिवर्तनों के कारण उक्त सारिणी का पालन करना संभव नहीं हो सका।

जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है पिछली सरकार ने वर्तमान माननीय नेता विरोधी दल के सुझाव के अनुसार विधान सभा का सत्र ६ अक्तूबर, १९७० को आहूत किया था किन्तु इस बीच राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के कारण उक्त विज्ञप्ति का प्रवर्तन स्वतः ही समाप्त हो गया। वर्तमान सरकार के गठन के बाद जितना शीघ्र भी सदन का आह्वान व्यवहारिक हो सका वह कर लिया गया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्षाकालीन अधिवेशन वे किस को मानते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, ये वर्षाकालीन शब्द पर जोर दे रहे हैं। इसके उत्तर में मैं इतना ही कह सकूंगा कि इसीलिए तो इसमें शब्द "साधारणतया" दिया हुआ है। मेरे मित्र, मेरे से भी ज्यादा परिचित हैं, कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं कि जिसके कारण इसका परिपालन नहीं किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो। यह चर्चा या तो आज ही हो जाय या फिर जब आप आज्ञा दें तब हो ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह वक्तव्य के लिये रखा है और कार्य-सूची में भी वक्तव्य के लिये ही रक्खा है। इस पर आप प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

एक दिन चर्चा ही करा दें वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं जानना चाहता हूं कि इसमें आपकी क्या व्यवस्था है ? वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रश्न हो सकते हैं या चर्चा हो सकती है। उन दोनों में से आप किसकी आज्ञा देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों से भी चर्चा हो जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अच्छा मैं आम बातों को कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं इस सरकार को दोषी ठहराना चाहता हूं ...

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रस्ताव नियम ५१ में लिया गया है। स्पष्टीकरण के लिये मैं चाहता हूं कि क्या आप नियम ५१ में दी गई सूचना पर ही विवाद करायेंगे ? या यह किसी और नियम के अन्तर्गत ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नियम ५१ में ही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यदि यह नियम ५१ में है तो क्या माननीय नारायणदत्त तिवारी इस पर भाषण कर पायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसे वक्तव्य पर कोई विवाद तो नहीं होता परन्तु यदि माननीय सदस्य कुछ स्पष्टीकरण चाहें तो प्रश्न करने की मैं अनुमति दे सकूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैं यही स्पष्टीकरण आपसे चाहता था।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, मैंने इसे नियम १०३ में चर्चा का विषय बनाकर दिया था और माननीय अध्यक्ष के जो आदेश हैं उसके अनुसार इस पर वक्तव्य होगा। यदि जरूरत होगी तो चर्चा की आज्ञा आ जायेगी। मैंने आज ऐजेन्डे में यह देखा कि नियम ५१ के अन्तर्गत यह प्रस्ताव लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह लिया गया है। यह कैसे हो गया कि इस पर मंत्री का वक्तव्य आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रियासत साहब ठीक कह रहे हैं। इस पर चर्चा होगी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं और सरकार को दोषी ठहराता हूं। इस सरकार ने जानबूझकर संकल्प जैसा पास हुआ गलत तरीके से अपने वक्तव्य में सदन के सामने रक्खा है। श्रीमन्, इसमें वक्तव्य के लिये लिखा है लेकिन १० मार्च, १९७० को सदन ने एक संकल्प पारित किया था और उसने यह निश्चय किया था--

"यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में अनिवार्यतः कम से कम ३ अधिवेशन साधारणतया तथा निम्नलिखित सारिणी के अनुसार हों, परन्तु किसी भी स्थिति में ९० दिन से कम बैठकें नहीं होंगी :--

सारिणी

आय-व्ययक अधिवेशन	१ फरवरी से ७ मई तक,
वर्षाकालीन अधिवेशन	१५ जुलाई से १५ सितम्बर तक,
शीतकालीन अधिवेशन	५ नवम्बर या दीपावली के चौथे दिन, जो भी बाद में हो, से २२ दिसम्बर तक।

और नियमों में एतदर्थ संशोधन कर दिया जाय।"

अगर हम इस वक्तव्य को देखें तो मालूम यह पड़ता है कि केवल इतना सीधा-सादा संकल्प पारित हुआ। श्रीमन्, मेरे पास संकल्प रखा है उस दिन का, जो १० मार्च की कार्यवाही है उससे मैं पूरा संकल्प पढ़ कर सुनाता हूं। सरकार ने तो अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया और संकल्प थोड़ा ही पढ़ कर सुनाया। मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि पूरा संकल्प पढ़ दूं कि सदन ने क्या निश्चय किया था। सरकार ने निश्चय कर नहीं किया था बल्कि सारे सदन ने निश्चय किया था और पहले की सरकार ने उसका समर्थन किया था। इस सरकार ने सदन के सामने अपना वक्तव्य अधूरा ही रखा, पूरा नहीं रखा। फिर इस प्रस्ताव के अनुसार नियम समिति ने आपकी अध्यक्षता में विचार किया। नियम समिति तो सर्वदलीय समिति है, इस सदन की समिति है। उसने भी एक मत से हूबहू, जैसे का तैसा इस नियम को अपनी नियमावली में जोड़ने का निर्णय किया। लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि सरकार अब अपनी बात से मुकरना चाहती है और सदन के सदस्यों के जो अधिकार हैं कि सदन की कार्यवाही चले, उससे सदन को वंचित रखना चाहती है। जो असल बात है उससे सरकार मुकरना चाहती है। इसमें दिया हुआ है कि किसी भी स्थिति में ९० दिन से कम बैठकें नहीं होंगी। यह इसका मूल मापदंड है।

मान्यवर, ५६ दिन पहले विधान सभा की बैठक चली और आज दसवां या ग्यारहवां दिन है, इस तरह से कुल मिला कर ६७ दिन हमारी असेम्बली चल पायी है। इसका अर्थ यह है कि अभी २२ दिन हमारा सदन चलना बाकी है। सदन का यह सर्वसम्मत प्रस्ताव है कि कम से कम ९० दिन किसी भी हालत में यह सदन चले लेकिन अपने इस दायित्व से यह सरकार बचना चाहती है।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

वर्षाकालीन अधिवेशन तो तब होना चाहिये था जब आपकी सरकार थी, आपने सदन को क्यों नहीं बुलाया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

अगर हमारी सरकार होती तो ९० दिन क्या, हम १०० दिन तक अधिवेशन को चलाते। हम सदन के सामने आने से घबड़ाते नहीं हैं लेकिन इस सरकार को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इसका एक-एक दिन चलना दूभर हो रहा है।

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)--

आपकी सरकार ने ही तो सदन को स्थगित करा दिया था और फिर दोनों सदनों को प्रोरोग करा दिया था और आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह प्रश्न केवल शासक दल या विरोध पक्ष का नहीं है। यह सदस्यों का अधिकार है कि वे विधान सभा के अधिवेशन को अधिक से अधिक चलावें। मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य, मथुरा के श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के उस भाषण का हवाला देना चाहता हूं जो उन्होंने उस सम्बन्ध में उस दिन कहा था। माननीय लक्ष्मी रमण जी नें उस दिन कहा था कि मैं विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा साथ ही उन्होंने अपने साथियों से निवेदन किया कि यह जो जनतांत्रिक प्रणाली है यह सदा बहाव वाली नदी के समान है। अगर जल सदा बहता रहा तो वह सड़ता नहीं है लेकिन अगर जल स्टैगनेंट हो जाय, स्थिर हो जाय तो वह सड़ने लग जाय.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

यह तो मैं अभी भी कहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

दुर्भाग्य से मंत्री जी जो इस समय वक्तव्य दे रहे हैं वह उसको सड़ाने वाला वक्तव्य है. ....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं अभी भी वही कह रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इसी प्रकार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के माननीय नेता ने जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उन्होंने कहा था---अगर यह सदन बैठेगा ही नहीं तो यह जबाव देही ढीली पड़ जाती है और उसका असर शासन पर भी पड़ता है। आप शायद इस चीज को सराहें कि जब कभी सेशन चलता है तो जो जो घटनायें बाहर होती है उनको किसी न किसी रूप में उठाया जा सकता है और वह एक जबरदस्त अंकुश साबित होता हैं नौकरशाही पर। लेकिन जब वह मौका नहीं मिलता तो मामला बिगड़ता ही जाता है और उसका प्रतिबिम्ब यहां पर भी दिखाई पड़ता है कि यहां अव्यवस्था हो जाती है। हमारा प्रदेश ९ करोड़ आबादी का है इसकी आबादी लगभग वही है जो यूनाइटेड किंगडम की है और आप देखेंगे कि वहां का हाउस आफ कामन्स लगभग साल भर बराबर बैठा करता है। लेकिन हम इससे गुरेज करते रहे हैं या दूसरे कारणों से। इसका नतीजा यह होता है कि प्रतिनिधियों में असन्तोष रहता है। श्रीमन्, यह माननीय जायसवाल जी के विचार हैं। आज वही घटक जब सरकार में बैठे हैं तब वे उन बातों को भूल जाते हैं। जनसंघ के नेता के भी यही विचार थे...

(व्यवधान)

श्री रामप्यारे--

एक व्यवस्था का प्रश्न है

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जिन पार्टियों के नेताओं का माननीय तिवारी जी ने अभी नाम लिया, वे लोग तो अब भी वही बात कहते हैं। जिन दिनों आपका शासन रहा, आपने असेम्बली नहीं बुलाई, उसके बारे में माननीय तिवारी जी को क्या कहना है ?

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस प्रकार मामले को दबाने से यह सदन संतुष्ट होने वाला नहीं है। आप प्रत्येक माननीय सदस्य को अगर बुला कर अपने कमरे में उससे राय जानना चाहेंगे तो भी वह यही राय देगा कि ६० दिन सदन अवश्य चले। ३१ जनवरी तक अभी आपके पास समय है। अगर ईमानदारी से आप इसको लागू करना चाहते हैं तो अभी समय सरकार के पास है, वह इसे पूरा कर सकती है। मान्यवर, इस प्रस्ताव पर पहले भी दस्तखत हुये हैं। शुरू में ही जब विकल जी ने प्रस्ताव रखा था तो उनके पहले प्रश्न पर ही दस्तखत हुये थे.....

(व्यवधान)

श्री रामप्यारे--

अभी दो माह ही इस सरकार को आये हुये हैं। आपकी जब सरकार थी तब आपने क्यों नहीं बुलाया ? अध्यक्ष महोदय, इसका स्पष्टीकरण दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा का विषय यह है कि सदन का जो फैसला हुआ वह कार्यान्वित हो। इसी पर कृपया बोलिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि सदन के सर्व-सम्मत प्रस्ताव को ठुकरा कर सदन को ६० दिन न चलाये। जब तक सदन है और वह प्रस्ताव है, तब तक यह उस पर लागू है और ऐसा न होने से सदन का अवमान होगा और नियमों का स्पष्ट उल्लंघन होगा। इस वक्तव्य में कहा गया है--"किन्तु इस बीच राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के कारण उक्त विज्ञप्ति का प्रवर्तन स्वतः ही समाप्त हो गया। वर्तमान सरकार के गठन के बाद जितना शीघ्र भी सदन का आह्वान व्यवहारिक हो सका वह कर लिया गया।" मैं पूछना चाहता हूं १६ अक्तूबर को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और सदन ७ दिसम्बर को बुलाया गया, जबकि यह सर्वसम्मत निर्णय था और लोग मांग कर रहे थे और गवर्नर कान्फ्रेन्स का यह निर्णय था कि कोई गवर्नमेंट कायम हो जाय, तो उसके १५ दिन बाद असेम्बली बुलाई जानी चाहिये। तो संविधान और प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले लोग....

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्रीमती कुदसिया बेगम)--

मैं यह बात सिर्फ पूछना चाहती हूं कि हर बहस का कुछ मकसद होता है, इस वक्त जो वक्तव्य दिया गया है, उस पर बहस का मतलब क्या है ? २ जुलाई को हमारा सेशन खत्म हुआ था--तो जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर इन चार महिनों तक उनकी सरकार थी, तो उस वक्त सेशन क्यों नहीं बुलाया गया था ? हम पर तो आप इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इसका

[श्रीमती कुदसिया बेगम---]

जवाब सामने बैठने वालों से मिलना चाहिये। बहरहाल इस साल में तो ९० दिन पूरे करना physically मुमकिन नहीं है। कोई मकसद होना चाहिये, बहस करने का।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

९० दिन के विषय में सोचना है। वह हो सकता है या नहीं? यह जो चर्चा कर रहे हैं, उसका मकसद यही होता है कि आइन्दा ऐसी गलती न हो और जो गलती हुई है, उसका निराकरण सम्भव है या नहीं? यदि सम्भव है तो क्या किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं मेरे कहने का मकसद यह है कि इस सदन के सदस्यों के दिलों की आवाज इस कुम्भकर्णी सरकार के कानों तक पहुंचे।

श्रीमती कुदसिया बेगम---

जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्तूबर के चार महिने में आपने क्यों नहीं बुलाया?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

इस बात के लिये मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री को बधाई दूंगा कि १६ फरवरी को शपथ ली और २८ फरवरी को यानी ११ दिन के अन्दर सदन बुलाया। लेकिन इन्होंने १६ अक्तूबर को शपथ ली और ७ दिसम्बर को सदन बुलाया, आप मुकाबला क्या करते हैं?

श्री चन्द्रभान शर्मा---

किसी वक्त सदन गलत मोड़ ले लेता है तो सुन लिया कीजिये, जिससे आसानी हो, जिससे हमारी भी तसल्ली हो जाये और आपकी भी हो जाये। यह १० मार्च को प्रस्ताव पास हुआ और जिस दिन से पास हुआ उस दिन से लागू होना चाहिये, और लागू होता है। तो १० मार्च, १९७१ तक तो इस पर बहस की कोई मांग होनी ही नहीं चाहिये, उस दिन तक पूरे दिन न हों तो वह कह सकते हैं। फरवरी में सेशन होने जा रहा है, इसलिये यह बहस बेकार हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

माह, फरवरी ७१ से पहले ९० दिन होने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

वह अपनी राय दें, आप अपनी राय देने के लिये मौजूद हैं। विरोधी पक्ष सरकार का जबाव नहीं देगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मुझे विश्वास है, उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य भी चाहते हैं कि ९० दिन सदन चले। आप भी अधिकारी हैं इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करवाना आपका उत्तरदायित्व

है। इस सरकार के बस का नहीं है कि सदन के सर्वसम्मत प्रस्ताव की अवहेलना कर सके, उसको बदल सके। अब तो सदन को कम से कम ९० दिन वर्ष मे चलना है। माननीय संसदीय मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय उद्योग मंत्री, जिन्होंने दिन बिताए इसकी कनवेंसिंग में, कार्य-मंत्रणा समिति में और बाहर भी, सब जगह, उनकी आज कसौटी है, उनका इम्तहान है कि वह अपने प्रस्ताव को लागू करवाते हैं या नहीं।

श्री मैनेजर सिंह---

यह सही है कि इस सदन को इस संकल्प के अनुसार ९० दिन तक अधिवेशन चलाना चाहिये और यह भी सही है कि सारिणी के अनुसार तीन अधिवेशन होने चाहिये। सवाल यह है कि जिस निर्लज्जता के साथ इस सदन में वकालत की जाती है, उसकी कोई हद नहीं है। आखिर जो ९० दिन अधिवेशन चलना है, यह संकल्प में स्पष्ट है कि ९० दिन तीन हिस्सों में अधिवेशन चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी वजह से सदन ५० दिन कम चले तो दिसम्बर और जनवरी में ५० दिन पूरा कर दिया जाय। मैं माननीय साथी, तिवारी जी जैसे पढ़े-लिखे और काबिल आदमी से इस प्रकार की लचर और थोथी दलील की उम्मीद नहीं करता था। संकल्प के अनुसार १५ जुलाई से १५ सितम्बर तक सदन चलना चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इस बीच में कौन सी सरकार थी? वह सरकार थी जिसको केबिनट में आप का बहुमत था। अगर इस सदन का अवमान हुआ है तो उसके अपराधी आप हैं। आप किस मुंह से सरकार को कोसते हैं। वह सरकार आपकी थी। इस प्रकार की लचर दलील में सदन का समय नष्ट न किया जाय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि किसी का भाषण न पढ़ा जाय, अगर पढ़ा जाय तो सब का पढ़ा जाय। सब का चित्र सामने खड़ा हो जायगा। हमारे साथी तिवारी जी हम लोगों के साथ विरोधी पक्ष में थे, उसका भाषण पढ़ा जाय, और जब उधर गये तो उसका भाषण पढ़ा जाय, ऐसे ही इस सदन के बहुतेरे माननीय सदस्य इधर से उधर गये हैं, उनका समय-समय पर भाषण पढ़िए, तो आकाश पाताल का अन्तर है।

मैं कहता हूं कि अगर सदन के संकल्प का अनादर हुआ है, अवमान हुआ है तो उसके अपराधी हमारे साथी तिवारी जी और उनकी मित्रमंडली है दो दलील दे रहे हैं। इस सरकार ने सदन को आहूत किया और इतने दिन तक चलाया। आप चाहते हैं कि लगातार जब कि फरवरी में बजट आयेगा, जनवरी, फरवरी तक यह सदन चलता रहे। बजट के लिये समय चाहिये या नहीं? जो माननीय सदस्य, खासकर देहात से आते हैं, वे भी चाहते हैं कि कम से कम अधिवेशन के बीच में पर्याप्त समय मिले, अपने जनता जनार्दन के यहां जायं, उनको यहां की कार्यवाही से अवगत करायें और उनके दुख दर्द को लेकर आपके यहां रखें। हमारे जो देहात के साथी यहां आते हैं वह कतई यह नहीं चाहते हैं कि सदन १२ महीने बैठे और चलता रहे। इसलिये यह पास हुआ था कि सदन का अधिवेशन तीन हिस्सों में चले और उनमें काफी दूरी रहे। २३ दिसम्बर तक की बात थी। अब सदन २४ दिसम्बर तक चल रहा है, फिर भी आपको शिकायत है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस सरकार को २३ को ही सदन को समाप्त कर देना चाहिये, यदि इस संकल्प की मंशा ले ली जाय। एक दिन सदन को बढ़ाना संकल्प की भावना के विपरीत है। मैं चाहूंगा कि तिवारी जी के दल में बहुत से लोग इस तरह की दलील देने के लिये हैं इसलिये तिवारी जी उनको न दें।

श्री उपाध्यक्ष---

जो नहीं हैं आप उनको ढूंढ़ने की क्यों कोशिश कर रहे हैं?

श्री मैनेजर सिंह---

मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह तिवारी जी के लायक तर्क नहीं है। वह मेरे साथी रहे हैं इसलिये वह इस तरह की दलील न दें।

*श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो चर्चा श्रीमन् के समक्ष प्रस्तुत है उसके दो पहलुओं की तरफ मैं श्रीमन का ध्यान ले जाना चाहता हूं। मैं आचार्य जी से यह चाहूंगा, क्योंकि मेरे बाद शायद वह बोलेंगे, कि वह मेरी बात का जबाव दें। श्रीमन, मेरा पहला कहना तो यह है कि यह चर्चा जो है उसके सम्बन्ध में इनकी तरफ से जो जबाव दिया गया था, वह अधूरा है। यह जानबूझ कर लिखा गया है। यदि सदन के सम्मानित सदस्य जो पास हुआ था उसको देखें, तो इस नतीजे पर पहुंचेगें कि वास्तव में, वह जिस अर्थ में पास हुआ था उसको न लेकर जैसा आप चाहते थे वसे अर्थ लिये गये हैं। श्रीमन इसमें यह लिखा है कि जो पहले प्रस्ताव पास किया गया है उसके अनुसार साधारणतया यह बातें होना चाहिये थीं। कोई अनिवार्यता नहीं थी। मैं पढ़ कर सुना दूं, इसमें यह कहा गया है :

"अतः अधिवेशन की उक्त सारिणी का अनिवार्यतया पालन करेंगे।" उक्त सारिणी के अनुसार अधिवेशन बुलाना निश्चित है। श्रीमन, जो संकल्प था उसमें एक जगह साधारणतया शब्द आया था। उसका इतना कैपिटल बनाया गया है कि उसी के ऊपर जबाव आधारित कर दिया गया है। श्रीमन, संकल्प में दिया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में कम से कम तीन अधिवेशन साधारणतया हों। इसमें से "अनिवार्यतया" शब्द निकाल दिया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो इन्वर्टेड कामाज में आप साधारणतया शब्द लिख रहे हैं "तो अनिवार्यतया" शब्द क्यों निकाल दिया गया है। श्रीमन इसको आप देखें। ५ नवम्बर या दीपावली के चौथे दिन, जो भी बाद में हो, से २२ दिसम्बर तक साधारणतया होना था। इतना लिख कर समाप्त कर दिया। अब श्रीमन देखें कि इस पूरे सेन्टेन्स के अन्तर्गत किसी भी स्थिति में ९० दिन से कम बैठक नहीं होगी। आपके पास माकूल वजह इस बात की हो कि ९० दिन तक नहीं बैठ सके, यह दूसरी बात है। उस पर बाद में विचार करेंगे। लेकिन इस सदन में जब जबाव दिया जाता है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ देना चाहिये।

श्रीमन्, स्वयं इस बात का अध्ययन कर लें और अध्ययन करने के बाद मेरी राय से इत्तिफाक करते हैं या नहीं, इसका निर्णय दें। इसमें जो लिखा गया है वह जानबूझ कर लिखा गया है जिस से कि इधर के बैठने वालों को मुगालता हो कि इसका पालन तो हो गया। लेकिन श्रीमन, पालन नहीं हुआ। जो सारिणी दी गयी थी, उसका पालन नहीं हुआ। मेरा कहना, श्रीमन, यह है कि सरकार की तरफ से ऐसा प्रयास क्यों किया जाता है जिससे लोगों को मुगालता हो? जो प्रस्ताव बनाया गया है, अगर इसको पूरा पढ़े तो इसमें "साधारणतया" पर ज्यादा जोर है और "अनिवार्यतः" शब्द को गायब कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि मेरा कहना सही है। इन्होंने मूल प्रस्ताव के "अनिवार्यतः" शब्द को क्यों छोड़ दिया? ९० दिन जरूरी होगा उसको इन्होंने क्यों छोड़ दिया? यह लिख कर जबाव क्यों दिया कि यह साधारणतः आवश्यक था, इसमें कोई अनिवार्यतः नहीं थी। श्रीमन, उसमें यह था कि तीन अधिवेशन होंगे और इस प्रकार से होंगे कि जिसके दिन गिने जायेंगे तो ९० दिन से कम नहीं होंगे। जो साधारतः लिखा था तो उसका एक ही अर्थ था कि १५ से न शुरू होता, १७ से होता, १९ से होता, २० से होता या २१ से होता लेकिन साधारणतः का मतलब यह नहीं था कि तीन सत्रों का होना या ९० दिन का होना अनिवार्य न हो। यह जबाव जो आया है यह गलत है बल्कि मैं तो कहूंगा यह जानबूझ कर लिखा गया है जिससे कि इधर के माननीय सदस्यों को धोखा हो। हो सकता है कि आपके पास माकूल वजह हो लेकिन जो माननीय सदस्य सरकारी पक्ष में बैठते हैं या जो दल उधर बैठते हैं उनकी जहनियत ऐसी नहीं होनी चाहिये कि इस सदन से पारित जो संकल्प है वह पूरा हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं।

यह जो आचरण इस सदन में हो रहा है, वह कुछ इसी प्रकार का हो रहा है। एक समय ऐसा आये कि हमारा जो एक संकल्प सर्वसम्मत से पारित है उसका पालन न हो सके यह साधारण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात नहीं है। यह हो सकता था कि सरकार की यदि कोई लाचारी थी तो इस सदन से आकर माफी मांगी होती, असमर्थता जाहिर की होती कि आपका यह संकल्प था, इसका पालन करना था लेकिन आप इसकी इजाजत दीजिये कि हम इसका पालन नहीं कर सक। मैं यह नहीं कहता कि उनके पास कोई माकूल वजह थी या नहीं। लेकिन मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि जो संकल्प यहां पर पारित हो जाते हैं, यदि किसी वजह से सरकार उनको पूरा न करना चाह और इस तरह से उपेक्षा करे कि सबको मालूम पड़े कि हम बहुमत में है इसलिये हमारे लिय जरूरी नहीं कि हम किसी संकल्प का पालन करें या नहीं, उचित नहीं। श्रीमन, वास्तव में अगर ये चाहें तो जितने दिन तक यह सदन चला उससे अधिक दिन तक चल सकता है और चलना चाहिये। अभी भी अगर चाहें तो ९० दिन पूरे हो सकते हैं। चाहे इस सरकार की गलती हो या उस सरकार की गलती रही हो। सरकारें इतनी जल्दी-जल्दी बदल रही हैं और एक दूसरे को मौका मिल जाता है कि अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल दें। लेकिन जो सरकारी पक्ष में बैठ जायं उनको जिम्मेदारी निभाना चाहिये।

जो काम नहीं होना चाहिये उस सारी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ओढ़ कर इस सदन के सामने आकर कहना चाहिये कि क्यों ऐसा नहीं हो सका। ऐसा करने से हमारी, आपकी और सदन के सम्मान की रक्षा होती। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं और किसी प्रकार से इसको टालते हैं तो निश्चित रूप से इस सदन के अवमान की बात है। यह संकल्प ऐसा था जिसको पूरा किया जा सकता था और करना चाहिये था। उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहें तो दिसम्बर के आखीर तक इस सदन को चला सकते थे और अगर ऐसा नहीं तो ५, ७ या १० दिन इसको और बढ़ा सकते थे। अगर ९० दिन नहीं तो ८९ दिन तो हो सकता था। इस प्रकार की बहस तो रोमन ला में हुआ करती थी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप श्रीमन्, स्वयं इसकी नोटिस लें और जो कुछ मैंने कहा है उसकी भी नोटिस लें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं १५ मिनट का समय बढ़ाता हूं। बात यह है कि अभी श्री रियासत हुसैन साहब भी बोलेंगे। मैं यही कहूंगा कि संक्षेप में आप अपनी बात कहें। ५.१५ तक इसके लिये मैंने समय बढ़ा दिया है। मुझको स्वयं कोई समय बढ़ाने में रुचि नहीं है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

माननीय, आप कार्य-मंत्रणा कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और सभी पार्टियों के नेता उसमें हैं। मैं तो यही कहूंगा कि समय को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु यदि आपकी कोई रूलिंग होगी तो वह मान्य होगी।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मेरा इस प्रस्ताव को रखने का कारण केवल यह है कि यह प्रस्ताव १० मार्च को इस सदन के सामने लाना पड़ा था। उसका क्या कारण था, वह सभी माननीय को मालूम है। जो भी पक्ष सरकार का होता था और जो कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन्स हैं कि इसकी सिटिंग्स के बीच में ६ महीने से ज्यादा का अन्तर नहीं होगा। सरकारी पक्ष इसको इस तरह से इस्तेमाल करता था कि कम से कम ६ महीने उन्होंने इसको कर दिये। उस चीज को रोकने के लिय और प्रजातंत्र को कायम रखने के लिये यह चीज की गई थी। इसी कारण से माननीय सदन ने इस प्रस्ताव को पास किया था। मैं इस बात की सूचना भी देना चाहता हूं कि जब यहां पर बी० के० डी० और कांग्रेस (आर) की सरकार थी और जो सरकार है वह विरोध पक्ष में थी, मैंने स्वयं गवर्नर साहब को एक पत्र इस प्रस्ताव के आधार पर लिखा था कि इस सदन को बुलाया जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

उन्होंने कहा कि मैंने आपका पत्र मुख्य मंत्री के पास भेज दिया है और उचित यह होगा कि वे इसको करें। मैं ऐसा न करने के कारण जो बी० के० डी० तथा कांग्रेस (आर) की पहल सरकार थी, उसको तथा मौजूदा सरकार को इसका अनुपालन न करने के लिये चार्ज करता हूं। और साथ ही साथ जो मौजूदा सरकार है उसको इसलिये चार्ज करता हूं कि प्रस्ताव के अन्दर साफ लिखा हुआ है कि कम से कम ९० सिटिंग होंगी।

मान्यवर, एक शब्द की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रस्ताव में लिखाहु आ है कि किसी भी हालत में ९० दिन से कम न होगी। अगर ऐसी बात होती कि ९० दिन से कम न होगी, वह दूसरी बात थी। लेकिन यहां "भी" शब्द पर जोर दिया गया है कि "किसी भी" हालत में ९० दिन से कम न होगी। मान्यवर, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि १६ अक्तूबर को माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली थी और बराबर इस सदन के माननीय सदस्य की मांग रही कि इस प्रस्ताव के अनुसार जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलाई जाय, लेकिन मौजूदा सरकार ने १६ अक्तूबर के बाद ७ दिसम्बर के पहले एसेम्बली नहीं बुलाई। इसलिये मैं मौजूदा सरकार को चार्ज करता हूं। हमने इस प्रस्ताव के द्वारा क्या कहा, हमने प्रजातंत्र के अन्दर माननीय सदन के सदस्यों के अधिकार की रक्षा मांगी और साथ ही साथ जिनकी हम नुमाइन्दगी करते हैं, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं उनके भी अधिकारों की रक्षा चाही। मान्यवर, आधा उत्तर प्रदेश सैलाब में डूब गया, आपके अनुसार ६० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन वर्षाकालीन अधिवेशन नहीं बुलाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? जब आधा उत्तर प्रदेश सैलाब में डूब गया और ६० करोड़ का नुकसान हुआ, तमाम लोगों को परेशानी हुई, तो उस परेशानी को दूर करने के लिये एक दिन भी सदन के माननीय सदस्यों को मौका नहीं मिला कि प्रदेश की उन तमाम बातों पर विचार करते।

मुझे बड़ी खुशी होती यदि माननीय मन्त्री इस बात को तस्लीम करते कि यह ठीक है, गलती हुई। लेकिन जबाव मिला कि प्रदेश में राजनैतिक उथल-पुथल थी, तो इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। हो सकता है बी० के० डी०, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी के लिये हो राजनीतिक उथल-पुथल, लेकिन हमारे लिये नहीं थी, माननीय रामचन्द्र विकल का इससे कोई मतलब नहीं था। मुझे बड़ी खुशी होती अगर इस सदन की गरिमा को देखते हुये आप यह स्वीकार करते कि ठीक है, हम नहीं बुला सके और हम माननीय सदन से माफी चाहते हैं तो इससे इस सदन की गरिमा बढ़ती और यह भी कहते कि आइन्दा अब ऐसा न होगा। अब भी मैं यह चाहता हूं कि आप ब्राड माइन्डेड होकर माफी मांगिये इस माननीय सदन से और इस बात का विश्वास दिलाइये, ऐश्योरेन्स दिलाइये कि आइन्दा ऐसी गलती नहीं होगी।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी श्री उदित नारायण शर्मा जी के प्रस्ताव का मूल आपके सामने पढ़ा गया। सरकारी पक्ष से यह उत्तर आया वह आपके सामने है। मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह सही है कि नहीं कि सरकार ने जानबूझ कर उस प्रस्ताव को तोड़-मरोड़ कर सदन को गुमराह किया इस वक्तव्य के द्वारा? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

१०३ में चर्चा का विषय है।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर इस सदन की रक्षा करना आपका दायित्व है। सरकार की तरफ से जो वक्तव्य दिया गया वह आपके सामने है। आप बतलायें कि सरकार ने गलतबयानी की है या नहीं?

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)--

सदन का यह प्रस्ताव है । यह बार-बार कहा गया कि पहले की सरकार दोषी है या यह सरकार दोषी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि सदन के प्रस्ताव का कार्यान्वयन सरकार नहीं करती है तो क्या अध्यक्ष महोदय का उसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि वह इस सदन से सर्वसम्मत पास किये हुए प्रस्ताव को सरकार से कार्यान्वित करायें ? आप हमारे हितों तथा अधिकारों के संरक्षक हैं । इस तरह से होगा तो भविष्य में कोई भी सरकार होगी वह अपने उत्तरदायित्व स बच सकती है और हम एक असहाय अवस्था में उन सारी चीजों को देखेंगे और अध्यक्ष महोदय भी असहाय अवस्था में देखेंगें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप असहाय और निरुपा महसूस न करें । सदन स्वतंत्र है और सरकार जो है उस पर अपना अंकुश जिस तरह चाहती है लगाया करती है । इस प्रश्न के बारे में जो आपने पूछा विधान सभा सचिवालय से उसी समय माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिख दिया गया । "माननीय मुख्य मंत्री जी, विधान सभा ने अपनी १० मार्च, १९७० की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है । इस संकल्प के अनुसार विधान सभा का सत्र वर्ष में तीन अधिवेशनों का होना आवश्यक है और सदन की बठकों का कम से कम ९० दिन, अभी तक इस वर्ष केवल ५६ बैठकें हुई हैं, ३४ दिन शेष हैं । विधान सभा के अधिवेशन की तिथि का सुझाव देते समय संलग्न प्रस्ताव का भी ध्यान रखने की कृपा करें । धन्यवाद ।"

माननीय मुख्य मंत्री ने उसका उत्तर इस प्रकार दिया है, "प्रिय खेर साहब, विधान सभा के अधिवेशन की तिथि निश्चित करने के विषय में आपका २२ अक्तूबर का पत्र प्राप्त हुआ । (धन्यवाद) मैं अवश्य इस संदर्भ में विधान सभा में पास हुए प्रस्ताव का ध्यान रखूंगा ।"

श्री कृष्णचन्द्र--

लेकिन आश्वासन की पूर्ति तो हुई नहीं ।

श्री गोविन्द सिंह--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । उस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं किसी सरकार को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि उसके उत्तर देने की शैली तथा प्रकार क्या हो ? जो उन्होंने लिखा वह आपके सामने है । सवाल यह है कि पूरा प्रस्ताव सामने है या नहीं, अगर भ्रम पैदा होता हो तो मैं बतलाये देता हूं कि पूरा प्रस्ताव पास हुआ है और पूरा प्रस्ताव नारायणदत्त तिवारी जी ने पढ़ कर रखा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

अगर सरकारी बिजनेस नहीं है तो शेष दिन प्राइवेट मेम्बर्स बिल पर सदन चल जाय ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

सरकार की तरफ से जो बयान दिया जाता है उसकी शैली के लिये आप बाध्य नहीं कर सकते लेकिन आपको यह तो अधिकार है कि अगर सरकार कोई गलतबयानी करे तो उसे रोकें ।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार आपके मन के माफिक करे तो ठीक है .....

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है । आप व्यवस्था दें कि सदन का एक फैसला है तो सदन बड़ा है अथवा यह सरकार बड़ी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार को भी आप कुछ कहने देंगे या नहीं ? जो सवाल आपने उठाया है क्या पता कि सरकार उसका जो जवाब दे वह उसी प्रकाश में दे जैसा आपने उसको उठाया है ?

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव सदन से ९० दिन का प्राप्त हुआ था । लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ । इससे सदन का अपमान हुआ है । दूसरी बात यह कि आपन मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा और उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया । इसलिय उनके ऊपर तो डबल चार्ज हो गया ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

उपाध्यक्ष महोदय, सदन ने अपने ही एक प्रस्ताव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, उसके लिये मैं सदन का अनुग्रहीत हूं । मैं बहुत हल्की बातें तो नहीं करना चाहता और मैं न यह कहना चाहता हूं कि किसकी जिम्मेदारी है । दो तीन चीजें इस प्रस्ताव में हैं । प्रस्ताव में यह है कि अनिवार्य रूप से तीन सत्र, होने चाहिये । हमारे मित्र उदित नारायण जी ने कदाचित मुझे सुन लिया होता तो मेरा विश्वास है कि वे मुझसे सहमत हो गये होते । दूसरी बात यह है कि अनिवार्यतः ९० दिन तक सदन को बठना चाहिये और साधारणतः जो सारिणी इसमें दी हुई है, उसका पालन करना चाहिये । "साधारणतः पालन करना चाहिये", इसके संबंध में मैं कुछ निवेदन करूंगा ।

तीन सत्र तो हो गये । पहला तो चला २६ नवम्बर, से २१ मार्च तक ।

श्री उपाध्यक्ष--

सत्र तो दो ही हुए लेकिन अधिवेशन तीन हुये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

तो पहला अधिवेशन हुआ २६ फरवरी से २१ मार्च तक, दूसरा हुआ २१ अप्रैल से १ जुलाई तक और तीसरा अब चल रहा है । इस प्रकार ३ अधिवेशन अनिवार्य रूप से चल गये । अब एक शर्त और है कि ९० दिन तक चलना चाहिये । मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारा वर्ष कौन सा हो, जिसकी वे कल्पना करते हैं ? जो परिभाषा हमारे नियमों में वित्तीय वर्ष की दी हुई है उसमें यह है कि वित्तीय वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक का होगा । सरकारी काम में हम सब वित्तीय वर्ष की ही कल्पना करते हैं। यदि ऐसा है तो बावजूद अनेक कठिनाइयों के हमें विश्वास है कि हम उस वर्ष में ९० दिन के सेशन कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

वित्तीय वर्ष की परिभाषा तो ठीक है लेकिन वर्ष वह नहीं है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

हमारे नियमों में वित्तीय वर्ष की ही परिभाषा दी हुई है । श्रीमन्, यहां पर इस वर्ष की परिभाषा पर भी लम्बा विवाद चल चुका है और अन्त में वर्ष की परिभाषा १ अप्रैल से लेकर ३१ मार्च तक ही स्वीकार की गयी । विचार हुआ शक वर्ष पर, विक्रमी वर्ष पर भी। लेकिन अन्त में इसी को वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया ।

अब दूसरा विचार यह है कि वह प्रस्ताव ६ मार्च को पास हुआ था तो वर्ष १० मार्च से ६ मार्च तक का माना जाय । यदि उसको भी यह सदन स्वीकार कर ले तो भी हमें कोई एतराज नहीं होगा और हमें आशा है उस बीच के अन्दर में हम ६० दिन का सेशन पूरा कर लेंगे ।

अब तीसरी कल्पना आपने बतायी कि १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक माना जाय । कान्स्टीट्यूशन में जिस वर्ष को स्वीकार किया गया है वह जनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा ३ की उपधारा ६ में उसी वर्ष को माना गया है जो ब्रिटिश कलेंडर में होता है । यानी पहली जनवरी से ३१ दिसम्बर, यह एक साधारण सा नियम है । इससे मेरे मित्र परिचित हैं । कहा गया है कि---

"A contract can not be fulfilled which is impossible of being fulfilled." कोई भी चीज संसार में पूरी नहीं की जा सकती है जिसका पूरा करना असंभव हो । मैं एक बात समस्त सदन से कहना चाहता हूं ।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं घंटे भर बोलने वाला नहीं हूं । मैं भूतपूर्व वित्त मंत्री और संसदीय मंत्री, माननीय नारायणदत्त तिवारी जी की ओर से माफी चाहता हूं । (व्यवधान) सरकार कभी मरती नहीं है । जिस सरकार के माननीय नारायणदत्त जी सदस्य थे उनकी गलती के लिये मैं माफी चाहता हूं न कि करे कोई और भरे कोई । करें नारायण दत्त जी और भरें लक्ष्मीरमण जी । यह तो बहुत अच्छा न्याय है ? स्थिति तो यह है कि जो दूसरा सत्र था और...

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मान्यवर, एक घंटे का समय बढ़ाया जाय । प्रस्ताव आ चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष---

एक घंटे का यदि समय बढ़ाया जायेगा तो क्या होगा । वे जो जवाब दे रहे हैं उनको मौका दे रहे हैं या फिर से विवाद होगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, मुझे केवल २,३ मिनट चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

हमारी ओर से आप माफी नहीं मांग सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय बढ़ाने की यदि कोई मांग होती है तो यह अनुचित है । समय बढ़ानें की मांग कर रहे हैं कि एक घंटे का समय और बढ़ाया जाय । इसलिये कि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । मैं इजाजत नहीं दूंगा कि फिर से आप सवाल उठायें आप जबाब दे दीजिये संक्षेप में ।

आपका जबाब समाप्त हो गया ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने इसको समाप्त कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम कल ११ बजे दिन तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२१ दिसम्बर, १९७०।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये आगे पृष्ठ ११२६ पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिए) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ में ३१ दिसम्बर, १९७१ तक अन्तरिम जिला परिषद् बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिए) अधिनियम, १९७० कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम।

२—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ में, धारा १ की उपधारा (३) में, अंक "१९७०" के स्थान पर अंक "१९७१" रख दिये जायं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १ का संशोधन।

उद्देश्य और कारण

चमोली, उत्तर काशी और पिथौरागढ़ के तीन सीमावर्ती जिलों में अन्तरिम जिला परिषदों का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९७० को समाप्त होने वाला है। यह निर्णय किया गया है कि शेष जिलों में जिला परिषदों का पुनः संघटन किये जाने के साथ ही इन जिलों में भी निर्वाचित जिला परिषदें स्थापित की जायं। अतएव, यह प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त अन्तरिम जिला परिषदों का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९७१ तक बढ़ा दिया जाय।

तदनुसार, यह विधयक पुरःस्थापित किया जाता है।

मलिखान सिंह,
सामुदायिक विकास मंत्री।

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ११२७ पर ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतगण राज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

(२) यह ३० जून, १९७० से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २ में, खण्ड (क) में, शब्द तथा अंक "किसी भी वर्ष में उस अवधि से है जो १ अक्तूबर से प्रारम्भ हो और उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाली ३० जून को समाप्त हो" के स्थान पर शब्द तथा अंक "किसी भी वर्ष में उस अवधि से है जो १६ अक्तूबर से प्रारम्भ हो और उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाली ३१ जुलाई को समाप्त हो"। रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १२, १९७० का निरसन

३—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

वर्ष १९६८–६९ में पेराई मौसम में कुछ चीनी मिलों ने जुलाई के मास में भी पेराई चालू रखी। १९६९–७० में गन्ने का उत्पादन बहुत बढ़ गया जिसे मिलें हर सम्भव प्रयास करने के बाद भी सामान्य मौसम में न पेर सकीं। सरकार को गन्ना उत्पादकों के हित में चीनी मिलों को देर तक चालू रखने के लिये प्रयत्न करने पड़े और १ जुलाई, १९७० को ३७ चीनी मिलें चल रही थीं तथा बहुत सा गन्ना जो किसान मिलों को देना चाहते थे मिल के सुरक्षित क्षेत्रों में खड़ा था। वर्तमान विधि के अनुसार गन्ना आयुक्त किसी मिल को केवल पेराई के मौसम में ही विधितः प्रस्तुत गन्ने को पेरने के लिये खरीदने के लिये निदेश दे सकता है और उस अवधि में खरीदे गये गन्ने के मूल्य को लगान के बकाये के समान वसूली के लिये निदेश दे सकता था। बहुत सी मिलों ने जुलाई के मास में भी पेराई चालू रक्खी, अतएव यह आवश्यक हो गया कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को संशोधित करके पेराई के मौसम की अवधि जुलाई के अन्त तक बढ़ाई जाय। इस प्रयोजन से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७० प्रख्यापित किया गया। यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जा रहा है।

त्रिभुवन नारायण सिंह,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० य० पी०—ए० पी० २८७ एल० ए०—१९७१—८४५ ।